AIESL
AI ENGINEERING SERVICES LIMITED

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

19वीं वार्षिक रिपोर्ट | 2022-23

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

निगमित सूचना

पंजीकृत कार्यालय
द्वितीय तल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग एयरपोर्ट क्षेत्र
सफदरजंग एयरपोर्ट, केन्द्रीय दिल्ली,
दिल्ली–110003
दूरभाषः 91–11–24600763
ई–मेलः marketing.aiesl@aiesl.in; वेबसाइट: www.aiesl.in
CIN: U74210DL2004GOI125114

संविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स एएजेवी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

आंतरिक लेखापरीक्षक
मैसर्स जी.एस.माथुर एंड कंपनी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट

सचिवीय लेखापरीक्षक
मैसर्स जे.पी. सैनी एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव

कर लेखापरीक्षक
मैसर्स रजनीश एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

बैंकर्स
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)
मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड
सी 101, 247 पार्क, एल बी एस मार्ग,
विक्रोली (पश्चिम), मुंबई 400083

विषय–सूची

1.	निदेशक मंडल	3
2.	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी (केएमपी)	4
3.	वरिष्ठ प्रबंधन	5
4.	अध्यक्ष संबोधन	7
5.	निदेशक रिपोर्ट	11
6.	प्रबंधन विचार एवं विश्लेषण रिपोर्ट	41
7.	वित्तीय वर्ष 2022–23 की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट	69
8.	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	73
9.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	80
10.	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	81
11.	31 मार्च 2023 का तुलन–पत्र	106
12.	31 मार्च 2023 का लाभ –हानि विवरण	107
13.	31 मार्च 2023 को नकद प्रवाह विवरण	108
14.	31 मार्च 2023 को शेयर में परिवर्तन का विवरण	109
15.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के नोटस	110

विजन

विनियामक तथा संरक्षा अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए ग्राहकों को सर्वोत्कृष्ट दर्जे एवं समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना।

मिशन

ग्राहक

- उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निवारक और सुधारात्मक रखरखाव की प्रणाली द्वारा ग्राहकों के विमानों को निरंतर उड़ानयोग्यता की स्थिति में बनाए रखना।
- ग्राहकों को "एक ही जगह" समाधान अर्थात "वन स्टॉप" सोल्यूशन उपलब्ध कराना।
- तीव्र टर्न अराउंड समय।
- भारतीय और विदेशी एयरलाइनों से अधिकतम बाजार भाग पर अधिकार प्राप्त करना।
- रक्षा क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित करना।

प्रक्रिया

- सीएआर–145 और 147 के अंतर्गत नागर विमानन महानिदेशालय का अनुमोदन प्राप्त करना।
- अपने सभी सस्थापनों तथा सुविधाओं के लिए एफएए तथा ईएएसए अनुमोदन प्राप्त करना।
- सवंर्धित बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करने हेतु आक्रामक विपणन नीति।
- नियमित लेखापरीक्षाओं के माध्यम से गुणवत्ता और सुरक्षा की निरतंर मॉनीटरिगं।
- सेवाओं के उन्नयन हेतु निरंतर प्रयास, गुणवत्ता सेवा तथा लागत प्रभाविता के सबंध में उच्चतम ग्राहक सतुंष्टि प्रदान करना तथा महत्वपूर्ण संबंध को दीर्घावधि तक बनाए रखने का सुनिश्चिय करना।
- गुणवत्ता मानकों के साथ समझौता किए बगरै विश्व स्तर का एमआरओ बनने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना।
- कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपस्करों के जरिए क्षमता का उन्नयन तथा बढो़तरी।
- उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्मिकों के प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता अद्यतन और संवर्धन।
- प्रचालनात्मक लागत को इष्टतम बनाना।

निदेशक मंडल

श्री अंसगबा चुबा आओ
अध्यक्ष एवं नामित निदेशक

श्री पदम लाल नेगी
नामित निदेशक

श्री राहुल जैन
नामित निदेशक

श्रीमती नयोनिका दत्ता
नामित निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी (केएमपी)

श्री शरद अग्रवाल
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सुश्री साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

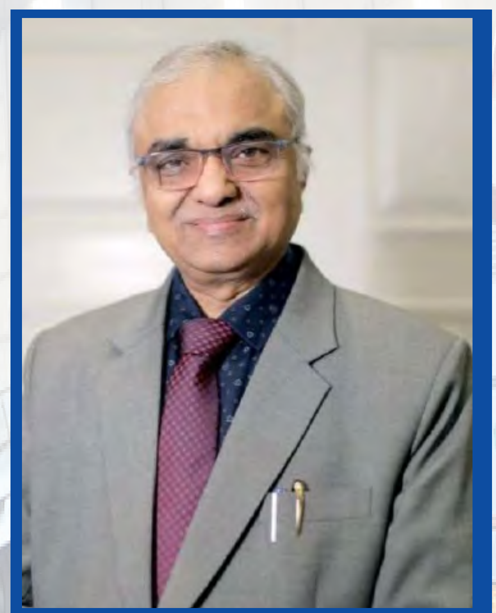

श्री राकेश कुमार जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वरिष्ठ प्रबंधन

श्री अनिल कुमार कपूर
कार्यकारी निदेशक (इंजी.) एनबी

श्री सचिन हडाये
कार्यकारी निदेशक (इंजी.) मुख्यालय

श्री सत्यवीरा के एस
कार्यकारी निदेशक (इंजी.) डब्ल्यूबी

श्री नितिन अस्थाना
मुख्य मानव संसाधन अधिकारी

श्री आर एस ठाकुर
महाप्रबंधक (गुणवत्ता) मुख्यालय

श्री वी पी प्रजापति
महाप्रबंधक–मुख्यालय

श्री आलोक अग्रवाल
महाप्रबंधक (पीपीएमएम)–मुख्यालय

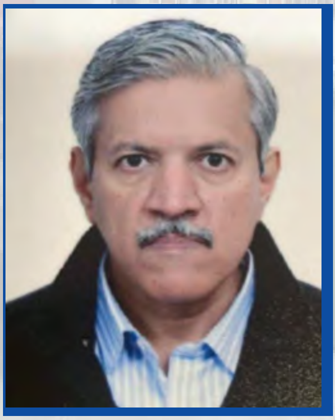

श्री मनोज शर्मा
महाप्रबंधक (एलएम)–मुख्यालय

श्री डी के तलवार
महाप्रबंधक–डब्ल्यू आर (डब्ल्यूबी)

वरिष्ठ प्रबंधन

श्री शेख फेयाज
महाप्रबंधक–पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्युबी)

श्री प्रशांत गोसावी
महाप्रबंधक–त्रिवेंद्रम

श्री संजय द्विवेदी
महाप्रबंधक–नागपुर

श्री बी जेना
महाप्रबंधक–पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्युबी)

श्री संजय मनोहर वाजे
महाप्रबंधक–पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्युबी)

श्री राहुल चड्डा
महाप्रबंधक–पश्चिमी क्षेत्र (एनईसी)

श्री विकास खावले
महाप्रबंधक–पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्युबी)

श्री राजेश कुमार पाटीदार
महाप्रबंधक–(एस एस) उत्तरी क्षेत्र

श्री बी अझगप्पा
महाप्रबंधक–उत्तरी क्षेत्र

श्री रवि शंकर पूचा
महाप्रबंधक–हैदराबाद

श्री कोशिक बोस
महाप्रबंधक–पूर्वी क्षेत्र.

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

कंपनी की वर्ष 2022–23 की उन्नीसवीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस बैठक में उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं।

मैं वर्ष के दौरान कंपनी के प्रमुख निष्पादनों पर इस अवसर पर प्रकाश डालता हूं:

कंपनी का निष्पादन

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान आपकी कंपनी का वित्तीय निष्पादन निम्नलिखित है:

- इस अवधि के दौरान परिचालन राजस्व पिछले वर्ष में 1881.91 करोड़ रुपये से बढ़ कर चालू वर्ष में 1953.40 करोड़ और कुल राजस्व 1906.52 करोड़ रुपये से 2029.86 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात लगभग 123.34 करोड रूपए (6.47 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाता है।
- इसके विपरीत, कंपनी का कुल व्यय 1345.96 करोड़ रूपए (पुनर्निदेशित) से बढ़ कर इसी अवधि में लगभग 1418.81 करोड़ रूपए हो गया हो जो 72.85 करोड रूपए (5.41 प्रतिशत) की वद्धि को दर्शाता है।
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 में 829.26 करोड़ रुपये (पुनः घोषित) के शुद्ध लाभ की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 में 629.51 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

गैर–वित्तीय निष्पादन के संबंध में, वित्त वर्ष 2022–23 में, कंपनी ने लगभग 450 विमानों की हैंडलिंग सेवाओं की व्यवस्था की हैं। एआईईएसएल ने एआईएल बेड़े सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रचालकों जैसे जजीरा एयरवेज/ ओमान एयरवेज, मलेशियन एयरलाइंस, कुवैत एयरवेज, टाइगर स्कूट, चाइना एयरलाइंस, एमए इंडो एयरलाइंस, इजिप्ट एयर आदि और भारतीय प्रचालकों में एयर एशिया इंडिया, गो एयर, स्पाइसजेट, फलाई बिग, टाटा विस्तारा सहित लाइन अनुरक्षण सेवाएं प्रदान की हैं।

कंपनी रक्षा क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्र के प्रचालकों को एमआरओ सेवाएं प्रदान कर रही है, जहां भी एआईईएसएल के पास ऐसा करने की क्षमता है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2022–23 में घरेलू प्रचालकों – एयर एशिया इंडिया, टाटा एसआईए एयरलाइंस, स्पाइसजेट, गोएयर, इंडिगो एयरलाइंस के लिए आधार अनुरक्षण प्रदान करने का कार्य किया है। इसके अलावा, एआईईएसएल ने एविएशन रिसर्च सेंटर (एआरसी), भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और एचएएल के लिए प्रमुख रखरखाव कार्य भी किए हैं। वर्ष 2022–23 में एआईईएसएल ने निजी क्षेत्र के विमानों

जैसे – रिलायंस आरसीडीएल, ताज एयर चार्टर्स, जूम एयर, क्लब वन एयर और ब्लू डार्ट एयरक्राफ्ट के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लिया है। इसके अलावा, एआईईएसएल ने अपने ए319 और ए320 विमानों के रखरखाव के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता किया। आत्मनिर्भर अभियान के एक भाग के रूप में, एआईईएसएल ने भारतीय नौसेना द्वारा प्रचालित पी 8आई और भारतीय वायु सेना द्वारा प्रचालित 777 वीआईपी विमान सहित भारत में प्रमुख बोइंग रक्षा प्लेटफार्मों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए बोइंग डिफेंस के साथ गठबंधन किया है।

आपकी कंपनी को ईएएसए, एफएए, कतर, कुवैत, जीएसीए (यूएई), सीएए सिंगापुर, सीएए श्रीलंका, सीएए नेपाल, सीएए थाईलैंड, सीएए मलेशिया, सीएए बांग्लादेश और पीएसीए ओमान जैसे 13 विदेशी नागर विमानन प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त था। एआईईएसएल ने मिस्र के सीएए के अनुमोदन के लिए आवेदन किया है।

एआईईएसएल के उत्तरी क्षेत्र में, दिल्ली के हैंगर में बी–737 विमानों के रखरखाव का कार्य करने के लिए डीजीसीए द्वारा अनुमोदन दिया गया और स्पाईसजेट के विमानों का सी–चेक किया गया। इसके अलावा, एआईईएसएल, उत्तरी क्षेत्र ने सीएफएम लीप 1ए विमान की जांच और भविष्य की मांगों को ध्यान में रखते हुए क्षमता में वृद्धि की है। इसी तरह, एआईईएसएल के पश्चिमी क्षेत्र में, एअरबस निओ विमान के पीडब्ल्यू 1100 इंजनों के लिए प्रैट और व्हिटनी इंजनों के चरण–1 जांच के लिए समझौता पूरा हुआ। नागपुर एमआरओ में, इंजन परीक्षण सेल ने जेनएक्स और जीई 90 इंजनों के लिए ईएएसए और एफएए से अनुमोदन प्राप्त किया है। जेनएक्स इंजन को नागपुर एमआरओ में क्यूटी (क्विक टर्न) अनुरक्षण चेक की आवश्यकता होती है, हमने 4 क्यूटी चेक किए है।

भविश्य में एयरलाइनों द्वारा प्रचालित एटीआर और निओ विमानों की मांग को देखते हुए दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्रों की क्षमता में वृद्धि की गई।

शक्तियां

एआईईएसएल की मजबूती :

- राजस्व, अवसंरचना और पेशेवर श्रमशक्ति के मामले में भारतीय एमआरओ में सबसे बड़ा पार्टी।
- एयरलाइनों के लिए संपूर्ण अंतिम समाधान हेतु वन स्टॉप शॉप।
- सीएफएम 56–5बी/7बी, जीई एंड पी एंड डब्ल्यू के इंजन ओवरहाल शॉप के प्रमुख बाजार में उपस्थिति।
- प्रमुख बेसों पर आधार रखरखाव में उपस्थिति।
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर 100 से अधिक स्टेशनों पर लाइन मेंटेनेंस में उपस्थिति।
- कलपुर्जों की मरम्मत और ओवरहाल क्षेत्र में उपस्थिति।
- प्रमुख सेवाओं जैसे आशोधन /संरचना मरम्मत, एनडीटी, लीज रेंटल, कलपुर्जों की सहायता, सीएएमओ सेवाएं, प्रशिक्षण आदि में उपस्थिति।

निवेश आकर्षित करने के लिए सहयोग

भारत को विश्वभर में ओईएम और बड़े एमआरओ सेवा प्रदाताओं से निवेश आकर्षित करने के लिए स्वयं को सामरिक रूप से स्थापित करने की आवश्यकता है। सिंगापुर और मलेशिया जैसे देश आकर्षक निवेश नीतियां बनाने और ओईएम को महत्वपूर्ण कर क्रेडिट की पेशकश करने में अग्रणी थे। उदाहरण के लिए, इन देशों ने पुनर्निवेश पर टैक्स क्रेडिट की पेशकश की, जिसका प्रभावी अर्थ यह हुआ कि सिंगापुर या मलेशिया में पहले से ही राजस्व उत्पन्न करने वाला ओईएम, इन देशों में फिर से निवेश कर सकता है और इन निवेशों के 50–60 प्रतिशत पर महत्वपूर्ण टैक्स क्रेडिट का

लाभ ले सकता है। यह नीति ओईएम के लिए देशों के एक करीबी समूह में निवेश करने का प्राथमिक कारण रही है। भारत एमआरओ उद्योग को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित कदमों पर विचार कर सकता है:

- भारत में इस सुविधा की स्थापन/प्रचालनों के संबंध में एमआरओ सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय के लिए भारित कटौती की व्यवस्था आरंभ करना।
- नई निर्माण कंपनियों के लिए हाल ही में प्रदान की गई 15 प्रतिशत की रियायती कॉर्पोरेट कर दर के विस्तार के साथ साथ, वैश्विक एमआरओ पक्षों के लिए अपने एशियाई समकक्षों के बीच भारत को एक प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
- एमआरओ व्यवसाय के लिए विनिर्दिष्ट अवधि हेतु आयकर अंतराल की व्यवस्था आरंभ करके, जैसा कि हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में विमान पट्टे पर देने वाले व्यवसाय को कर अंतराल प्रदान किया गया था।

कर संरचना में मुद्दों का समाधान

भारत में घरेलू एमआरओ को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपनी कर और नियामक नीतियों को उदार बनाने की कोशिश कर रही है। एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी दर को 5 प्रतिशत तक तर्कसंगत बनाना, स्वागतयोग्य कदम है। हालांकि, कर संरचनाओं में निम्नलिखित अनिश्चितताओं पर अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है:

- घरेलू ग्राहकों को एमआरओ सेवाओं की आपूर्ति के लिए, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (अर्थात, आउटपुट की तुलना में इनपुट पर जीएसटी की उच्च दर) को देखते हुए इनपुट (वस्तु) पर जीएसटी की वापसी उपलब्ध होगी। हालांकि, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर परिदृश्य के तहत इनपुट सेवाओं पर जीएसटी की वापसी उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, इस खाते में क्रेडिट का संचय चिंता का विषय बना रहेगा।
- एमआरओ सेवाओं के लिए जीएसटी की वापसी (अपतटीय ग्राहकों को निर्यात और घरेलू परिदृश्य में प्रतिकूल शुल्क संरचना के कारण) में उल्लेखनीय समय और प्रयास लागत शामिल है। यह कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

भविष्य की योजनाएं

कंपनी, तीसरे पक्ष को मौजूदा क्षमताओं से संबंधित एमआरओ सेवाएं प्रदान करके (आक्रामक विपणन के माध्यम से) और नई क्षमताएं प्राप्त करके राजस्व सृजन में सुधार करने की योजना बना रही है। एआईईएसएल विमान पुनर्वितरण व्यवसाय पर कब्जा करने के लिए ईएएसए आधार अनुरक्षण क्षमता प्राप्त करने की योजना बना रहा है। यह डीआरडीओ/आईएएफ/भारतीय नौसेना जैसे रक्षा क्षेत्र में अपनी एमआरओ सेवाओं का विस्तार करना चाहता है। एआईईएसएल ने पहले ही डीआरडीओ के साथ उनके ए–319 विमानों के बेड़े के लिए अनुरक्षण समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हमारे लैंडिंग गियर ओवरहाल क्षमता और सीएफएम 56–5बी इंजन ओवरहाल क्षमता के लिए ईएएसए प्रमाणन प्राप्त करने के साथ ही ए320 एनईओ फैमिली एयरक्राफ्ट के विभिन्न घटकों की सेवा के लिए एटीईसी शॉप को अपग्रेड किया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में एक सीएसआर समिति का गठन किया है और समाज में सकारात्मक योगदान देने के उद्देश्य से सीएसआर नीति निर्धारित की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित सीएसआर प्रावधानों के अनुसार, एआईईएसएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में सीएसआर व्यय के रूप में 40.94 मिलियन रुपये का योगदान दिया है।

निगमित शासन

एआईईएसएल द्वारा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है, जहां भी वर्ष के दौरान लागू है। कंपनी नें स्व–मूल्यांकन के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2020–21, 2021–2022 और 2022–23 के लिए डीपीई कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए 'उत्कृष्ट ग्रेड' के अंतर्गत आती है। डीपीई ने वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए एआईईएसएल को 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग भी प्रदान की है।

आभार

मैं, निदेशक मंडल की ओर से, नागर विमानन मंत्रालय, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी), आईएएफ, डीआरडीओ, एअर इंडिया लिमिटेड, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड आदि जैसे प्रमुख ग्राहकों, लेखापरीक्षकों और विक्रेताओं को उनके निरंतर समर्थन और उनके द्वारा कंपनी को दी गई बहुमूल्य सहायता और बोर्ड के अपने सहयोगियों को उनके मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मैं बैंकों और नियामक एजेंसियों सहित अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं बोर्ड के अपने सहयोगियों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करता हूं, जो हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। उनका समर्पण, बुद्धि, कड़ी मेहनत और मूल्यों की गहरी समझ, हमारी कंपनी को आगे ले जाने और इसे लाभदायक बनाने की कुंजी रही है।

हम हमेशा की तरह इस यात्रा में आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

ह/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय और प्रचालन पर अपनी उन्नीसवीं (19वीं) वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उस पर कैग की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. सामान्य सूचना

तत्कालीन मूल कंपनी, एअर इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने वर्ष 2010 में एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) को एअर इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में अलग करने और सेवा प्रदान करने के लिए, एक पृथक लाभ केंद्र को मंजूरी दी थी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के तीसरे पक्ष के ग्राहक से वर्कलोड के अलावा एअर इंडिया और इसकी अन्य सहायक कंपनियों के कैप्टिव लोड की रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) गतिविधियां का कार्य सौंपा गया।

तदनुसार, एआईईएसएल के संचालन के लिए दिनांक 06–09–2012 को मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। विभिन्न वैधानिक और नियामक प्राधिकरणों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के बाद, एक स्वतंत्र एमआरओ के रूप में काम करने के लिए सीएआर–145 के तहत दिनांक 01–01–2015 को डीजीसीए से अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

दिनांक 03.08.2020 से कंपनी का नाम "एयर–इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड" से बदलकर "एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड" कर दिया गया था।

इससे पहले, एआईईएसएल, एअर इंडिया लिमिटेड (एआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, हालांकि एआई के विनिवेश और एअर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एआईएसएएम) के निर्णय के अनुसार दिनांक 12–01–2022 एआईईएसएल की संपूर्ण शेयरधारिता एआई से एआईएचएल को स्थानांतरित कर दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 12–01–2022 से एआईईएसएल, एआईएएचएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।

1.1 वित्तीय सारांश एवं विशेषताएं

वर्ष के दौरान कंपनी का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है :–

(करोड़ रूपये में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष (पुनर्निदेशित)
कुल राजस्व	2029.86	1906.52
कुल व्यय	1418.81	1345.96
आपवादिक मदों से पूर्व लाभ (हानि)	611.05	560.56
जमाः आपवादित मदें	233.42	-
कर पूर्व लाभ (हानि)	844.47	560.56
घटाः आस्थगित कर सहित कर व्यय	216.00	(261.84)
कर पश्चात लाभ	628.47	822.40
अन्य वृहत आय	1.04	6.86
कुल वृहत आय	629.51	829.26
पिछले वर्ष से अग्रेणीत लाभ का शेष	(1586.20)	(2415.46)
तुलन पत्र में अग्रणीत शेष	(956.69)	(1586.20)

3. पूंजी संरचना

वर्ष के दौरान कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रुपये 1000 करोड़ रुपये थी जो प्रति 10 रूपए के 100 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित थी।

वर्ष के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 166,66,65,000 रुपये थी, जिसे प्रति 10 रूपए 16,66,66,500 रुपये के इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और संपूर्ण शेयरधारिता एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) और इनके नामितियों के अधिकारक्षेत्र में है।

4. वित्तीय विवरणों या बोर्ड की रिपोर्ट के संशोधन का विवरण

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131(1) में उल्लेखित पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी के संबंध में अपने वित्तीय विवरणों या बोर्ड की रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के वित्तीय विवरणों को इस वर्ष की रिपोर्ट में पुन वर्णित किया गया है।

5. लाभांश

निदेशक मंडल, दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

6. निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में दावा न किए गए लाभांश का अंतरण

चूंकि विगत वर्षों से कोई अदत्त/गैरदाता लाभांश नहीं था, इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

7. आरक्षित निधि में अग्रेणीत किए जाने हेतु प्रस्तावित राशि

कंपनी के बोर्ड ने **शून्य** राशि को अपने रिजर्व में ले जाने का निर्णय/प्रस्ताव किया है।

8. वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान प्रमुख घटनाएं और महत्वपूर्ण उपलब्धियांः

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, एआईईएसएल ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल कीं :

i) दिल्ली जेईओसी के लिए ईएएसए अनुमोदन।

ii) मुंबई और त्रिवेंद्रम में रखरखाव प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए ईएएसए अनुमोदन।

iii) त्रिवेंद्रम, नागपुर और मुंबई में ए320 विमान बेस चेक के लिए एफएए अनुमोदन, और नए प्राप्त अनुमोदन के तहत काम की सफल शुरुआत।

iv) डीआरडीओ को सौंपे गए चार ए321 विमानों के लिए रखरखाव सहायता समझौते पर हस्ताक्षर।

v) कार्मिक साधनों और कई शिफ्टों में काम करने के अनुकूलन द्वारा आधार जांच के लिए टीएटी में महत्वपूर्ण कमी की जा रही है।

कंपनी के संचालन को विभिन्न क्षेत्रों/आधारों अर्थात लाभ केंद्रों में विभाजित किया गया है। वर्ष के दौरान उनका कार्यनिष्पादन, महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ और भविष्य की योजनाएं नीचे दी गई हैं :

I. नागपुर एमआरओ :

'मिहान' के विशेष आर्थिक क्षेत्र में 50 एकड़ भूमि पर स्थित एमआरओ संपत्ति को एअर इंडिया लिमिटेड से एआईईएसएल को हस्तांतरित कर दिया गया है। पंजीकरण कार्य जनवरी 2023 में पूरा हो गया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान नागपुर एमआरओ का कार्यनिष्पादन और उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

क. बेस रखरखाव

विनियामक स्वीकृतियाँ : ए320 विमान बेडे के विमानों के आधार रखरखाव के लिए डीजीसीए अनुमोदन को ए320एनईओ / एलईएपी–1ए को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था और दायरे को 12 वर्ष तक जांच हेतु बढ़ाया गया था। ए 320 परिवार के विमानों के बेस रखरखाव के लिए एफएए की मंजूरी फरवरी 2023 में बढ़ा दी गई थी और ए320 एनईओ का पहला 6 वर्ष का बेस चेक, मई 2023 में सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। इसके साथ, नागपुर बेस रखरखाव को बोइंग 777 और एयरबस ए320 विमानों के लिए एफएए की मंजूरी प्राप्त हो गई है और बोइंग 777, एयरबस ए320 और बोइंग 737 को डीजीसीए की मंजूरी प्राप्त हो गई है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान :

- सी–जांच (बी777 विमान) की गई – 04.
- चरण जांच (बी777 विमान) की गई – 08.
- आइसोलेशन और अन्य जांच (बी777 विमान) की गई – 05.
- 'ए' और पैकेज जांच (ए320 परिवार) की गई – 02.

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पूरी की गई जांचों की संख्या 19 थी और इसमें एक बोइंग 777 विमान भी शामिल है, जिसे दीर्घकालिक पार्किंग से पुनर्प्राप्त किया गया था और सफलतापूर्वक सेवा में वापस लाया गया था। आरंभ से लेकर अब तक कुल 153 बेस रखरखाव जांचें पूरी की जा चुकी हैं।

ख. इंजन शॉप

जीईएनएक्स इंजन असेंबली

- वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान चार जीईएनएक्स इंजनों पर क्विक टर्न (क्यूटी) मरम्मत पूरी की गई।
- जीईएनएक्स–1बी मरम्मत सुविधा का ईएएसए द्वारा ऑडिट और नवंबर 2022 में एफएए के साथ आडिट और अनुमोदन किया गया था।

इंजन परीक्षण सेल

- वर्ष 2022–23 के दौरान, इंजन टेस्ट सेल को चालू किया गया और इसे ऑन–स्ट्रीम में लाया गया। नागपुर इंजन शॉप में मरम्मत किए गए दो जीईएनएक्स–1बी इंजनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

विंग सपोर्ट

- शॉप और टेस्ट सेल गतिविधियों के अलावा, नागपुर में बेस जांच से गुजरने वाले बी777 विमानों को ऑन–विंग सहायता प्रदान की जा रही है।

ग. बैक शॉप

(1) कंपोनेंट ओवरहाल प्रभाग (सीओडी)

सीओडी – संरचनात्मक समूह :

नागपुर एमआरओ के पास बोइंग {बी777–200एल आर/300ईआर (जीई90), बी737–700/800/900 (सीएफएम56), बी787–8(जीईएनएक्स)} और एयरबस {एयरबस ए319/ ए320/ ए321 (सीएफएम56–5बी), ए320 (वी2500 श्रृंखला)} मिश्रित सामग्री की मरम्मत, संरचनात्मक मरम्मत और संशोधन, पैनल – निर्माण और मरम्मत, फास्टनर छेद के कोल्ड वर्किंग कार्य, मिश्र धातु और मिश्र धातु स्टील्स के ताप उपचार और धातुओं की वेल्डिंग जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए डीजीसीए सी 20 रेटिंग प्राप्त है।

सीओडी संरचनात्मक समूह ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 704.15 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया।

सीओडी – केबिन जीवन रक्षा सुरक्षा उपकरण समूह :

नागपुर एमआरओ के पास बी777–200एलआर/300ईआर (जीई90), बी737–700/800/900 (सीएफएम56), बी787–8(जेनेक्स) घटक सर्विसिंग जैसे विमान सीट कुशन कवर, विमान पर्दे की सिलाई, विमान ध्वनि प्रूफिंग, जिपर पैनल, कालीन और इन्सुलेशन कंबल, ऑक्सीजन सिलेंडर की चार्जिंग, संपीड़ित गैस सिलेंडर का हाइड्रोस्टैटिक तनाव परीक्षण और आग बुझाने की बोतलों के वजन की जांच के लिए डीजीसीए से सी6, सी15, सी18 रेटिंग प्राप्त है।

(2) मानक कक्ष :

नागपुर एमआरओ के मानक प्रभाग के पास अल्ट्रासोनिक परीक्षण, एड़ी वर्तमान परीक्षण, रेडियोग्राफिक परीक्षण, फ्लोरोसेंट कण निरीक्षण और चुंबकीय कण निरीक्षण के लिए डीजीसीए डी1 रेटिंग प्राप्त है और यह बेस रखरखाव के लिए विंग समर्थन प्रदान करता है।

घ. बेसिक 147 ओजेटी प्रशिक्षण

एमआरओ ने सीएआर 147 रखरखाव प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों के लिए आधारभूत ओजेटी प्रशिक्षण प्रदान करके वित्त वर्ष 2022–23 में 185.56 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया है। वर्तमान में सात संस्थानों ने एआईईएसएल, नागपुर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

ड. विशेष आर्थिक क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, एआईईएसएल, नागपुर की शुद्ध विदेशी मुद्रा आय (एनएफई) 2,262.36 लाख रूपए है। पांच वर्ष की अवधि के लिए संचयी एनएफई 1,197.62 लाख रुपये पर सकारात्मक था।

च. भविष्य की योजनाएं

- ए320 परिवार के विमानों के आधार रखरखाव के लिए ईएएसए अनुमोदन।
- एएमई संस्थानों के लिए सीएआर 147 ओजेटी प्रशिक्षण की क्षमता संवर्धन।
- इंजन शॉप की क्षमता बढ़ाने के लिए पीआरएसवी (परफॉर्मेंस रिस्टोरेशन शॉप विजिट) टूल की खरीद।
- बैटरी/एक्सेसरीज/इलेक्ट्रिकल/एवियोनिक्स/आईएफई शॉपों की स्थापना।

छ. वित्त वर्ष 2022–2023 के लिए एमआरओ नागपुर का राजस्व और व्यय :

राजस्व	11,735.72 लाख रूपए
व्यय	6,209.39 लाख रूपए

* व्यय में भवन, संयंत्र और मशीनरी, वाहन, उपकरण और उपकरण का मूल्यह्रास और कर्मचारियों की सीटीसी शामिल है।

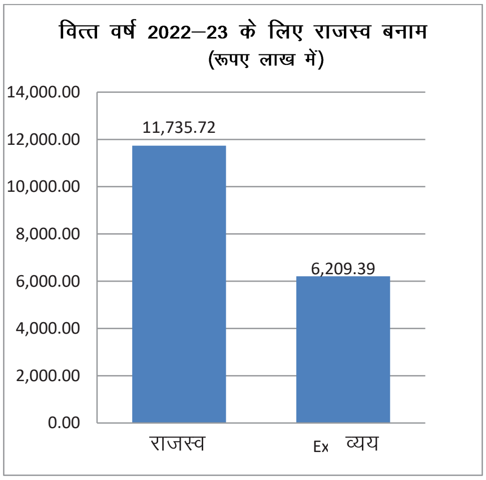

II. त्रिवेन्द्रम (टीआरवी) एमआरओ

त्रिवेन्द्रम एमआरओ सुविधा में बेस मेंटेनेंस और शॉप मेंटेनेंस शामिल हैं। लाइन अनुरक्षण स्टेशन भी त्रिवेन्द्रम एमआरओ के अधीन हैं। त्रिवेन्द्रम एमआरओ द्वारा कुल 21 लाइन स्टेशनों का प्रबंधन होता है।

एआईईएसएल त्रिवेन्द्रम एमआरओ सुविधा मुख्य रूप से एअर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा प्रचालित बी737 विमानों के रखरखाव की जरूरतों के लिए समर्पित है, जिसमें कंपोनेंट ओवरहॉल और रिपेअर शॉप, ऑक्सीजन चार्जिंग, बैटरी ओवरहाल और एनडीटी शॉप शामिल हैं।

वर्ष 2022 में, एआईईएसएल टीआरवी एमआरओ ने ए320 परिवार के विमानों पर 12 वर्षों तक मुख्य जांच करने के लिए मंजूरी प्राप्त की है। तब से एमआरओ ने 12 एअर इंडिया ए320 सीईओ और एनईओ विमानों की भारी जांच की गई है, जिसमें एफएए प्रमाणीकरण के तहत छह वार्षिक जांच भी शामिल है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, एमआरओ ने स्पाइसजेट द्वारा प्रचालित थर्ड पार्टी के विमानों और विभिन्न पट्टेदारों के स्वामित्व वाले विमानों के लिए व्यापक कार्य किया है। एमआरओ ने थर्ड पार्टी के विमान (स्पाइसजेट) और विस्तारा का प्रमुख रखरखाव कार्य किया है, जो एआईएक्सएल से राजस्व के अलावा राजस्व का एक बडा हिस्सा अर्जित करता है।

हालांकि, वर्ष 2020–21 के दौरान, एअरलाइन उद्योग में महामारी संबंधी मंदी के चलते, थर्ड पार्टी यानी विस्तारा और स्पाइसजेट से संबंधित केवल 8 विमानों का ही कार्य किया गया था।

वर्ष 2021–22 में, महामारी के बाद विमानन क्षेत्र में सुधार के कारण एआईईएसएल त्रिवेंद्रम एमआरओ ने तीसरे पक्ष (स्पाइसजेट) से व्यवसाय पुनः प्राप्त कर लिया और स्पाइसजेट विमान पर प्रमुख अनुरक्षण जांच पूरी कर ली है जो जून 2019 से मार्च 2022 तक कुल 18 विमानों पर की गई है। एमआरओ ने अपनी लागत में अतिरिक्त वृद्धि किए बिना पर्याप्त अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। अगस्त 2023 तक एमआरओ के पास समग्र रूप से 28 स्पाइसजेट विमान हैं और कई विमान बेडे में शामिल किए जाने के लिए संभावित हैं। एमआरओ ने अपनी लागत में बहुत अधिक वृद्धि किए बिना पर्याप्त अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है।

एमआरओ में बेस रखरखाव की सुविधा है जो किसी भी समय दो विमानों को ट्विन हैंगरों में प्रमुख जांच के लिए समायोजित करती है। एमआरओ अपने खुले एप्रन क्षेत्र में या नोज इन पोजिशन में अनुरक्षण के लिए दो अतिरिक्त विमान ले सकता है। एक विमान आम तौर पर या तो सी1, सी2 जांच सहित 12 वर्ष/10 वर्ष/6 वर्ष/8 वर्ष की जांच के दौरान लंबे समय की ग्राउंडिंग में है और दूसरा फेज जांच और मासिक जांच के लिए खडा है।

एमआरओ कई लाइन रखरखाव विमानों को भी पूरा करता है जिन्हें आधार रखरखाव सुविधाओं की आवश्यकता होती है जैसे कि घटक परिवर्तन, दोष सुधार, इंजन और एपीयू परिवर्तन आदि।

क. प्रमुख उपलब्धियांः

वर्ष 2020 में बेस अनुरक्षण और शॉप अनुरक्षण के लिए अपने बी737एनजी विमान के लिए अमेरिकी नियामक एफएए का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, एमआरओ ने 10 वर्ष तक की जांच के लिए ए320 परिवार के विमान के लिए एफएए का अनुमोदन प्राप्त किया था।

त्रिवेंद्रम एमआरओ बी737 और ए320 परिवार के विमानों के लिए एफएए अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला एमआरओ है। यह ए320 अनुमोदन एअर इंडिया के लिए ए320 एनईओ बेस रखरखाव कार्य के अनुबंध को समय पर लेने में परिणत हुआ, जो जनवरी 2023 से 6 वार्षिक जांच के लिए देय था।

त्रिवेंद्रम एमआरओ बेस एंड शॉप ने वर्ष 2022 में बेस अनुरक्षण और शॉप अनुरक्षण के लिए अपने बी737एनजी और ए320 परिवार विमानों के लिए अमेरिकी नियामक एफएए की मंजूरी प्राप्त की।

इस मंजूरी के साथ, एमआरओ ने विमान रखरखाव उद्योग में विश्वसनीयता अर्जित की है। एमआरओ अब अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए एफएए प्रमाणन के तहत थर्ड पार्टी की नौकरियों की तलाश कर रहा है। एमआरओ प्रमुख आधार रखरखाव कार्य करने के लिए स्पाइसजेट के साथ विस्तृत कार्य कर रहा है।

ख. आधार रखरखाव (उत्पादन) सांख्यिकीः (अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक)

- फेज जांच : 238
- मासिक चेक : 167
- वार्षिक चेक : 05
- एआईएक्स विमान पर सीः जांच : 19
- स्पाइस जेट 6/8/12–वार्षिक + सी1, सी2 जांच – 10 विमान
- एफएए प्रमाणीकरण के तहत 05 एअर इंडिया ए320 नियो विमानों की 6 वार्षिक जांच की जाती है।

ग. कंपोनेंट ओवरहॉल उत्पादन : (अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक)

बेस रखरखाव के अलावा, एमआरओ सीओडी की शॉप पहियों और ब्रेक ओवरहाल, बैटरी ओवीएचएल, ऑक्सीजन चार्जिंग आदि का काम करती है, जिससे राजस्व का एक बडा हिस्सा पैदा होता है।

- व्हील (मेन और नोज) – मात्रा 1136 (ओवरहॉल एवं टायर बदलना)
- ब्रेक – मात्रा 152 (ओवरहॉल एवं स्टैक बदलना)
- ऑक्सीजन – मात्रा 204 (चार्जिग)
- बैटरियां – मात्रा 116 (ओवरहॉल एवं चार्जिंग)

घ. वर्ष 2022–23 के लिए आय निम्नानुसार थाः

इन सुविधाओं ने अप्रैल 2022 – मार्च 2023 के दौरान 76.08 करोड रुपए की बीएमडी और सीओडी शॉप के लिए संयुक्त राजस्व अर्जित किया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए त्रिवेंद्रम एमआरओ प्रशासन के तहत बी737/ए320 रखरखाव से लाइन रखरखाव, मुंबई की शॉप और तीसरे पक्ष की जॉब सहित कुल राजस्व 124.74 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष का

राजस्व 90.36 करोड़ रुपये था, जिसमें पट्टेदारों के स्वामित्व वाले एआई और स्पाइसजेट विमानों के लिए किए गए कार्य भी शामिल हैं।

एमआरओ राजस्व में वृद्धि का श्रेय एआई एक्सप्रेस और स्पाइसजेट जैसे तीसरे पक्ष के विमानों पर बेस रखरखाव और शॉप में बढ़े हुए उत्पादन पर व्यापक काम को दिया गया है। एमआरओ ने स्पाइसजेट से 8.574 करोड़ रुपये और त्रिवेंद्रम पर बेस मेंटेनेंस चेक के लिए एआई से 5.9284 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है। कुल राजस्व में वर्ष के दौरान 2.85 करोड़ रुपये का एमटीओ राजस्व शामिल है।

तीसरे पक्ष के विमान– 10 स्पाइसजेट, 05 एअर इंडिया ए320 एनईओ और एक इंडिगो विमान का राजस्व एआईएक्सएल राजस्व के अलावा 14.562 करोड़ रुपये की दर से था।

हालाँकि, अप्रैल 2022 से आज तक, एमआरओ ने 5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व के साथ 06 स्पाइसजेट विमानों की सेवा की है।

ङ. वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 और 2022–23 के दौरान एआईएक्सएल का तुलनात्मक बिलिंग सारांश निम्नानुसार थाः

वित्तीय वर्ष	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
कुल राजस्व	90,23,26,688 रूपए	136,49,36,735 रूपए	62,43,44,389 रूपए	90,36,88,740 रूपए	**124,74,00,000 रूपए**

च. वर्ष 2022–23 के दौरान त्रिवेंद्रम एमआरओ की उपलब्धियांः

- एमआरओ ने 12 वर्ष तक की जांच के लिए ए320–फैमिली विमान पर प्रमुख रखरखाव जांच करने की अपनी क्षमता बढ़ाई है।
- त्रिवेंद्रम एमआरओ को सभी 03 प्रकार के विमानों ए319/320/321 और इसके इंजन अर्थात वी2500/सीएफएम56–7बी/लीप–1बी इंजन को कवर करने के लिए बोइंग बी 737 एन जी और ए320 परिवार के विमान पर एफ.ए.ए की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जो 10 वर्ष तक की जांच को कवर करते हैं।
- एमआरओ ने एअर इंडिया के 05 ए320 के लिए सफलतापूर्वक मुख्य जांच निष्पादित की है।
- एमआरओ को डीजीसीए और एफएए से बी737 –700/800/900 बीडीएफ और बीडीएसएफ अनुमोदन भी प्राप्त हुआ है।
- एमआरओ ने तत्पश्चात, स्पाइसजेट से संबंधित कई मालवाहक विमानों पर प्रमुख अनुरक्षण कार्य किया है और एआईईएसएल के लिए पर्याप्त मात्रा में राजस्व अर्जित किया है।
- एमआरओ ने बी737–700/800/900/900ईआर विमान पर 20 वर्षों तक प्रमुख रखरखाव जांच करने की अपनी क्षमता को बढ़ाया है।
- टीएटी के भीतर प्रमुख जांच करने और सर्वोत्तम रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राहकों–एअर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो से विश्वास प्राप्त किया। वर्ष 2022–23 के लिए 14.562 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है।

छ. भविष्य की परिचालन योजना के अनुसार एमआरओ निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की मंशा रखती हैः

o त्रिवेंद्रम पर बेस और लाइन रखरखाव के लिए डीजीसीए और एफएए अनुमोदन के तहत बी737–8/.9 मैक्स विमान को शामिल करना।

- o एमआरओ के लिए बी737 और ए320 विमानों को शामिल करने के लिए ईएएसए अनुमोदन।
- o डीजीसीए/एफएए/ईएएसए अनुमोदन के तहत बी737, ए320 परिवार संरचनात्मक समूह के लिए समग्र सामग्री/संरचनात्मक मरम्मत–सी20 अनुमोदन।
- o बी737–8/9 मैक्स और ए320 एनईओ विमान के पहियों और ब्रेकों के लिए ओवरहाल और मरम्मत के अलावा सीओडी पहियों और ब्रेकों की क्षमता में वृद्धि।
- o केबिन मरम्मत और नवीनीकरण/अपहाल्सटरी शॉप
- o हीट एक्सचेंजर की सफाई और परीक्षण।

ज. भविष्य में प्रस्तावित शॉप:

- o वैमानिकी सहायक उपकरण मरम्मत की शॉप
- o गैली इंसर्ट (ओवन, कॉफी, मेकर, बॉयलर आदि) मरमम्मत की शॉप
- o केबिन सुरक्षा और उत्तरजीविता उपकरण
- o एमआरओ के पास एनेक्स बिल्डिंग सहित (बाहरी निवेश के साथ) एक एनबी पेंटिंग हैंगर बनाने की भविष्य की योजना है जो एटीईसी शॉप और कंपोनेंट ओवरहाल शॉप को लगभग 2.79 एकड के खाली प्लॉट में एक विमान पेंटिग एवं अनुरक्षण हैंगर को एपैक्स बिल्डिंग सहित समायोजित कर सकती है।

III. जेईओसी (जेट इंजन ओवरऑल काम्पलैक्स)

जेईओसी, दिल्ली एआईईएसएल का एक अभिन्न अंग है, जो कंपनी के राजस्व के प्रमुख भाग में योगदान देता है। वित्त वर्ष **2022–23** के दौरान जेईओसी, दिल्ली का निष्पादन इस प्रकार है :

- कुल उत्पादित इंजनों की संख्या 14 (मेसर्स एअर इंडिया के लिए 12, मेसर्स गो एयर के लिए 01 और मेसर्स एयर एशिया के लिए 01) थी।
- मेसर्स एअर इंडिया से जेईओसी द्वारा उत्पन्न राजस्व लगभग 14 करोड़ रूपए है, जो 12 इंजनों के उत्पादन और लीज रिटर्न निरीक्षण, वीडियो बीएसआई, नोजल परिवर्तन, एलईएपी1ए और 56–5बी सीएफएम इंजन पर इन्वेंट्री जांच आदि सहित किए गए अतिरिक्त कार्यों पर आधारित है।
- मेसर्स एअर इंडिया के कैप्टिव कार्यभार के अलावा, बाहरी पक्षों से वर्ष के दौरान उत्पन्न राजस्व लगभग 4 करोड रूपए था (किराया, पुर्जों की बिक्री और श्रम मानव घंटे सहित)
- मेसर्स एअर इंडिया की ओर से जेईओसी द्वारा दायर वारंटी दावों से संबंधित गतिविधि इस प्रकार है (10 अक्टूबर 2022 तक प्राप्त दावे) :

लीप 1ए	– 6.82 करोड़ रुपये
सीएफएम 56–5बी	– 14.12 करोड़ रुपये
कुल	**– 20.94 करोड़ रूपये (लगभग)**

वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ

- जेईओसी को ईएएसए 145.0661 के लिए बी1 और सी07 के तहत रेटिंग के साथ ईएएसए अनुमोदन मिला। इस रेटिंग में निम्न कार्य करने हैं :

- ➢ सीएफएम 56–5बी इंजन और उसके मॉड्यूल की ओवरहालिंग
- ➢ लीप 1ए और सीएफएम56–5बी इंजन के लिए ऑनविंग और इनहाउस बीएसआई
- ➢ फॉरवर्ड और आफ्ट इंजन माउंट असेंबली की ओवरहालिंग

- यह अनुमान लगाया गया है कि जेईओसी के लिए ईएएसए अनुमोदन के परिणामस्वरूप दुनिया भर में विभिन्न ग्राहकों से काम का बोझ बढ़ सकता है। इंजन ओवरहाल और परीक्षण के लिए विभिन्न ऑपरेटरों और पट्टेदारों अर्थात डब्ल्यूएलएफसी (मैसर्स विलिस) और मैसर्स ग्लोबल एयरोटेक आदि के साथ विभिन्न जीटीए निपटान के अंतिम चरण में हैं।
- जेईओसी जेटी8डी इंजन के लिए भारतीय वायु सेना और सीएफएम 56–5बी इंजन के लिए डीआरडीओ को समर्थन दे रहा है, जिससे कंपनी को अतिरिक्त राजस्व मिल रहा है।
- हमारी वर्तमान क्षमताओं के साथ बाहरी पक्षों से लगातार संपर्क करके कार्यों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
- जेईओसी ने तकनीकी जानकारी, टूलींग और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के लिए मेसर्स सेफ्रन के साथ संपर्क और निरंतर चर्चा के माध्यम से सीएफएम लीप इंजन पर अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं।
- जेईओसी लीप इंजनों की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वयं को और तैयार कर रहा है। प्रबंधन की समीक्षा के लिए जेईओसी टीम द्वारा सीएफएम लीप इंजन पर वित्तीय व्यवहार्यता लाने के लिए एक व्यावसायिक योजना भी बनाई गई है।

IV. मुंबई बेस (पश्चिमी क्षेत्र) : इस अवधि के दौरान पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर) का निष्पादन निम्नलिखित था :

➢ **ग्रुप – ए**

वर्ष 2022–23 **(बेड़ा–ए)** के दौरान निष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क. आधार अनुरक्षण पर प्रमुख जाँच गतिविधि :

➢ मूल अनुरक्षण–मुंबई में, वर्ष 2022–23 के दौरान ए–320 विमान पर किए गए चेक की संख्या इस प्रकार है:

- o ए–चेक – 44
- o पी–चेक – 87

➢ मुंबई–एनईसी बेस पर बाहरी पार्टियों के लिए विमानों हेतु इंजीनियरिंग हैंगर सुविधाए प्रदान करने के माध्यम से, वित्त विभाग एआईईएसएल, डब्ल्यूआर द्वारा प्रस्तुत इन्वाइसों के अनुसार, हमने वर्ष 2022–23 के दौरान 973.69 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) का राजस्व अर्जित किया है।

ख. लाइन रखरखाव :

➢ बेस और बाहरी स्टेशनों पर एयरबस उड़ानों का प्रमाणनः

- ▪ प्री–फ्लाइट चेक – 23,233
- ▪ नाइट हॉल्ट चेक – 1,755
- ▪ ले–ओवर निरीक्षण – 1,383
- ▪ साप्ताहिक निरीक्षण – 929
- ▪ 400 एफएच निरीक्षण – 100

➢ बेस और बाहरी स्टेशनों पर एटीआर उड़ानों का प्रमाणनः

- ट्रांजिट चेक — 4,929
- नाइट हॉल्ट — 137
- ले ओवर निरीक्षण — 120
- साप्ताहिक निरीक्षण — 45
- 400एफएच निरीक्षण — 2

➢ ग्राहक एयरलाइनों को प्रदान किया गया तकनीकी प्रमाणनः

पश्चिमी क्षेत्र ग्रेड–ए के विभिन्न स्टेशनों में मैसर्स टाटा एसआईए विस्तारा, मैसर्स एयर एशिया लिमिटेड, मेसर्स कतर एयरवेज, मैसर्स कुवैत एयरवेज, मैसर्स सिंगापुर एयरलाइंस, मेसर्स ओमान एयर, मैसर्स स्टार एयरलाइन, मैसर्स इंडोनेशियाई एयरलाइन, मैसर्स श्रीलंकाई एयरलाइंस, मैसर्स स्पाइस जेट और मैसर्स रॉयल नेपाल एयरलाइन, ग्राहक एयरलाइंनों के विमान (ए320 परिवार विमान) और वीवीआईपी उडानों का इंजीनियरिंग प्रमाणन का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र. सं	स्टेशन	पक्षा का नाम	अप्रैल–22	मई–22	जून–22	जुलाई –22	अगस्त –22	सितंबर–22	अक्तूबर –22	नवंबर –22	दिसंबर –22	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	कुल
1	मुंबई	श्रीलंकाई एयरलाइंस	40	52	36	35	37	28	44	37	44	45	41	44	**483**
		कुवैत	4	5	4	5	11	10	17	16	37	32	16	14	**171**
		रॉयल नेपाल एयरलाइंस	11	13	12	9	9	7	13	13	13	5	5	7	**117**
		थाई स्माईल	23	27	28	19									**97**
		फ्लाइ एनएएस							6	12	27	47	43	48	**183**
		गो एयरलाइंस							1						**1**
2	अहमदाबाद	कतर एयरवेज	20	23	22	21	22	21	22	25	27	23	20	22	**268**
		कुवैत	13	13	13	13	13	13	14	16	19	17	16	18	**178**
		वीवीआईपी उडानें						2							**2**
		हज उडाने				11									**11**
		वीवीआईपी							4	2	3				**9**
		एयर एशिया (इंडिया) लि.	1												**1**
		सिंगापुर एयरलाइन	12		21	22	21	22	22	21	23	22	20	22	**228**
3	गोवा	विस्तारा एयरबस	131	134	134	134	65								**598**
4	नागपुर	स्पाइस जेट										1			**1**
5	वडोदरा	वीवीआईपी	1												**1**
6	राजकोट	वीवीआईपी	1												**1**
7	सूरत	एअर इंडिया एक्सप्रेस लि.	8	8	9	9	8	8	9	9	13	13	12		**106**
		वीवीआईपी			1				3						**4**
8	जामनगर	वीवीआईपी	2						1						**3**
		आरसीडीएल										3	13	6	**22**
		अजर एयरलाइन										1			**1**
9	भुज	एयर एशिया						2							**2**
		कुल	**267**	**275**	**280**	**278**	**186**	**113**	**156**	**151**	**206**	**209**	**186**	**181**	**2488**

➢ पश्चिम क्षेत्र में तीसरे पक्ष के प्रमाणन से अर्जित राजस्वः वर्ष 2022–23 के दौरान उड़ानों के प्रमाणन के लिए ग्राहक एयरलाइनों से तीसरे पक्ष का राजस्व 366.75 लाख रूपए (जीएसटी को छोड़कर) था।

ग. एमटीओ इंजीनियरिंग प्रशिक्षण, एनईसी–मुंबईः हमने एनईसी, मुंबई में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान लगभग 1043.23 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) का राजस्व अर्जित किया है।

घ. एआईएएचएल और डीआरडीओं से राजस्वः इस अवधि के दौरान, हमने 191.60 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) का राजस्व अर्जित किया है।

ङ. ओवरहाल शॉप का उत्पादनः वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एआईईएसएल, मुंबई–एनईसी की ओवरहाल शॉप में सर्विस किए गए कंपोनेंट्स की संख्या इस प्रकार हैः

- o एएफ एसी ओएच शॉप – 918
- o ईएम शॉप – 34
- o इलेक्ट्रिकल ओएच शॉप – 541
- o इंस्ट्रूमेंट ओएच शॉप – 1173
- o रेडियो ओएच शॉप – 760

च. एआईएल से अर्जित राजस्वः वर्ष 2022–23 के दौरान विमान के प्रमाणन और प्रमुख रखरखाव के लिए एआईएल से प्राप्त राजस्व एआईईएसएल, डब्ल्यूआर ग्रेड–ए द्वारा बिलिंग के अनुसार 13,543.98 लाख रूपए (जीएसटी को छोड़कर) है।

छ. एएएल से अर्जित राजस्वः वर्ष 2022–23 के दौरान एटीआर उड़ानों के प्रमाणन के लिए एएएसएल से प्राप्त राजस्व एआईईएसएल, डब्ल्यूआर समूह–ए द्वारा बिलिंग के अनुसार 411.88 लाख रूपए (जीएसटी को छोड़कर)।

ज. वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एआईईएसएल, मुंबई–एनईसी की कुल आय इस प्रकार हैः

आय	राशि (लाख रूपए में)
एआईएल विमान के रखरखाव से अर्जित राजस्व	13,543.98
एएएल विमान के रखरखाव से अर्जित राजस्व	411.88
उड़ानों के प्रमाणन के लिए ग्राहक एयरलाइनों से तृतीय पक्ष राजस्व	366.75
इंजीनियरिंग ट्रेनिंग स्कूल से राजस्व	1,043.23
एआईएएचएल – डीआरडीओ से राजस्व	191.60
बाहरी पक्षों के विमानों को इंजीनियरिंग हैंगर सुविधाएं प्रदान करके प्राप्त आय	973.69
कुल आय (रूपए में)	**16,531.13**

झ. पश्चिमी क्षेत्र, समूह–ए की एमआरओ क्षमताएंः

- लाइन अनुरक्षणः विमान प्रमाणन के लिए बेस सहित 20 स्टेशनों की हैंडलिंग
- प्रमुख अनुरक्षणः
  – बेस पर विमान परिवारः – ए330, ए321 परिवार
- बेस अनुरक्षण
  - – एनडीटी निरीक्षण/एक्स–रे
  - – संरचना मरम्मत शॉप
  - – कम्पोजिट मरम्मत शॉप
  - – मशीन शॉप
  - – पेंटिंग/टेलरिंग
- एयरफ्रेम सहायक उपकरण/कम्पोसिट ओवरहाल शॉप
- वैमानिकी शॉप
  – इलेक्ट्रिकल और ओवरहॉल शॉप
  – इंस्ट्रूमेंट, और ओवरहॉल शॉप

  - रेडियो और ओवरहाल शॉप
- गुणवत्ता आश्वासन और तकनीकी सेवाएं
  - ए321 और 330 विमानों का क्यूए और टीएस
  - तेल और ईंधन परीक्षण प्रयोगशाला
  - लाइसेंसिंग, प्राधिकरण, ऑडिट, तकनीकी पुस्तकालय
- इंजीनियरिंग सुविधाएं
  - ट्रेस्टल्स आदि के सभी फैब्रिकेशन का रखरखाव और अनुरक्षण।
  - बिजली, कंप्रेस्ड वायु, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग जैसी उपयोगिताओं का अनुरक्षण
  - एमटीओ प्रशिक्षण केंद्र – एएमई और सेवा इंजीनियरों हेतु
  - इंजीनियरिंग प्रशिक्षण स्कूल (डीजीसीए स्वीकृत)
- उत्पादन योजना और नियंत्रणः
  - विमान के कलपुर्जों के लिए प्रावधान
  - प्रमुख जांचों के लिए रूट प्लानिंग
  - बजट और नियंत्रण
  - बाहरी पक्षों के लिए बिलिंग
  - प्रगति नियंत्रण और कार्य आदेश प्रकोष्ठ
  - अनुरक्षण और सामग्री योजना
  - बीमा/वारंटी दावा प्रबंधन
- औद्योगिक इंजीनियरिंगः
  - इंजीनियरिंग निष्पादन निगरानी
  - उत्पादकता विश्लेषण
  - अनुरक्षण कार्यकलापों के लिए मानव–घंटों के मानदण्डों का निर्धारण
  - जॉब कॉस्टिंग/इंजीनियरिंग कार्मिक नियोजन
  - उत्पादकता सुधार के उपाय जैसे, ओटी विश्लेषण/शिफ्ट सिस्टम आदि।
  - जनशक्ति अनुबंध निगरानी
  - विशेष अध्ययन
  - क्षेत्रीय हेल्पडेस्क (आरएचडी) (रैमको सिस्टम में प्री–फ्लाइट, नाइट–हॉल्ट, ले–ओवर, साप्ताहिक, 400 फ्लाइट प्रति घंटे, कंपोनेंट रिप्लेसमेंट (सीआर), सामग्री अनुरोध (एमआर) से संबंधित विभिन्न पैकेज से संबंधित उड़ान डेटा को संभालना)
  - निविदा प्रक्रिया (हाउस कीपिंग, कार्यालय सहायक, रैंप वाहन और कर्मचारी परिवहन सेवाएं आदि)
  - पश्चिमी क्षेत्र, ग्रेड–ए के लिए राजस्व और लाभप्रदता के साथ एआईएल बिलिंग, एएएल बिलिंग

❖ **समूह – बी**

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान समूह–बी द्वारा पूरे किए गए चेकों का अवलोकन नीचे दिया गया हैः मुंबई में किए गए चेकों का विवरण

- किए गए कुल 'डी' चेक – 0
- किए गए कुल 'सी' चेक – 18
- किए गए कुल 'फेज' चेक – 37
- किए गए कुल 'ए' चेक – 153
- किए गए कुल 'ट्रांजिट' चेक – 1,870

क. इंजन ओवरहाल (मुंबई) में मरम्मत/ओवरहाल किए गए इंजनों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

माह/वर्ष	पीडब्ल्यू4056	सीएफएम 56–7बी	जीई 90	जनेक्स	कुल
अप्रैल–22 से मार्च–23	-	9	4	21	34

ख. तीसरे पक्ष से आय 796 लाख रूपए थी। इस अवधि के दौरान किए गए थर्ड पार्टी कार्य मुख्य रूप से निम्नानुसार थे:

- ➢ सीएफएम56–7बी स्पेक्टर कार्गो के स्टेज 1 और 4 डिस्क और एलपीटी मॉड्यूल का प्रतिस्थापन।
- ➢ जेट एयरवेज इंजन का बोरस्कोप निरीक्षण।
- ➢ वीवीआईपी ऑपरेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 बी777 विमानों का रखरखाव।

V. दिल्ली बेस (उत्तरी क्षेत्र)

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान उत्तरी क्षेत्र (नेरो बॉडी) की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं:

- एनबी विमान के कुल 6856 थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन (एआई एवं ग्रुप के अलावा कंपनियों/एएएल/भारतीय वायु सेना) के नेरो बाडी विमान दिल्ली और इसके बाहरी स्टेशनों में किए गए।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान एआईईएसएल, उत्तरी क्षेत्र ने 961.07 करोड़ रूपए का कुल राजस्व अर्जित किया।

  (राजस्व वितरण का ब्यौरा) :

  - ➢ एआईएल बेड़े हेतु : 645.86 करोड़ (नैरो बॉडी – 386.76 करोड़, वाइड बॉडी – 259.10 करोड़)
  - ➢ एएएल बेड़े हेतु : 23.67 करोड
  - ➢ एआईएक्सएल बेड़े हेतु : 8.16 करोड
  - ➢ एसईएसएफ की ओर (कुल नेटवर्क) : 246.22 करोड़
  - ➢ भारतीय वायुसेना की ओर : 13.5 करोड़, और
  - ➢ एआई और समूह कंपनियों/एएएल/आईएएफ के अलावा अन्य पक्ष : 23.66 करोड़।

- **बेस अनुरक्षण पर प्रमुख जाँच गतिविधि:**

  बेस अनुरक्षण, एनआर में, वर्ष 2022–23 के दौरान एअर इंडिया के एयरबस बेड़े पर की गई जांचों की संख्या इस प्रकार है:

  - o 1ए–चेक – 41
  - o 2ए–चेक – 48
  - o 3ए–चेक – 41
  - o 4ए चेक – 46
  - o पैकेज (पी1–पी25) – 41(*)
  - o इंजन परिवर्तन गतिविधि – 62
  - o 6 वर्षीय चेक – 1
  - o 12 वर्षीय चेक – 1
  - o 1बी चेक – 9
  - o 2बी चेक – 4
  - o 1सीचेक – 6
  - o विमान में प्रमुख संरचनात्मक मरम्मत – 5

(*) : एअर इंडिया द्वारा ए320 एनईओ एयरक्राफ्ट पर पैकेज कार्य, सितंबर 2022 से बंद कर दिया गया और इसे बी और सी चेक से प्रतिस्थापित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान उत्तरी क्षेत्र (वाइड बाडी) में प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं :

- वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान एआईईएसएल, उत्तरी क्षेत्र ने कुल 961.07 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।

  (राजस्व वितरण इस प्रकार है)

  ➢ एआईएल बेड़े हेतु : 645.86 करोड़ (नैरो बॉडी – 386.76 करोड़, वाइड बॉडी – 259.10 करोड़)

- एअर इंडिया की बी787 / बी777 उड़ानों पर कुल 7893 ट्रांजिट जांच की गईं।

- **आधार रखरखाव पर प्रमुख जांच गतिविधि :**

  बेस मेंटेनेंस, एनआर–वाइड बॉडी में, 2022–23 के दौरान एअर इंडिया के बोइंग बेड़े पर की गई जांच की संख्या इस प्रकार है :

  o बी787 ए–चेक – 93

  o बी777 ए–चेक – 184

VI. हैदराबाद बेस (दक्षिणी क्षेत्र):

वर्ष 2022–23 (बेड़ा–ए) के दौरान निष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

हैदराबाद में एआईईएसएल एमआरओ अपने अत्याधुनिक और एआईईएसएल नेटवर्क में सबसे नवीनतम एमआरओ के साथ विमान अनुरक्षण सेवा में सबसे अग्रणी है। हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप को प्रदान की जाने वाली इंजीनियरिंग सेवाओं और इन राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए उत्तरदायी है। हम विनियामक और सुरक्षा अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए ग्राहकों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित सेवाएं प्रदान करते हैं।

क) हैदराबाद हैंगर की क्षमता

ए320 (आईएई वी2500)

''8सी'' जांच तक और 12 वर्ष की जाँच, 20 वर्ष के कार्य, ओओपी कार्यों सहित।

ए319 / ए320 / ए321 (सीएफएम 56)

''ए'' जांच और इसके गुणक तथा कार्य पैकेज 12 वर्ष तक जांच, आशोधन, संरचनात्मक मरम्मत और निरीक्षण के साथ ओओपी कार्यों सहित 20 वर्ष के निरीक्षण कार्य।

ए320 (सीएफएम लीप 1ए)

''ए'' चेक और इसके गुणक और आशोधन, संरचनात्मक मरम्मत और निरीक्षण के साथ ओओपी कार्यों सहित 144 महीने / 45000 एफएच / 36000 एफसी निरीक्षण तक

एटीआर 72–212ए (पीडब्ल्यूसी पीडब्ल्यू120)

''4सी'' चेक तक के सभी एमपीडी कार्य, 70,000 उड़ान लैंडिंग, 46,000 उड़ान घंटे, आशोधन, संरचनात्मक निरीक्षण, मरम्मत और ओओपी कार्यों सहित 15 वर्षों की जाँच कार्य।

➢ ए320 इंजन परिवर्तन, इंजनों का बोरस्कोप निरीक्षण, राम एयर टर्बाइन टेस्ट, चुंबकीय कण और फ्लोरोसेंट कण निरीक्षण, एडी करंट टैस्ट और अल्ट्रासौनिक टेस्टिंग जैसी विशेष सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

ख) दक्षिणी क्षेत्र, बेडा–ए में की गई रखरखाव गतिविधि की मुख्य विशेषताएं

➤ **शमशाबाद हैंगर, हैदराबाद में प्रमुख जांच गतिविधि :**

बेस मेंटेनेंस, हैदराबाद में, वर्ष 2022–23 के दौरान किए गए चेक की संख्या इस प्रकार है :

एयरबस बेडा	एटीआर बेडा
ए चेक – 20 पी चेक (पी1 से पी 25)–35 6 वर्षीय (पी14)– 1 12 वर्षीय (पी17) – 1 इंजन परिवर्तन गतिविधि – 1	ए जाँच – 7 400 और उससे अधिक एफएच चेक – 9 वार्षिक जाँच – 8

➤ **दक्षिणी क्षेत्र, बेडा–ए में लाइन रखरखाव गतिविधि :**

एआईएल के ए320 बेडा विमान	एएएल के एटीआर विमान	ग्राहक एयरलाइनें
परगमन : 15297 रात्रि विश्राम : 885 ले–ओवर निरीक्षण : 658 साप्ताहिक निरीक्षण : 453 400एफएच निरीक्षण : 37	परगमन : 9235 रात्रि विश्राम : 740 ले–ओवर निरीक्षण : 664 साप्ताहिक निरीक्षण : 275 400एफएच निरीक्षण : 35 ए जाँच : 6	इंजीनियरिंग प्रमाणन : 2500 तकनीकी हैंडलिंग/हेडसेट सहायता सेवा : 348

ग) दक्षिणी क्षेत्र, बेडा–ए के लिए वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अर्जित राजस्व का विवरण

क. सं.	विवरण	राशि रूपए में (लाख में)
1	एआईएल के ए320 बेडे विमानों के रखरखाव से अर्जित राजस्व	8096.46
2	एएएल के एटीआर विमानों के रखरखाव से अर्जित राजस्व	1950.25
3	तृतीय–पक्ष ग्राहक उड़ानों (कतर, कुवैत, रॉयल नेपाल, टाटा एसआईए, एयर एशिया बरहाद, स्कूट टाइगर एयर आदि) के इंजीनियरिंग प्रमाणन से अर्जित राजस्व	367.35
4	सीएबीएस (डीआरडीओ) के लिए बेंगलुरु में ए319 विमान के रखरखाव से अर्जित राजस्व	1586.86
5	ग्राहकों को प्रदान की गई तकनीकी हैंडलिंग/हेडसेट सहायता सेवा से अर्जित राजस्व	40 (लगभग)
6	हैदराबाद में बाहरी पक्षों के विमान घटक सर्विसिंग के माध्यम से अर्जित राजस्व	7.84
7	एएमई प्रशिक्षुओं/ऑन जॉब प्रशिक्षुओं (6 महीने और 1 महीने ऑन जॉब ट्रेनिंग आदि)/सीएआर147 बेसिक एमटीओ छात्रों से अर्जित राजस्व	28.25
8	बाहरी पक्षों के विमानों को चेन्नई में इंजीनियरिंग हैंगर सुविधाएं प्रदान करके आय	112.64
9	विविध राजस्व (उपकरण का ऋण, स्क्रैप बिक्री, सांग सुधार और एओजी तकनीकी सहायता आदि)	32.69
	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अर्जित कुल राजस्व	**12222.34**

क) प्रमुख उपलब्धियाँ :

- ➢ सभी ओवरहाल शॉपों (एएफ और एवी शॉपं) की जनशक्ति और सुविधा के एकीकरण ने जनशक्ति का बेहतर उपयोग और संचालन की कम लागत सुनिश्चित की है।

VII. कोलकाता बेस (पूर्वी क्षेत्र) के दौरान प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं : वर्ष 2022–23 (बेड़ा–ए) के दौरान निष्पादन की मुख्य विषेषताएं इस प्रकार हैं:

क. लाइन अनुरक्षण:

➢ बेस और बाहरी स्टेशनों पर एयरबस उड़ानों (एआई) का प्रमाणनः
- कोलकाता में प्रीफ्लाइट — 5436
- ले–ओवर निरीक्षण — 440
- साप्ताहिक निरीक्षण — 212
- 400एफएच निरीक्षण — 17
- नाइट हॉल्ट पीएफ — 981
- बाहरी स्टेशनों पर पीएफ — 8537

➢ वाइड बाडी (एआई) विमानों का बेस (आईओसीसी रिपोर्ट के अनुसार)
- उडान पूर्व — 54

➢ बेस और बाहरी स्टेशनों पर एटीआर उड़ानों का प्रमाणनः
- ट्रांजिट जांच — 8226
- नाइट हॉल्ट — 548
- ले–ओवर निरीक्षण — 516
- साप्ताहिक निरीक्षण — 211

➢ ग्राहक एयरलाइंस को प्रदान किया गया तकनीकी प्रमाणनः

ग्रहक एयरलाइनों मैसर्स एयर विस्तारा, मेसर्स एयर एशिया, मेसर्स बिमान बांग्लादेश, मेसर्स सिंगापुर एयरलाइंस के क्लाइंट एयरलाइंस विमान (ए320 परिवार विमान) का इंजीनियरिंग पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न स्टेशनों और कोलकाता में प्रदान किया गया इंजीनियरिंग प्रमाणन निम्नानुसार प्रदान किया गया है।

वर्ष 2022–2023 के दौरान किए गए तृतीय–पक्ष प्रमाणन की संख्या (एयरबस समूह)															
क.सं	स्टेशन	एयरलाइंस	अप्रैल–22	मई–22	जून–22	जुलाई –22	अगस्त –22	सितंबर–22	अक्तूबर –22	नवंबर –22	दिसंबर –22	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	कुल
1	भुवनेश्वर	विस्तारा	100	93	119	130	138	138	155	-	-	-	-	-	873
2	रांची	विस्तारा	60	62	59	31	31	31	31	30	31	33	28	31	458
3	गुवाहाटी	विस्तारा	120	94	92	94	89	89	93	90	60	-	-	-	821
4	बागडोगरा	विस्तारा	29	62	57	61	61	61	61	60	62	62	58	62	696
5	डिब्रगढ़	विस्तारा	51	54	49	31	31	31	54	52	52	54	48	52	559
6	पोर्ट ब्लेयर	विस्तारा	22	22	30	18	18	18	27	20	25	27	20	23	270
		एयर एशिया	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
7	अगरतला	विस्तारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8	पटना	विस्तारा	60	60	60	62	62	62	61	51	54	45	46	55	678
9	काठमांडू	विस्तारा	30	31	30	31	31	31	31	45	62	62	56	62	502
10.	कोलकत्ता	एयर एशिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	28	31	77
	कुल		**476**	**481**	**496**	**458**	**461**	**461**	**513**	**348**	**346**	**301**	**284**	**316**	**4941**

वर्ष 2022–2023 के दौरान किए गए तृतीय–पक्ष प्रमाणन की संख्या (विदेशी एयरलाइंस)															
क्र.सं	स्टेशन	एयरलाइंस	अप्रैल–22	मई–22	जून–22	जुलाई –22	अगस्त –22	सितंबर –22	अक्तूबर –22	नवंबर –22	दिसंबर –22	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	कुल
1	कोलकाता	बिमान बांग्लादेश	34	38	38	32	31	31	30	30	33	31	29	36	**393**
2	कोलकाता	सिंगापुर एयरलाइंस	30	30	30	31	31	31	31	30	31	31	28	31	**365**
कुल			**64**	**68**	**68**	**63**	**62**	**62**	**61**	**60**	**64**	**62**	**57**	**67**	**758**

- एआईईएसएल, ईआर, के वित्तीय विभाग द्वारा प्रस्तुत इन्वाइसों के अनुसार तीसरा पक्ष प्रमाणन से अर्जित राजस्वः 2022–23 के दौरान उडानों के प्रमाणन के लिए क्लाइंट एअरलाइंस से थर्ड पार्टी का राजस्व रु. 828.31 लाख (जीएसटी को छोडकर) है।

ख. बेस अनुरक्षण पर प्रमुख जांच गतिविधि :

- बेस मेंटेनेंस, कोलकाता में, वर्ष 2022–23 के दौरान ए–320 बेडा विमानों और एटीआर42/72 विमानों पर किए गए चेकों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष 2022–23 में बीएम, पूर्वी क्षेत्र में ए320 बेडा (प्रमुख जाँच)।

- ए–चेक – 46
- 2ए–चेक – 21
- 4ए–चेक – 12
- पैकेज (पी1 –पी31) – 68
- पी25–12 वर्ष चेक – 05
- एआरसी – 11
- बीएसआई – 26

वर्ष 2022–23 में बीएम, पूर्वी क्षेत्र में एटीआर 42/72 (प्रमुख जांच)

1) 1ए से 10ए चेक – 15
2) वार्षिक चेक – 08
3) 4000एफएच चेक – 02
4) 5000एफएच चेक – 05
5) 8000एफएच चेक – 02
6) 10000एफएच चेक – 04
7) 400एफएच चेक – 05
8) एआरसी – 01
9) बीएसआई – 16
10) इंजन परिवर्तन – 01

- कोलकाता मे बाहरी पक्षों के विमानों के लिए इंजीनियरिंग हैंगर सुविधाएं देकर, हमने वित्त एआईईएसएल, ईआर द्वारा उठाए गए चालानों के अनुसार 2022–23 के दौरान 117.56 लाख रुपए (जीएसटी को छोडकर) का राजस्व अर्जित किया है।
- वर्ष 2022–23 के दौरान विविध कार्यों जैसे उपकरण का ऋण, नियत प्रभार आदि के माध्यम से 13.30 लाख रुपए का राजस्व (जीएसटी को छोडकर)।

ग. इंजीनियरिंग प्रशिक्षण स्कूल, कोलकाता : ईटीएस, कोलकाता में बाहरी एजेंसियों को प्रशिक्षण सुविधाएं देकर हमने अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान रु. 91.97 लाख (जीएसटी को छोडकर) का लगभग राजस्व अर्जित किया है।

घ. भारतीय वायु सेना से राजस्व : इस अवधि के दौरान, हमने एपीयू सर्विसिंग और आईएएफ के घटकों से 120.13 लाख रुपए (जीएसटी को छोडकर) का राजस्व अर्जित किया है।

ड. ओवरहाल की शॉप का उत्पादन : ओवरहाल शॉप, एआईईएसएल, ईआर पर सेवित घटकों की संख्या इस प्रकार हैः

i.	एएफ एसी ओएच शॉप (सर्विसिंग लाइफ जैकेट सहित)	–	3706
ii.	एपीयू और इंजन ओएच शॉप	–	82
iii.	इलेक्ट्रिकल ओएच शॉप	–	303
iv.	उपकरण ओएच शॉप (मदों के अंशांकन सहित)	–	2283
v.	रेडियो ओएच शॉप	–	452

च. एआईएल से अर्जित राजस्व : आईई बोम्बे, एआईईएसएल द्वारा प्रस्तुत जेबीए के अनुसार, 2022–23 के दौरान एआईएल से विमान (अतिरिक्त जॉब/कॉलआउट सहित) के प्रमाणन और प्रमुख अनुरक्षण के लिए 15570.14 लाख रुपए (जीएसटी के अलावा) का राजस्व प्राप्त हुआ।

छ. एएएल से अर्जित राजस्व : एआईईएसएल, पूर्वी क्षेत्र द्वारा बिलिंग के अनुसार 2022–23 के दौरान एटीआर उडानों के प्रमाणीकरण के लिए एएएसएल से राजस्व 1647.77 लाख (जीएसटी के अलावा) है।

ज. वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एआईईएसएल, कोलकाता की कुल आय इस प्रकार थीः

आय	राशि (रूपए)
एआईएल विमान के रखरखाव से अर्जित राजस्व	रु. 15570.14 लाख
एएएल विमान के रखरखाव से अर्जित राजस्व	रु. 1647.77 लाख
उडानों के प्रमाणन के लिए ग्राहक एअरलाइनों से तृतीय पक्ष राजस्व	रु. 828.31लाख
इंजीनियरिंग ट्रेनिंग स्कूल, कोलकाता से राजस्व	रु. 91.97 लाख
आईएएफ से राजस्व	रु. 120.13 लाख
बाहरी पार्टी विमान को इंजीनियरिंग हैंगर सुविधाएं देने के माध्यम से आय	रु. 117.56 लाख
विविध कार्य करने से आय	रु. 13.30 लाख
कुल आय	**रु. 18389.18 लाख**

VIII. विदेशी प्रचालन

क. काठमांडू

एआईईएसएल काठमांडू में अपने शाखा कार्यालय के माध्यम से एअर इंडिया लिमिटेड और टाटा एसआईए को उनके ए320 बेड़े के लिए लाइन रखरखाव सेवाएं प्रदान कर रहा है। एआईईएसएल का पहले से ही टर्मिनल भवन में एक कार्यालय है और लाइन रखरखाव के सुचारू संचालन के लिए एयरसाइड पर स्थल के लिए मेसर्स बुद्धा एयर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रारंभ में, हमारे पास ए320 की क्षमता है और बी737 बेड़े के लाइन रखरखाव को पूरा करने की व्यापक संभावना है। ओमान एयर और एयर एशिया पहले ही लाइन रखरखाव के लिए हममें अपनी रुचि दिखा चुके हैं। वर्तमान में एआईईएसएल प्रति सप्ताह लगभग 32 उड़ानों की हैंडलिंग कर रहा है।

हमने कराधान और अन्य वित्तीय संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए काठमांडू में एक सलाहकार को भी नियुक्त किया है।

ख. सैफजोन –

एआईएएसएल ने एआई और एआईएक्स विमानों को लाइन अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2017 में शारजाह (एसएचजे) में अपना शाखा कार्यालय स्थापित किया है। इसके अलावा, एआईईएसएल ने दुबई और रास–एएल खैमा में अपने फ्लाइट हैंडलिंग ऑपरेशन का विस्तार किया है। एआईईएसएल यूएई अपने संचालन के दूसरे वर्ष में लाभदायक हो गया है। इसके अलावा एआईईएसएल ने एआई और एआईएक्स विमानों की एलएम हैंडलिंग के लिए अबू धाबी हवाईअड्डे तक अपने नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बनाई है और यूएई में भारतीय पंजीकृत विमानों की एलएम हैंडलिंग गतिविधि के विस्तार की प्रक्रिया जारी है।

लेकिन कोविड–19 महामारी के कारण, आगे के विस्तार में बाधा उत्पन्न हुई और बबल समझौते/वंदे भारत मिशन के तहत उड़ान प्रचालनों के बंद होने या उड़ान के सीमित प्रचालन के कारण एआईईएसएल यूएई शाखा की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

कोविड–19 महामारी दिशानिर्देशों के सामान्य होने और यात्रा प्रतिबंध में आसानी के साथ अब उड़ान प्रचालन सामान्य हो गया है और उड़ान आवृत्ति भी बढ़ गई है। इससे राजस्व में वृद्धि हुई है।

अब एआईईएसएल फिर से संयुक्त अरब अमीरात में अपने व्यवसाय के विस्तार की ओर अग्रसर हो रहा है और अबू धाबी हवाईअड्डे पर अपने नेटवर्क के विस्तार की संभावनाओं को खोज रहा है।

माले में संभावित व्यवसाय के आधार पर, एआईईएसएल लाइन रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए माले (मालदीव) में एक शाखा कार्यालय खोलने की भी योजना बना रहा है।

9. राजभाषा कार्यान्वयन

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग (राभा), द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार के राजभाष नीति के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के सभी विभागों द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

एआईईएसएल द्वारा राजभाषा नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

10. आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

सरकार के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण नीति लागू की गई थी।

11. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन

सभी चार क्षेत्रों और निगमित कार्यालय में नोडल अधिकारियों/सीपीआईओ/अपीलीय अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान आरटीआई आवेदनों का विवरण निम्नानुसार हैः

- वर्ष के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों की संख्या : 51
- वर्ष के दौरान निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या : 31
- वित्त वर्ष के अंत तक लंबित आरटीआई आवेदनों की संख्या : 20

12. कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन की रोकथाम के तहत प्रकटीकरण (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013

कंपनी में अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समय–समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति को रखा गया है। अधिनियम की धारा 22 के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी में यौन उत्पीड़न के मामलों, यदि कोई हो, का विवरण निम्नानुसार है:

- वर्ष में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या: शून्य
- वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या: शून्य
- नब्बे से अधिक दिनों तक लंबित मामलों की संख्या: शून्य
- यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या: 03
- कंपनी द्वारा किए गए उपचारात्मक उपाय: कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा कर्मचारी की तैनाती और समय–समय पर काउंसलिंग की जाती है। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए तीसरे पक्ष के माध्यम से महिला सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात किया जाता है और किसी भी उत्पीड़न का मामला प्राप्त होने पर सॉलिसिटर मेसर्स आर.एन. मजूमदार एंड एसोसिएट्स को तीसरे पक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है।

13. एमएसएमई अनुपालन

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करने के लिए एआईईएसएल का हमेशा से प्रयास रहा है। एआईईएसएल ने एमएसई से निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति को लागू करने सहित कई कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान एमएसई से वास्तविक खरीद 897.36 लाख रुपए थी।

14. प्रबंधन

14.1 निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के निदेशकों के गठन के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:

क.सं	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	कार्यकाल समाप्ति तिथि
1.	*श्री विक्रम देव दत्त	अध्यक्ष	27-01-2022	28-02-2023
2.	***श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	निदेशक (01–03–2023 से अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित)	02-02-2017	-
3.	श्री विमलेन्द्र आनंद पटवर्धन	निदेशक	20-03-2020	14-12-2022
4.	**श्रीमती. परमा सेन	महिला निदेशक	11-02-2022	-
5.	श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा (राजेश सिंह)	निदेशक	14-12-2022	18-01-2023
6.	श्री पदम लाल नेगी	निदेशक	18-01-2023	-

* नागर विमानान मंत्रालय (एमओसीए) ने अपने आदेश दिनांक 28–02–2023 के तहत, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में महानिदेशक के रूप में श्री विक्रम देव दत्त की नियुक्ति के उपरांत, श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, संयुक्त

सचिव, ना.वि.मं को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएसएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 01–03–2023 से तीन माह की अवधि के लिए या सीएमडी, एआईएएचएल की नियमित नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, सौंपा है। चूंकि श्री विक्रम देव दतत नागर विमानन महानिदेशालय में महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। इसे देखते हुए, एआईईएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैः

श्री विक्रम देव दत्त, एआईईएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक और अध्यक्ष के रूप में दिनांक 28–02–2023 से पदमुक्त हो गए। इसके अलावा, एआईईएसएल बोर्ड द्वारा दिनांक 13–03–2023 को अपेक्षित प्रस्ताव पारित किया। इसके अनुसार दिनांक 10–03–2023 के संदर्भ पत्र द्वारा परिपत्रित एआईईएसएल/एचक्यू/सीएस/10/05/2022–23 श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा को एआईईएसएल के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में नामांकित और निर्वाचित किया था एमओसीए/होल्डिंग कंपनी से कोई अगला निर्देश मिलने तक।

** इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा फाइल संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 12–12–2023 के माध्यम से जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के संदर्भ में, श्री राहुल जैन, संयुक्त सचिव (जेएस) दीपम को दिनांक 12–12–2023 से श्रीमती परमा सेन के स्थान पर एआईईएसएल के बोर्ड में नामित किया गया है। इसके दृष्टिगत, एआईईएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैः

श्रीमती परमा सेन एआईईएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक के रूप में दिनांक 12–12–2023 से पदमुक्त हो गई। इसके अलावा, एआईईएसएल बोर्ड द्वारा परिपत्रित एआईईएसएल/एचक्यू/सीएस/10/02/2022–23 दिनांक 12–12–2023 के संदर्भ पत्र द्वारा श्री राहुल जैन को एआईईएसएल के बोर्ड में नामिति निदेशक के रूप में दिनांक 12–12–2023 से नियुक्त किया था और दिनांक 13–12–2023 को अपेक्षित प्रस्ताव पारित किया।

*** तत्पश्चात, नागर विमानपन मंत्रालय द्वारा फाइल संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 02–02–2024 के माध्यम से जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसार, नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव (जेएस) श्री असंगबा चुबा आओ को एआईईएसएल के बोर्ड में श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा के स्थान पर दिनांक 01–01–2024 से नामांकित किया गया। इसे देखते हुए, एआईईएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुएः

श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा एआईईएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक और अध्यक्ष के रूप में दिनांक 01–01–2024 से कार्यमुक्त। इसके अलावा, एआईईएसएल बोर्ड द्वारा दिनांक 07–02–2024 को अपेक्षित प्रस्ताव पारित एवं परिपत्रित एआईईएसएल/एचक्यू/सीएस/10/03/2023–24 संदर्भ पत्र द्वारा श्री असंगबा चुबा आओं को दिनांक 01–01–2024 से एआईईएसएल के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में नामांकित और निर्वाचित किया था एमओसीए/होल्डिंग कंपनी से कोई अगला निर्देश मिलने तक।

इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 26–02–2024 को जारी आदेश के साथ पठित फाइल संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 08–02–2024 के माध्यम से ना.वि.मं. द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के संदर्भ में, एआईईएसएल के बोर्ड पर निम्नलिखित परिवर्तन हुएः

श्रीमती नयोनिका दत्ता, संयुक्त निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय को दिनांक 12–02–2024 (अर्थात जिस दिन से उन्हें अपना निदेशक पहचान संख्या प्राप्त हुआ) से एआईईएसएल के बोर्ड में नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है

इस रिपोर्ट की तारीख तक, श्री असंगबा चुबा आओ के पास दो पद हैं अर्थात एआईईएसएल के बोर्ड में सीएमडी, एआईएएचएल और संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय।

बोर्ड ने बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान और कंपनी की बोर्ड स्तरीय समितियाँ में अध्यक्ष के रूप में, श्री विक्रम देव दत्त, अध्यक्ष और नामांकित निदेशक के रूप में श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, नामांकित निदेशक के रूप में श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन और नामित निदेशक के रूप में श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए अपनी सराहना व्यक्त की है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) :

क.सं	नाम	पदनाम	नियक्ति की तिथि	पदमुक्त होने की तिथि
1	श्री जोस मैथ्यू	सी ई ओ	30-07-2021	30-04-2022
2	श्री शरद अग्रवाल	सी ई ओ	01-05-2022*	-
3	श्री गोपाल कृष्ण वलेचा	सी एफ ओ	09-11-2021	20-05-2022
4	श्री श्री राकेश कुमार जैन	सी एफ ओ	20-05-2022	-
5	सुश्री साक्षी मेहता	कंपनी सचिव	09-11-2021	-

* तत्कालीन कार्यपालक निदेशक (इंजीनियरिंग), श्री शरद अग्रवाल को दिनांक 01.05.2022 को नियमित सीईओ की भर्ती तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में कंपनी के सीईओ का प्रभार सौंपा गया था। इसके बाद, नियमित सीईओ की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद श्री शरद अग्रवाल को दिनांक 01.10.2022 को कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है।

14.2 निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013, (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम 2014, डीपीई के प्रावधानों (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) दिशानिर्देश 2010 के अनुसार और कॉरपोरेट मंत्रालय द्वारा इस संबध के अनुसार कंपनी बोर्ड की आठ बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गईं। नियम, डीपीई और इस संबंध में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के अनुसार, बोर्ड की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क.सं	बैठक	बैठक की तारीख	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	76वी	06-04-2022	4	3
2.	77वी	20-05-2022	4	3
3.	78वी	01-07-2022	4	4
4.	79वी	13-09-2022	4	4
5.	80वी	20-10-2022	4	3
6.	81वी	27-12-2022	4	3
7.	82वी	18-01-2023	4	2
8.	83वी	17-03-2023	3	3

14.3 बोर्ड समितियाँ:

कंपनी के बोर्ड की निम्नलिखित समितियाँ हैं:

क) लेखापरीक्षा समिति

ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

क. लेखापरीक्षा समिति

कॉरपोरेट गवर्नेंस के भाग के रूप में और कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में, लेखापरीक्षा समिति का गठन मूल रूप से संदर्भ शर्तों को अपनाने वाले निदेशक मंडल की स्वीकृति से मार्च 2016 में किया गया था और होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नामित निदेशकों में कोई परिवर्तन होने पर समय समय पर इसका पुनर्गठित किया गया था। इसके अलावा, नागर विमानान मंत्रालय (एमओसीए) ने समय–समय पर जारी किए गए अपने कई कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से एआईईएसएल के बोर्ड का पुनर्गठन किया था और परिणामस्वरूप बोर्ड ने समय–समय पर बोर्ड समितियों के साथ–साथ लेखापरीक्षा समिति का भी पुनर्गठन किया था। इसके बाद, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 28–02–2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, दिनांक 10–03–2023 के पत्र सं एआईईएसएल/एचक्यू/सीएस/10/05/2022–23 को दिनांक 13 मार्च 2023 को परिपत्रित करके एक प्रस्ताव पारित करके एआईईएसएल की लेखापरीक्षा समिति को बोर्ड द्वारा फिर से पुनर्गठित किया गया।

समिति की संरचना :

दिनांक 31–03–2023 को, पदेन क्षमता में निम्नलिखित लेखापरीक्षा समिति के सदस्य थे :

निदेशक का विवरण	समिति में धारित पद
श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव एवं वित सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, सीएमडी, एआईएएचएल एवं संयुक्त सचिव, एआई प्रभाग, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
श्रीमती परम सेन, संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम	सदस्य

ख. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं के अनुपालन में, बोर्ड ने मूल रूप से 08–11–2019 को एक सीएसआर समिति का गठन किया। हालाँकि, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों द्वारा बोर्ड के पुनर्गठन के बाद, एआईईएसएल के बोर्ड ने समय–समय पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का भी पुनर्गठन किया। इसके बाद, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 28–02–2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, दिनांक 10–03–2023 के पत्र सं एआईईएसएल/एचक्यू/सीएस/10/05/2022–23 को दिनांक 13 मार्च 2023 को परिपत्रित करके कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 135 के प्रावधानों के अनुपालन और सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार एक प्रस्ताव पारित करके एआईईएसएल की लेखापरीक्षा समिति को बोर्ड द्वारा फिर से पुनर्गठित किया गया।

समिति की संरचना :

दिनांक 31–03–2023 को, पदेन क्षमता में निम्नलिखित लेखापरीक्षा समिति के सदस्य थे :

निदेशक का विवरण	समिति में धारित पद
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, सीएमडी, एआईएएचएल एवं संयुक्त सचिव, एआई प्रभाग, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष
श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव एवं वित सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
श्रीमती परमा सेन, संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम	सदस्य

लेखापरीक्षा समिति और सीएसआर समिति से संबंधित अन्य विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल हैं, जो इस रिपोर्ट का भाग हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

14.4 निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति

नियुक्ति नीतिः

एआईईएसएल, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद–96 के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम नहीं और पंद्रह से अधिक नहीं होगी, जिनमें से सभी को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो यह निर्धारित करेंगे कि वे निदेशक कितने समय के लिए पद धारण करेंगे और उन्हें हटा सकते हैं और उनके स्थान पर अन्य लोगों को नियुक्त कर सकते हैं और किसी भी रिक्ति को भर सकते हैं।

पारिश्रमिक नीतिः

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05–06–2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार, कंपनी के निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में धारा–197, सरकारी कंपनी होने के कारण एआईईएसएल पर लागू नहीं होती है। कंपनी के निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। केएमपी को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का प्रकटन 'वार्षिक रिटर्न के उद्धरण' में किया गया है।

14.5 निष्पादन मूल्यांकन

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05–06–2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार, बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के निष्पादन और इसकी समितियों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके को प्रस्तुत करने वाला विवरण और सरकारी कंपनी होने के कारण व्यक्तिगत निदेशक के संबध में कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

14.6 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि :

क. वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, लागू लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है और इसके साथ वास्तविक विचलन का उचित विवरण भी दिया गया हैं।

ख. निदेशकों द्वारा चयन की गई लेखाकरण नीतियों को संगत रूप से प्रयुक्त किया गया और निदेशकों ने जो निर्णय लिए और आकलन किए, वे इस रूप से औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं, वे कंपनी के क्रियाकलापों

और समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि की सही और निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

ग. निदेशकों द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ. वार्षिक लेखे गोईंग कर्सन के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ड. यह कंपनी गैर–सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, धारा 134(3)(ई) के प्रावधान लागू नहीं हैं, तथा

च. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां निर्धारित की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी रूप से कार्य कर रहीं थीं।

14.7 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान हैं, इसमें इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना, जो कंपनी के संचालन के अनुरूप हो भी शमिल है।

कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंटों की एक स्वतंत्र फर्म को आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है कि कंपनी की प्रणाली और पद्धितियों को कंपनी के संचालन के आकार और प्रकृति से मेल खाने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण के साथ डिजाइन किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करने की प्रक्रिया में है ताकि परिकल्पित सभी क्षेत्रों के कवरेज को सुनिश्चित किया जा सके और स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों, उपयोगकर्ता विभागों पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

14.8 धोखाधड़ी के संबंध में प्रकटीकरण

लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा समिति या बोर्ड को किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई थी।

15. धारा 149(6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा का विवरण

यह प्रावधान लागू नहीं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी का कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

इसके अलावा, एआईईएसएल एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है और एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 5 जुलाई 2017 के परिपत्र के अनुसार, असूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति से छूट दी गई है।

16. वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से इस रिपोर्ट की तारीख तक प्रभावित महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताओं का विवरण

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन को छोड़कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता प्रभावित नहीं हुई। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001 से बदलकर सीआरए बिल्डिंग, दूसरा तल, सफदरजंग हवाईअड्डा क्षेत्र, नई दिल्ली – 110003 कर दिया गया है।

17. सहायक कंपनियों, संबद्ध और संयुक्त उद्यमों से संबंधित प्रकटन

कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या संबद्ध कंपनी नहीं है।

18. जमाराशियों का विवरण

कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–76 के प्रावधानों के तहत कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

19. ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

वित्तीय विवरणों में ऋण, गारंटी और निवेश, यदि कोई हो, का विवरण प्रकट किया गया है।

20. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्था/लेन–देन व्यवसाय के सामान्य क्रम में और आर्म लैंथ आधार पर थे।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान विनिर्दिष्ट सीमा तक एमआरओ संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) और अन्य समूह कंपनियों (एएएल, एआईएएसएल और एचसीआई) के साथ लेनदेन में प्रवेश करने के लिए लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की सर्वव्यापी स्वीकृति ली गई थी। फॉर्म एओसी–2 में संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण संलग्न है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

कंपनी के निदेशकों, प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन–देन नहीं था, जिसके कारण कंपनी के हितों के साथ संभावित विवाद हो सकता था।

21. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रकटन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) में ऐसी कंपनी के लिए सीएसआर के लिए प्रावधान का अनुपालन करना आवश्यकता है, जिसने तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान थ्रेशहोल्ड कुल संपत्ति 500 करोड़ रूपए की है या 1,000 करोड़ रूपए का कारोबार है या 5 करोड़ रूपए या उससे अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया हो। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के रूप में 40.94 मिलियन रुपये खर्च किये हैं अर्थात पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत।

22. कर्मचारियों और औद्योगिक संबंधों का विवरण

वर्ष के दौरान, औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण थे,

विभिन्न श्रेणियों के तहत कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार थी:

- कार्यपालक : 504 (462 स्थायी, 42 संविदात्मक)
- कर्मचारी : 4324 (1639 स्थायी, 2389 संविदात्मक, 296 सेवानिवृत्त)
- कुल : 4828 (2101 स्थायी, 2431 संविदात्मक, 296 सेवानिवृत्त)
- उपरोक्त में से तकनीकी कार्मिक : 3987 (1974 स्थायी, 1747 अनुबंध, 266 सेवानिवृत्त)
- अन्य सहायक कंपनियों से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी : 0
- अन्य कंपनियों में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी : 167

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनाक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) के तहतकंपनी के कर्मचारियों के विवरण के संबंध में कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम–5 के साथ पठित धारा–197, सरकारी कंपनी होने के नाते एआईईएसएल पर लागू नहीं है।

23. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और आउटगो

(क) ऊर्जा और प्रौद्योगिकी अवशोषण का संरक्षण: आपकी कंपनी ने ऊर्जा के गैर–नवीकरणीय स्रोतों के संरक्षण और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए, जहां भी संभव हो, सभी प्रयास किए हैं।

- एआईईएसएल ने गैर–नवीकरणीय ऊर्जा के संरक्षण के उद्देश्य से मुंबई और दिल्ली में अपने हैंगरों में एलईडी लाइटिंग का प्रयोग किया है।
- एआईईएसएल ने गैर–नवीकरणीय ऊर्जा के संरक्षण के उद्देश्य से दिल्ली में अपने जेट इंजन ओवरहाल कॉम्प्लेक्स में एलईडी लाइटिंग स्थापित की है।
- एआईईएसएल ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के उद्देश्य से नागपुर में अपनी एमआरओ सुविधा में सौर पैनल स्थापित किए हैं। इनका उपयोग व्यक्तिगत स्ट्रीटलाइट्स के लिए स्वच्छ ऊर्जा और शौचालयों के लिए गर्म पानी प्रदान करने के लिए किया जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा आय और आउटगो

	राशि (रूपए)
आय	724.4 लाख
आउटगो	352.3 लाख

24. जोखिम प्रबंधन

कंपनी से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने की दृष्टि से एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई थी और इसे निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 06–01–2022 को आयोजित अपनी 74वीं बैठक में अनुमोदित

किया गया है, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। लिंक https://www.aiesl.in/RiskManagementPolicy.aspx

हम समझते हैं कि विमानन रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) क्षेत्र अपनी गतिशील और अनिश्चित प्रकृति के कारण काफी चुनौतीपूर्ण है। हमारा प्राथमिक ध्यान सुरक्षा, विश्वसनीयता और परिचालन उत्कृष्टता सुनिश्चित करने पर है। हम परिचालन सुरक्षा बनाए रखने, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने और अपने हितधारकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए संभावित जोखिमों के प्रबंधन में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

हम विमानन एमआरओ उद्योग में एक विश्वसनीय नेता के रूप में अपनी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जोखिमों की पहचान करने, उनका आकलन करने और उन्हें कम करने के लिए समर्पित हैं।

हम जोखिम प्रबंधन के उच्च मानकों को बनाए रखने में समर्थन के लिए अपने समर्पित दल और हितधारकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

25. नियामकों के महत्वपूर्ण आदेश

नियामकों या अदालतों या अधिकरण द्वारा वर्ष के दौरान भविष्य में चल वर्तमान स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है।

26. सतर्कता तंत्र की स्थापना का विवरण

वास्तविक चिंता संबंधी रिपोर्ट हेतु निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना से संबंधित धारा 177(9) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

हालाँकि, होल्डिंग कंपनी का सतर्कता विभाग अर्थात एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) एआईईएसएल सहित एआईएएचएल की सहायक कंपनियों के सतर्कता कार्य करता है।

27. लेखापरीक्षक

संविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने मैसर्स कृते एएजेवी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया था।

प्रबंधन के उत्तरों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट **संलग्न** है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ स्व–व्याख्यात्मक हैं, और आगे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

सचिवीय लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स जे.पी. सैनी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा दी गई सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन के उत्तर/टिप्पणियां, यदि कोई हों, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षक

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा मैसर्स एस.एन कपूर एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त किया गया था।

28. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की दिनांक 23–02–2024 की शून्य टिप्पणियाँ संलग्न हैं।

29. सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों को आपकी कंपनी द्वारा लागू सीमा तक अनुपालित किया गया था।

30. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत किए गए आवेदन या लंबित कार्यवाही का विवरणः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कंपनी के नाम पर कोई आवेदन या कार्यवाही लंबित नहीं थी।

31. बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करते समय एकमुश्त निपटान के मूल्यांकन और मूल्यांकन राशि के बीच अंतर का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों का एकमुश्त निपटान नहीं किया गया है।

32. रिपोर्ट के अनुबंधः

निम्नलिखित प्रमाणपत्र/रिपोर्ट आदि संलग्न हैं और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग हैंः

क. प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

एक विस्तृत प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ 'अनुबंध–क' के रूप में संलग्न है।

ख. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ 'अनुलग्नक–ख' के रूप में संलग्न है।

ग. वार्षिक विवरणी का उद्धरण

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3), धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुपालन में, वार्षिक रिटर्न का उद्धरण–9 फॉर्म एमजीटी में इस रिपोर्ट के साथ 'अनुबंध–ग' के रूप में संलग्न है। इसके अलावा, वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट https://www.aiesl.in/AnnualReturn.aspx पर उपलब्ध है।

घ. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरणः

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान संबंधित पक्ष लेनदेन, होल्डिंग कंपनी और अन्य समूह कंपनियों के साथ थे, और कंपनी अधिनियम, 2013 के संदर्भ में अनुमोदित थे। संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण फॉर्म एओसी–2 में इस रिपोर्ट के साथ '**अनुलग्नक–घ**' के रूप में संलग्न है।

ड. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) :

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक –ड. के रूप में संलग्न है।

33. आभारोक्ति

बोर्ड, वर्ष के दौरान एअर इंडिया लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सांविधिक लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षक और सचिवीय लेखापरीक्षक और विभिन्न अन्य एजेंसियों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए निष्ठापूर्वक आभार व्यक्त करता है।

आपका निदेशक मंडल इस अवसर पर कंपनी के सभी कर्मचारियों के निरंतर समर्थन और योगदान की सराहना करता है। निदेशक मंडल भी इस अवसर पर रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त सहयोग और सहायता के लिए अपना आभार और निष्ठापूर्ण धन्यवाद व्यक्त करता है। निदेशक मंडल आपके विश्वास और निरंतर समर्थन को स्वीकार करता है और भविष्य में भी इसकी कामना करता है।

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

ह/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष
डीआईएन : 08086220

दिनांक : 11–03–2024
स्थान : नई दिल्ली

'अनुबंध – क'

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

वित्तीय निष्पादन का विश्लेषणः

राजस्व

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान अर्जित 1906.52 करोड़ रुपये कुल राजस्व की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान यह 2029.86 करोड़ रुपये था, अर्थात लगभग 123.34 करोड़ रूपए (6.47 प्रतिशत) की वृद्धि।

व्यय

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान किया गया कुल व्यय, पिछले वर्ष के 1345.96 करोड़ रुपये (पुनः निर्देशित) की तुलना में 1418.81 करोड़ रुपये था, अर्थात लगभग 72.85 करोड़ रूपए (5.41 प्रतिशत) की वृद्धि।

उद्योग विश्लेषण

भारतीय एमआरओ उद्योग अभी भी शुरुआती चरण में है, लेकिन यह तेजी से बढ़ रहा है। भारत सरकार उद्योग का समर्थन करती है और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे वर्ष 2020 में एमआरओ सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।

भारतीय एमआरओ बाजार वर्ष 2023 में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2033 तक 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 8.9 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज करेगा। यह वृद्धि कई कारकों द्वारा संचालित हो रही है, जिनमें शामिल हैं :

- बेड़े का बढ़ता आकार : भारत का वाणिज्यिक विमान बेड़ा वर्ष 2023 में लगभग 700 विमानों से बढ़कर 2033 तक 1,300 से अधिक विमानों तक पहुंचने की उम्मीद है। बेड़े के आकार में यह वृद्धि एमआरओ सेवाओं की मांग को बढ़ाएगी।
- सरकारी समर्थन : भारत सरकार एमआरओ उद्योग का समर्थन करती है और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।
- लागत लाभ : श्रम और अन्य लागतों के मामले में भारत विकसित देशों की तुलना में महत्वपूर्ण लागत लाभ प्रदान करता है। यह भारत को एमआरओ सेवाओं के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है।

वर्ष 2016 में, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आयटा) के पूर्वानुमान ने भारत को नागर विमानन क्षेत्र के लिए विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार बना दिया। हालाँकि, वैश्विक स्तर पर विमानन उद्योग को पंगु बनाने वाली महामारी के बावजूद, अनुमान से पहले, 2023 तक भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा देश था। भारत में नागर विमानान बाजार अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। इंडिगो द्वारा हाल ही में 500 विमानों और एअर इंडिया द्वारा 470 विमानों के ऑर्डर इस विकास पथ के संकेतक हैं।

विमान एमआरओ

व्यावसायिक सेवाओं के संवर्धन में विकास के कारण एशिया प्रशांत क्षेत्र में अनुरक्षण, मरम्मत और प्रचालन (एमआरओ) बाजार में आगामी अवधि में मजबूत वृद्धि होने की संभावना है। इस क्षेत्र को स्पेयर पार्ट्स के लिए एक विनिर्माण केंद्र माना जाता है, जो कि अपनी लागत–कुशलता के कारण इनकी आपूर्ति अन्य देशों को करता है, इस प्रकार, अनुरक्षण, मरम्मत और प्रचालन (एमआरओ) उद्योग के विकास को काफी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण विनिर्माण

कार्यों के भीतर उपकरणों और सेवाओं के मानकीकरण के कारण, इस बाजार में महत्वपूर्ण मांग बढने की संभावना है। उद्योग रिपोर्ट, भारत की पहचान दुनिया के सातवें सबसे बड़े नागर विमानन बाजार के रूप में करती है। यह 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए तैयार है, जो भारत में एमआरओ सुविधाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तार की संभावनाओं को दर्शाता है। भारत में लगभग 90 प्रतिशत एमआरओ आवश्यकताओं को वर्तमान में आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। भारत का स्वदेशी एमआरओ क्षेत्र एक प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण विकास क्षमता है। इस क्षेत्र के विकास को मुख्य रूप से बढ़ते विमानन उद्योग (लगभग 90,000 नौकरियों के सृजन और लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत) की उम्मीद है। विदेशी एमआरओ पर निर्भरता तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक कि घरेलू एमआरओ उद्योग आकार और सेवाओं की प्रमाणित विस्तार के मामले में अपने विदेशी समकक्षों के बराबर न हो जाए।

बाजार के रुझान

भारतीय एमआरओ उद्योग का आकार वर्ष 2021 में 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2031 तक 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जो 5.6 प्रतिशत की अनुमानित वैश्विक सीएजीआर की तुलना में 8.9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) है। वर्तमान में 1,000 से अधिक विमानों के ऑर्डर के साथ, देश के केवल अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में वाणिज्यिक यात्री विमानों का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बनने की संभावना है। यह वार्षिक रूप से 200–300 प्रमुख अनुरक्षण जांच संबंधी मांग में अंतरित होता है। कई एयरलाइनों के बेड़े में पुराने विमानों को बदलने से भी एमआरओ के लिए पुनर्वितरण अनुबंधों को पूरा करने की संभावनाएं बनती है। भारत एक बड़ा रक्षा विमान बाजार बनने की ओर भी अग्रसर है, जिससे सैन्य एमआरओ क्षमताओं की मांग भी बढ़ रही है।

विमानन उद्योग के दृष्टिकोण से, तीन मुख्य उपाय एमआरओ क्षेत्र के सतत विकास को अग्रसर करने में अत्यधिक योगदान देंगें:

देश में एमआरओ सुविधाएं स्थापित करने में अग्रणी बनकर एमआरओ इंटीग्रेटर्स बनना। इसके अलावा, एमआरओ पक्ष, मजबूत एमआरओ अवसंरचना स्थापित करने के लिए विमान ओईएम और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ संबंधों का लाभ उठा सकते हैं।

अमेरिका के फेडरल एविएशन एजेंसी और यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी एजेंसी के नियमों का पालन करें। यह उद्योग में नए लोगों के प्रवेश सुलभ बनाएगा और प्रतिभा की उपलब्धता को बढ़ावा देगा।

महामारी के कारण वैश्विक विमानन क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डालने के बावजूद, हाल के सप्ताहों में आकाश क्षेत्र के खुलने से एयरलाइन क्षेत्र को आशा मिली है। उद्योग एक स्थिर पुनरुद्धार के प्रति आशावान है।

इस सेक्टर के खुलने के साथ, वैश्विक वाणिज्यिक विमान अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) बाजार के लिए उम्मीद बनी हुई है, जो कि अधिकांश एमआरओ गतिविधियों को ठंडे बस्ते में डालने वाले विमानों और एयरलाइनों के ग्राउंडिंग से बुरी तरह प्रभावित हुआ था।

उद्योग के सूत्रों ने अब संकेत दिया है कि वैश्विक एमआरओ सेक्टर, वर्ष 2022 से वर्ष 2029 तक सात साल की अवधि में 6 प्रतिशत की दर से एक स्थिर विस्तार दर्ज करना चाहता है, वैश्विक स्तर पर और भारत में इस सेक्टर के लगभग 8.9 प्रतिशत से भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

पिछले एक दशक में, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे कई देशों में विकसित अत्याधुनिक विमानन अवसंरचना में दक्षिण पूर्व एशिया एक प्रमुख पक्ष के रूप में उभरा है।

सिंगापुर के एमआरओ पक्षों ने पिछले कुछ वर्षों में स्वयं को उद्योग में प्रमुख पक्षों के रूप में स्थापित किया है और न्यूनतम प्रभाव के साथ कोविड–19 के परिणामों को कम करने में सफल रहे हैं। इस उद्योग में सिंगापुर की सफलता के बाद, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों के पक्ष, सिंगापुर के पक्षें की सफलता को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी एमआरओ क्षमताओं का भी विकास कर रहे हैं।

वर्तमान में सिंगापुर, दक्षिण पूर्व एशिया में विमान एमआरओ बाजार का नेतृत्व कर रहा है। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था के विकास में विमानन क्षेत्र प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है। अपने अपेक्षाकृत छोटे आकार के बावजूद, सिंगापुर पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में सबसे तेजी से विकसित होने वाले विमानन बाजारों में से एक बना है, जो देश में पर्यटकों की भारी वृद्धि और बढ़ती व्यापार यात्रा से प्रेरित है। भारत को भी घरेलू एमआरओ क्षेत्र पर जोर दते हुए इस प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए।

पिछले बीस वर्षों में भारतीय विमानन क्षेत्र के तेजी से बढ़ने के बावजूद, भारत में विभिन्न कारणों से उचित एमआरओ सुविधाओं का अभाव है, सबसे महत्वपूर्ण भारत में एमआरओ सेवाओं के प्रावधान पर लगाए गए उच्च कर हैं। भारतीय एमआरओ का 90 प्रतिशत कार्य, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका और अन्य देशों को आउटसोर्स किया जाता है। शेष 10 प्रतिशत के लिए भारतीय एमआरओ में प्रतिस्पर्धा है।

भारतीय बाजार में 8 प्रमुख पक्ष विद्यमान हैं, अर्थात एआईईएसएल, एयर वर्क्स, इंडैमर प्राइवेट लिमिटेड, डेक्कन चार्टर, ताज एयर, बर्ड एक्जीक्यूजेट, जीएमआर एयरो टेक्निक लिमिटेड और मैक्स एमआरओ प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास भारतीय आकाश में प्रचालन करने वाले अधिकांश विमानों पर एमआरओ संचालन करने का कौशल है। साथ ही, वे अपने ग्राहकों के लिए समय पर अनुरक्षण और ओवरहाल सेवाएं सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं।

विमानन उद्योग की रिपोर्ट में, हाल ही में, भारत को शीर्ष दस देशों की सूची में प्रवेश प्राप्त हुआ है और भारत वर्ष 2019 में दुनिया के चौथे सबसे बड़े नागर विमानन बाजार के रूप में उभरा है। भारत में एमआरओ सुविधाएं के लिए यह वर्ष 2024 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए तैयार है। इस क्षेत्र की वृद्धि मुख्य रूप से बढ़ते विमानन उद्योग द्वारा संचालित होगी। विश्लेषकों का कहना है कि, ''विदेशी एमआरओ पर निर्भरता तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक कि घरेलू एमआरओ उद्योग आकार और सेवाओं की प्रमाणित आकार के मामले में अपने विदेशी समकक्षों के बराबर न हो जाए''।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय एमआरओ उद्योग का आकार वर्ष 2021 में 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जिसके वर्ष 2030 तक 4 अरब अमेरिकी डॉलर को पार करने की संभावना है। वर्तमान में 1,000 से अधिक विमानों के ऑर्डर के साथ, देश, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया के वाणिज्यिक यात्री विमानों का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बनने की संभावना है। उद्योग का कहना है कि इससे वार्षिक स्तर पर 200–300 प्रमुख अनुरक्षण जांच की मांग उत्पन्न होगी। कई एयरलाइनों के बेड़े में पुराने विमानों को बदलने से भी एमआरओ के लिए पुनर्वितरण अनुबंधों को पूरा करने की संभावना बनती है।

प्रतिस्पर्धी परिदृश्य

भारतीय एमआरओ उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, जिसमें विभिन्न पक्ष कीमत, गुणवत्ता और टर्नअराउंड समय जैसे कारकों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। घरेलू पक्षों को विदेशी पक्षों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिनके पास तकनीकी लाभ है और वे व्यापक श्रेणी की सेवाएं देने में सक्षम हैं।

हालाँकि, घरेलू पक्षों को विदेशी पक्षों की तुलना में कई फायदे हैं, जिनमें शामिल हैं :

- भारतीय बाजार की बेहतर समझ
- भारतीय एयरलाइंस के साथ मजबूत संबंध
- कम श्रम लागत

भारत सरकार घरेलू एमआरओ उद्योग का समर्थन करती है और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे वर्ष 2020 में एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।

कुल मिलाकर, भारतीय एमआरओ उद्योग का प्रतिस्पर्धी परिदृश्य गतिशील और विकसित हो रहा है। घरेलू पक्षों को विदेशी पक्षों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनके पास कई फायदे हैं जो उन्हें प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर सकते हैं।

वर्तमान में, भारत सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका जैसे देशों को 90 प्रतिशत एमआरओ सेवाएं आउटसोर्स करता है। नागरिक और रक्षा विमानों की बढ़ती संख्या को पूरा करने और टर्नअराउंड समय को अनुकूलित करने के लिए देश में एक एमआरओ पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है। इसके अलावा, कई विमान के पुर्जे, विशेष रूप से सुरक्षा से संबंधित उपकरण खतरनाक सामान (डीजी) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ऐसे उत्पाद अनुरक्षण को भारत के भीतर रखने की आवश्यकता से देश में एमआरओ सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। प्रतिस्पर्धी एमआरओ क्षेत्र से भारत को कई लाभ मिलेंगे। एयरलाइंस ईंधन और रसद लागत पर बचत करने और विदेशी मुद्रा का संरक्षण करने में सक्षम होंगी। भारतीय पट्टेदार वेट लीज पर प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करने में सक्षम होंगे, जिससे विमान वित्तपोषण और पट्टे पर देने के देश के प्रयासों का समर्थन होगा। भारत गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में विमान पट्टे पर देने और विमान वित्तपोषण को अधिसूचित करके इस क्षेत्र को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। अंत में, एमआरओ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने से नौकरी के अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एयर वर्क्स इंडिया (इंजीनियरिंग) प्राइवेट लिमिटेड, डेक्कन चार्टर्स लिमिटेड, इंडैमर एविएशन प्रा. लिमिटेड, मैक्स एमआरओ प्राइवेट लिमिटेड, ताज एयर, बर्ड एक्जीक्यूजेट और जीएमआर एयरो टेक्निक लिमिटेड सहित भारतीय एमआरओ बाजार में 8 प्रमुख पक्ष कार्य कर रहे हैं। इन 8 पक्षों के बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने और एआईईएसएल के पास कुल राजस्व का उच्चतम हिस्सा होने के कारण बाजार की प्रकृति केंद्रित हो गई है। इनमें से अधिकतर पक्ष, लाइन रखरखाव, भारी रखरखाव और घटक ओवरहाल प्रदान करते हैं। एआईईएसएल, भारत में पूर्ण विकसित इंजन ओवरहाल सुविधा प्रदान करने वाली एकमात्र कंपनी है। एआईईएसएल बाजार अग्रणी है, इसके बाद एयर वर्क्स का स्थान आता है, जिसका बाजार राजस्व के क्षेत्र में में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। एयर वर्क्स की वैश्विक उपस्थिति है, हालांकि वह केवल भारत में एमआरओ सेवाएं प्रदान करता है।

विमान इंजन एमआरओ बाजार में प्रमुख पक्ष हैं – लुफ्थांसा टेक्निक, रोल्स–रॉयस होल्डिंग पीएलसी, रेथियॉन टेक्नोलॉजीस कॉर्पोरेशन, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और सफरान एसए। प्रमुख इंजन एमआरओ प्रदाता, अपने इंजन एमआरओ ग्राहकों को विकसित करने के लिए लंबी अवधि की साझेदारी कर रहे हैं या संयुक्त उद्यम बना रहे हैं। क्षेत्रीय जेट, जो आमतौर पर 150 से कम सीटों वाला एक छोटा विमान है, एक निश्चित क्षेत्र, देश या महाद्वीप के भीतर छोटी दूरी की उड़ानों की बढ़ती मांग को देख रहा है। उल्लेखनीय है कि, क्षेत्रीय विमानन वैश्विक स्तर पर वार्षिक हवाई यातायात के 700 बिलियन उपलब्ध सीट किलोमीटर को पार कर चुका है। क्षेत्रीय विमानन ने पिछले दो दशकों में सबसे मजबूत यातायात वृद्धि को दर्शाया है। यह अनुमान लगाया गया है कि टियर–2 और टियर–3 शहरों के उदय, शहरीकरण और मेट्रो षहरों

से दूर आबादी के प्रवास के कारण कोविड–19 महामारी के बाद, क्षेत्रीय हवाईअड्डों और छोटे यात्री विमानों की अत्यधिक मांग होगी। इन कारकों के कारण, वाणिज्यिक विमान एमआरओ बाजार में क्षेत्रीय जेट खंड वर्ष 2027 तक लगभग 10 प्रतिशत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगा।

इंजन एमआरओः

विमान इंजन एमआरओ बाजार का आकार वर्ष 2028 तक 32.04 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो वर्ष 2021 में 22.15 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया और वर्ष 2022–2028 के दौरान इसके 5.7 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।

एशिया–प्रशांत क्षेत्र ने पिछले एक दशक में कुल विमान बेड़े में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जिससे इंजन एमआरओ सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका और यूरोप के कई एमआरओ सेवा प्रदाताओं ने इस क्षेत्र में अपनी रखरखाव सुविधाएं स्थापित की हैं। इसके अलावा, विदेशी रखरखाव लागत को कम करने के लिए, कई एयरलाइनों ने इन–हाउस क्षमताओं को विकसित करने के लिए इंजन एमआरओ सेवा प्रदाताओं के साथ भागीदारी की है।

वैश्विक और एशिया–प्रशांत विमान इंजन एमआरओ बाजार की वृद्धि, वर्ष 2020 के बाद ग्राउंडेड विमानों के फिर से शुरू होने और विमान की अपेक्षित भावी डिलीवरी से प्रेरित है।

भारतीय एयरोस्पेस उद्योग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते एयरोस्पेस बाजारों में से एक है। छह दशकों के लंबे इतिहास के साथ, देश के पास वैश्विक मानकों के अनुरूप संसाधनों का एक उत्कृष्ट पूल विद्यमान है। भारत की उदारीकृत अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अच्छे अवसर प्रदान करती है, जो निर्माण के साथ–साथ रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) गतिविधियों को आउटसोर्स करती हैं। जबकि पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा अपेक्षित है कि इंजन अगले दशक में वाणिज्यिक जेट एमआरओ व्यवसाय का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बना रहेगा, बाजार तेजी से प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है और इसकी गतिशीलता अधिक जटिल होती जा रही है। एयरो–इंजन ओईएम ने एक दशक से अधिक समय से आफ्टरमार्केट को लक्षित किया है और एमआरओ व्यवसाय के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यह चलन जारी रहेगा और अन्य एमआरओ प्रदाताओं के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करेगा।

वैश्विक विमान इंजन एमआरओ बाजार के प्रमुख पक्ष हैं – जीई एविएशन (यूएस), रोल्स–रॉयस (यूके), प्रैट एंड व्हिटनी (यूएस), लुफ्थांसा टेक्निक (जर्मनी), सफरान एयरक्राफ्ट इंजन (पेरिस), एसआईए इंजीनियरिंग कंपनी (सिंगापुर), एयर फ्रांस इंडस्ट्रीज केएलएम इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस (फ्रांस), एमटीयू एयरो इंजन (जर्मनी), एसटी एयरोस्पेस (सिंगापुर) और डेल्टा टेकऑप्स (यूएस)।

इंजन एमआरओ में ओईएम का वर्चस्वः

एयरो–इंजन निर्माताओं ने उपयोग–आधारित बिक्री, अर्थात उपलब्धता–आधारित अनुबंधों का उपयोग करके व्यवसाय मॉडल की पेशकश की है। इसने ओईएम को एमआरओ सेवा प्रदाताओं के निर्माताओं के रूप में अपने मुख्य व्यवसाय का विस्तार करने की अनुमति दी है। ओईएम एमआरओ अब एयरो–इंजन की सभी प्रचालनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस स्थिति के परिणामस्वरूप ग्राहकों से सेवा प्रदाता को जोखिम और अनिश्चित ताएं स्थानांतरित हो जाती हैं। जोखिमों और अनिश्चित ताओं को कम करने के लिए कई दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, जैसे कि वास्तविक समय में स्वास्थ्य निगरानी और पूर्वानुमान के संबंध में संवर्धित सेंसर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग। इस डेटा का उपयोग रखरखाव के

शर्त–आधारित सिद्धांत से लाभ लेने के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत के माध्यम से, ओईएम ने आफ्टरमार्केट एमआरओ सेवा प्रावधान में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है।

भारतीय सैन्य एयरो–इंजन एमआरओ कैनवसः

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) इंजन के क्षेत्र में एकमात्र वास्तविक भारतीय पक्ष है, जिसके इंजन डिवीजन का विभिन्न आयातित डिजाइनों के लाइसेंस–उत्पादन का लंबा इतिहास रहा है। बेड़े के प्रतिस्थापन कार्यक्रमों, आधुनिकीकरण रणनीति और भारतीय वायु सेना के विमान उन्नयन परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा व्यय में वृद्धि के साथ, भारतीय सैन्य विमान इंजन बाजार वर्ष–दर–वर्ष बढ़ने की ओर अग्रसर है। निकट भविष्य में कुछ प्रमुख इंजन खरीद कार्यक्रम एवरो, एएन–32, एलसीए तेजस, एएमसीए के लिए होंगे और इनमें लगभग 3400 से 4000 इंजनों की खरीद शामिल है। भारतीय सशस्त्र बलों ने सबसे बड़े हेलीकॉप्टर खरीद कार्यक्रमों की शुरुआत की है और उनकी आवश्यकताओं का उद्देश्य वर्ष 2027 के अंत तक हमले, उपयोगिता, बहु–भूमिका और एयरलिफ्ट प्लेटफार्मों सहित 1000 से अधिक रोटरी–विंग प्लेटफार्मों की खरीद के माध्यम से सैन्य हेलीकॉप्टर संपत्ति को मजबूत करना है।

अवसर और जोखिमः

आईएटीए के अनुसार, भारत के वर्ष 2026 तक तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की उम्मीद है। त्वरित टीकाकरण अभियान, आर्थिक गतिविधियों की उच्च दर के साथ, जुलाई 2021 में वर्ष–दर–वर्ष आधार पर भारत के घरेलू हवाई यात्री यातायात में वृद्धि हुई है। जुलाई 2021 में, राजस्व यात्री किलोमीटर (आरपीके) की दृष्टि से भारत की घरेलू हवाई यात्री संख्या ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, जापान, रूस और अमेरिका जैसे प्रमुख विमानन बाजारों में सबसे अधिक थी। जुलाई 2020 की तुलना में जुलाई 2021 में देश में आरपीके की वृद्धि 123 प्रतिशत तक बढ़ी है। विमान मरम्मत सेवाओं और रखरखाव की मांग भी बढ़ेगी।

वर्ष 2021 में भारत के एमआरओ उद्योग का आकार 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। इसके वर्ष 2031 तक 8.9 प्रतिशत सीएजीआर पर 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

चार एमआरओ उद्योग क्षेत्रों (एयरफ्रेम, इंजन, घटक और लाइन) में इंजन रखरखाव, सबसे आकर्षक क्षेत्र है और मूल्य की दृष्टि से इंजन और एयरफ्रेम की भागीदारी 50–55 प्रतिशत की है।

एमआरओ क्षेत्र की क्षमता

वर्तमान में 1,000 से अधिक विमानों के ऑर्डर के साथ, भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में वाणिज्यिक यात्री विमानों का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बनने के लिए तैयार है। यह वार्षिक आधार पर 200–300 प्रमुख रखरखाव जांच (ए से डी चेक) की मांग में परिवर्तित हो रहा है, जो भारत में एमआरओ सेवा प्रदाताओं के लिए बड़े अवसर को दर्शाता है। जून 2020 में, इंडिगो ने अपने पुराने ए320 नियोस को वर्ष 2022 के अंत या वर्ष 2023 की शुरुआत तक, अधिक ईंधन–कुशल ए320 एनईओ के साथ प्रतिस्थापित करने की योजना की घोषणा की है। स्पाइसजेट के पास 200 से अधिक बी737 मेक्स विमान ऑर्डर पर हैं, जबकि गो एयर के पास 100 से अधिक ए320 एनईओ विमान हैं, जिनकी सुपुर्दगी अभी की जानी है। पट्टे के अनुबंध में निर्धारित पुनर्वितरण शर्तों को पूरा करने के लिए बेड़े को छोड़ने से पहले लगभग हर विमान को एमआरओ सेवाओं की आवश्यकता होती है। भारत में, एयरलाइंस बोइंग, एयरबस, एटीआर, एम्ब्रेयर और डोर्नियर जैसे वैश्विक पक्षों द्वारा निर्मित विमानों का प्रचालन होता हैं। इसके अलावा, अधिकांश विमान प्रमुख एमआरओ सेवाओं के लिए विदेश भेजे जाते हैं, जो भारत में एमआरओ उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग को प्रस्तुत करता है। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने 31.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 24 पुराने मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने

के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इन पुराने विमानों के अधिग्रहण से भारतीय बेड़े में मिराज–2000 की सेवा क्षमता में सुधार के लिए आवश्यक कलपुर्जे और एयरफ्रेम उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, आपूर्ति श्रृंखला के विषयों के मामले में, ये कलपुर्जे लागत प्रभावी और लाभकारी हो सकते हैं। फेज आउट विमान से प्राप्त पुर्जे और एयरफ्रेम सक्रिय सेवा में तेजी से वापसी या विस्तारित एमआरओ के बीच अंतर कर सकते हैं। इसके अलावा, भारत के पास अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में लागत और प्रतिभा व्यापक स्तर पर उपलब्ध है। भारत में, एमआरओ कार्यबल की लागत 30–35 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटे के बीच है, जो पश्चिमी यूरोप या अमेरिका की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत कम है (हालांकि इसकी चीन या इंडोनेशिया में मजदूरी दरों के साथ तुलना की जा सकती है)। भारत में इंजीनियरिंग प्रतिभा का एक बड़ा पूल भी विद्यमान है, जो विशेष रूप से अपनी उच्च कौशल आवश्यकताओं के साथ श्रम प्रधान एमआरओ उद्योग के लिए आवश्यक है। विकसित देशों को वृद्ध कार्यबल के अलावा उच्च गुणवत्ता वाली इंजीनियरिंग प्रतिभा की घटती उपलब्धता का सामना करना पड़ रहा है। यह भारतीय इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को पश्चिम में माइग्रेट करने के लिए अत्यधिक आकर्षक अवसर प्रदान करता है जो भारत में एमआरओ उद्योग में प्रतिभा को बनाए रखने या आकर्षित करने पर विचार करने का एक प्रमुख कारक है। बोइंग, एयरबस, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और प्रैट एंड व्हिटनी सहित कई कंपनियां, भारत में मरम्मत सुविधाएं स्थापित करने की योजना बना रही हैं। उदाहरण के लिए, बोइंग इंडिया ने भारत को एक मरम्मत, विकास और रखरखाव केंद्र बनाने के लिए एयर वर्क्स के साथ सहयोग किया है। एयरबस ने विमानन सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और नवाचार में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए जीएमआर समूह के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एचएएल ने एमआरओ सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई पहलः

अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल सेवाओं के लिए सरकार की मौजूदा नीति ने खुली निविदाओं के माध्यम से एमआरओ के लिए भूमि को पट्टे पर देने और एएआई द्वारा लगाए जाने वाले रॉयल्टी को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा, सरकार ने यह भी घोषणा की है कि एमआरओ सुविधाएं स्थापित करने वाली संस्थाओं के लिए भूमि आवंटन, मौजूदा 3 से 5 वर्ष की अल्पकालिक अवधि के स्थान पर 30 वर्ष के लिए की जाएगी। यह कदम एमआरओ क्षेत्र को स्थिरता और निश्चित ता के साथ बढ़ावा देगा।

भारत को वैश्विक एमआरओ–हब बनाने के अपने उद्देश्य के तहत मंत्रालय, सैन्य और नागरिक अभिसरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एमआरओ गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए बेगमपेट (तेलंगाना), भोपाल (मध्य प्रदेश), चेन्नई (तमिलनाडु), चंडीगढ़, दिल्ली, जुहू (महाराष्ट्र), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और तिरुपति (आंध्र प्रदेश) जैसे आठ हवाईअड्डों की पहचान की गई है।

भारत के पास कम लागत वाली एमआरओ जनशक्ति की उपलब्धता का प्रमुख लाभ है, जो भारत को दुनिया के बाकी एमआरओ हब जैसे यूएसए, यूरोप, सिंगापुर और अन्य से अतिरिक्त प्रमुखता प्रदान करता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास अपने संचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। कंपनी के पास अपने व्यवसाय के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। इसके अलावा, मैसर्स एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

सचेतक विवरणः

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में दिए गए विवरण भविष्योन्मुखी विवरण हैं। वास्तविक परिणाम, भौतिक रूप से अभिव्यक्त या निहित से भिन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वातावरण और उद्योग परिदृश्य पर चर्चा के साथ–साथ भविष्य के दृष्टिकोण, जहां भी उल्लेख किया गया है, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध सूचना और विश्लेषण, विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और प्रबंधन द्वारा विश्वास किए जाने पर आधारित है। महत्वपूर्ण कारक जो बताए गए, व्यक्त या निहित में अंतर ला सकते हैं, उनमें आर्थिक स्थितियां, घरेलू और साथ ही वैश्विक जैसे बाजार में सक्रिय मांग और आपूर्ति बल, समय–समय पर कर सहित सरकार की नीतियां, नियम और विनियम, कानून और अन्य नियम और साथ ही व्यावसायिक वातावरण पर प्रभाव डालने वाले अन्य आकस्मिक कारक शामिल हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

ह/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष
डीआईएनः 08086220

दिनांकः 11–03–2024
स्थानः नई दिल्ली

अनुबंध–ख

निगमित शासन पर रिपोर्ट

1. निगमित शासन के कोड पर कंपनी का दर्शन

कंपनी को अच्छे निगमित शासन पर पूरा विश्वास है और लगातार पालन कर रहे है। कंपनी की अनिवार्य प्रकृति पारदर्शिता, व्यावसायिकता तथा उत्तरदायित्व के मूल्यों पर आधारित है। कंपनी निगमित शासन के उच्चतम मानक को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। निगमित शासन के संबंध में कंपनी का सिध्दांत इसके सभी प्रचालनों में पारदर्शिता, विवरण प्रस्तुत करना तथा कानून और विनियमों के अंतर्गत अंशधारकों की कीमत में वृध्दि सुनिश्चित करना है।

2. निदेशक मंडल

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल), एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारत सरकार के उपक्रम एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसके निदेशकों की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने समय–समय पर एआईईएसएल के बोर्ड का पुनर्गठन किया था। तदनुसार, दिनांक 31–03–2023 को बोर्ड की संरचना नीचे दी गई है :

क) 31 मार्च 2023 तक बोर्ड की संरचना

क.सं	निदेशक का नाम	पद नाम
1.	श्री सत्येंद्र कुमार (एस.के.) मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, संयुक्त सचिव (जेएस), एआई प्रभाग, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष और नामित निदेशक
2.	श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव एवं वित सलाहकार (जेएस एंड एफए), नागर विमानन मंत्रालय	नामित निदेशक
3.	श्रीमती परमा सेन अतिरिक्त सचिव, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम)	नामित निदेशक (महिला निदेशक)

एआईएएचएल के साथ–साथ एआईईएसएल की सहायक कंपनियों के बोर्ड के गठन/पुनर्गठन के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 14–12–2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, एआईईएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन एआईईएसएल के बोर्ड में निदेशक के पद से पदमुक्त हुए और श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा (राजेश सिंह), संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (जेएस एंड एफए), नागर विमानन मंत्रालय को दिनांक 14–12–2022 से एआईईएसएल के बोर्ड में नियुक्त किया गया था।

इसके अलावा, एआईएएचएल के साथ–साथ एआईईएसएल की सहायक कंपनियों के बोर्ड के गठन के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 18–01–2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, एआईईएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा (राजेश सिंह), एआईईएसएल के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे और श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (जेएस एंड एफए), एमओसीए, को एआईईएसएल के बोर्ड में दिनांक 18–01–2023 को नियुक्त किया गया था।

इसके बाद, नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 28–02–2023 के आदेश के तहत, एक अवधि के लिए नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का अतिरिक्त प्रभार तीन महीने के लिए सौंपा है। यह 01–03–2023 से प्रभावी या सीएमडी, एआईएएचएल की नियमित नियुक्ति तक, जो भी पहले हो। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में महानिदेशक के रूप में श्री विक्रम देव दत्त की नियुक्ति के कारण किया गया है। इसे देखते हुए, एआईईएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

श्री विक्रम देव दत्त एआईईएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक और अध्यक्ष के रूप में दिनांक 28–02–2023 से पदमुक्त हो गए। इसके अलावा, एआईईएसएल बोर्ड ने दिनांक 10–03–2023 के पत्र सं. एआईईएसएल/एचक्यू/सीएस/10/05/2022–23 के परिपत्रण द्वारा अपने संकल्प के माध्यम से श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा को दिनांक 01–03–2023 से एआईईएसएल के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में नामांकित और निर्वाचित किया था और एमओसीए/होल्डिंग कंपनी से कोई अगला निर्देश प्राप्त होने तक दिनांक 13–03–2023 को अपेक्षित प्रस्ताव पारित किया।

बोर्ड ने अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के बोर्ड और बोर्ड स्तर की समितियों में अध्यक्ष के रूप में श्री विक्रम देव दत्त, नामित निदेशक के रूप में श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन और नामित निदेशक के रूप में श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा द्वारा उनके कार्यकाल में प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं के लिए अपनी सराहना व्यक्त की।

वर्ष के दौरान, बोर्ड और शेयरधारकों की सभी बैठकों की अध्यक्षता कंपनी के अध्यक्ष द्वारा की गई।

ख) निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

एआईईएसएल पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, इसके निदेशकों की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। कंपनी में कोई पूर्णकालिक निदेशक नहीं है।

नामांकित (अंशकालिक) निदेशकों को कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है।

कंपनी के पास कंपनी के किसी भी निदेशक को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन देने की नीति नहीं है। कंपनी अधिनियम की धारा 178 के तहत आवश्यक निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति बनाने से सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है।

कंपनी ने कोई स्टॉक विकल्प योजना शुरू नहीं की है।

ग) वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बोर्ड की बैठकें और उपस्थितिः

i) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बोर्ड की आठ बैठकें आयोजित की गईः

क.सं	बैठक	बैठक की तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	76वीं	06-04-2022	4	3
2.	77वीं	20-05-2022	4	3
3.	78वीं	01-07-2022	4	4
4.	79वीं	13-09-2022	4	4
5.	80वीं	20-10-2022	4	3
6.	81वीं	27-12-2022	4	3
7.	82वीं	18-01-2023	4	2
8.	83वीं	17-03-2023	3	3

ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–167(1)(ख) के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी।

iii) वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और अंतिम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति का विवरणः

निदेशक	शैक्षिक योग्यता	वर्ष 2022–23 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या		पिछली एजीएम में शामिल हुए और आस्थगित एजीएम		अन्य कंपनियों का विवरण	
		आयोजित (उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान)	उपस्थिति हुए	30–12–2022	30–01–2023 (आस्थगित) एजीएम	कंपनियों में निदेशक	समितियों में सदस्यता
श्री विक्रम देव दत्त – अध्यक्ष (27–01–2022 से 28–02–2023)	बी.टेक एंड पीजीडीएम, आईएएस (यूटी : 93)	7	7	हां	हां	**अध्यक्ष और प्रबंध्ध निदेशक : 1** 28.02.2023 तक एआईएएचएल **अध्यक्ष :** 4 28.02.2023 तक [एआईईएसएल, एआईएएसएल, एएएल, एचसीआई] **निदेशक :** 1 [पीबीएसपीएल]	**अध्यक्षः 4** क. सीएसआर समिति : 2 [एआईईएसएल और एआईएएसएल] ख. एचआर समिति : 1 [एएएल] ग. उडान सुरक्षा समितिः 1 [एएएल] **सदस्य : 4** लेखापरीक्षा समिति : 4 (एआईएएचएल, एआईईएसएल, एआईएएसएल और एएएल)

निदेशक	शैक्षिक योग्यता	वर्ष 2022—23 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या		पिछली एजीएम में शामिल हुए और आस्थगित एजीएम		अन्य कंपनियों का विवरण	
		आयोजित (उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान)	उपस्थिति हुए	30—12—2022	30—01—2023 (आस्थगित) एजीएम	कंपनियों में निदेशक	समितियों में सदस्यता
श्री एस.के.मिश्रा, निदेशक (02—02—2017 से 01—01—2024 तक) (एआईईएसएल बोर्ड ने श्री एस.के. मिश्रा को 01—03—2023 से बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित और निर्वाचित किया था और परिणामस्वरूप 13—03—2023 से सीएसआर समिति के अध्यक्ष बन गए)	एम.टेक (अप्लायड जियोलॉजी) एम. ए. (पब्लिक पालिसी), आईआरएस (आईटी : 1990)	8	8	हां	हां	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** : 1 एआईएएचएल, दिनांक 01—03—2023 से **अध्यक्षः** 4 दिनांक 01—03—2023 से [एआईईएसएल, एआईएएसएल, एएएएल और एचसीआई] **निदेशक** : 3 [एआईएएचएल (22—01—2018 से)] एआईईएसएल (02—02—2017 से और एआईएएसएल (02—02—2017 से)	**अध्यक्ष** : 5 क. सीएसआर समिति : 2 [एआईईएसएल (13—03—2023 से) और एआईएएसएल (14—03—2023 से)] ख मानव संसाधन समिति : 1 (एएएएल) ग. उड़ान सुरक्षा समिति : 1 (एएएएल) घ. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति : 1 (एआईएएचएल) **सदस्यः 6** क. लेखापरीक्षा समिति : 4 [एआईएएचएल, एआईईएसएल, एआईएएसएल और एएएएल] ख. सीएसआर समिति : 2 [एआईईएसएल (13—03—2023 से पहले) और एआईएएसएल (14—03—2023 से पहले)]
श्री वी.ए. पटवर्धन, निदेशक (20—03—2020 से 14—12—2022)	बी कॉम और आईएएस अधिकारी, 1996 बैच	5	5	लागू नहीं	लागू नहीं	**निदेशक :6** [एआईएएचएल, एआईईएसएल, एआईएएसएल, पीएचएल, आईआरईडीए और एसईसीआई]	अध्यक्ष : 5 क. लेखापरीक्षा समिति : 3 [एआईएएचएल, एआईईएसएल और एआईएएसएल] ख. नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी):1 [आईआरईडीए]

निदेशक	शैक्षिक योग्यता	वर्ष 2022–23 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या		पिछली एजीएम में शामिल हुए और आस्थगित एजीएम		अन्य कंपनियों का विवरण	
		आयोजित (उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान)	उपस्थिति हुए	30–12–2022	30–01–2023 (आस्थगित) एजीएम	कंपनियों में निदेशक	समितियों में सदस्यता
							ग. हितधारक संबंध समितिः 1 [आईआरईडीए] **सदस्य : 10** क. लेखापरीक्षा समितिः4 [पीएचएल, एएआई, एसईसीआई और आईआरईडीए] ख. सीएसआर समितिः2 [एआईईएसएल और एआईएएसएल] ग. पारिश्रमिक समितिः 2 [एसईसीआई और एएआई] घ. एनपीए और स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन कमेटीः1 [आईआरईडीए] ड. जोखिम प्रबंधन समितिः1 [आईआरईडीए]
श्रीमती परमा सेन, महिला निदेशक (11–02–2022 से 12–12–2023)	एमएससी भौतिकी, आईए और एएस (1994)	8	3	हां	हां	**निदेशक : 4** [एआईएएचएल, एआईईएसएल, एआईएएसएल और एनएफएचसीएल]	**सदस्य : 5** क. लेखापरीक्षा समितिः2 [एआईईएसएल और एआईएएसएल] ख. सीएसआर समितिः2 [एआईईएसएल और एआईएएसएल] ग. नामांकन और पारिश्रमिक समितिः (एनआरसी): 1 [एआईएएसएल]

निदेशक	शैक्षिक योग्यता	वर्ष 2022–23 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या		पिछली एजीएम में शामिल हुए और आस्थगित एजीएम		अन्य कंपनियों का विवरण	
		आयोजित (उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान)	उपस्थिति हुए	30–12–2022	30–01–2023 (आस्थगित) एजीएम	कंपनियों में निदेशक	समितियों में सदस्यता
श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा (श्री राजेश सिंह) निदेशक (14–12–2022 से 18–01–2023)	बीएससी (भूविज्ञान, गणित), एम.एससी (भूविज्ञान), आईआईटी, सार्वजनिक नीति प्रबंधन में पी.जी. डिप्लोमा	2	1	हां	लागू नहीं	**निदेशक : 7** [एआईएएचएल, एआईईएसएल, एआईएएसएल, पीएचएल, एनआईईआई, एनआईसीएसआई और डीआईसी]	**अध्यक्ष : 2** लेखापरीक्षा समिति:2 एआईईएसएल, एआईएएसएल,] **सदस्य : 2** सीएसआर समिति:2 [एआईईएसएल, एआईएएसएल]
श्री पदम लाल नेगी, निदेशक (18–01–2023 से)	आईडीएएस 1992	1	1	लागू नहीं	हां	**निदेशक : 7** [एएआई, एआईएएचएल, एआईईएसएल, एआईएएसएल, पीएचएल, आइआरईडीए और एसईसीआई]	**अध्यक्ष : 3** लेखापरीक्षा समिति:3 एआईएएचएल, एआईईएसएल, एआईएएसएल,] **सदस्य : 2** सीएसआर समिति:2 [एआईईएसएल, एआईएएसएल]

टिप्पणियाँ :

1. निदेशकों का कार्यकाल की संख्या अधिकतम सीमा के भीतर है : –कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 20 कंपनियां (जिनमें अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियां हो)।
2. निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
3. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं है।
4. डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के तहत निदेशकों की समिति की सदस्यता की संख्या दस की अधिकतम सीमा के भीतर है, जिसमें पांच अध्यक्षता की अनुमत सीमा शामिल है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति की गणना की जानी है।
5. संदर्भित कंपनियों के पूरे नाम :

   क) एएआई – भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

   ख) एआईईएसएल – एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

   ग) एआईएएसएल – एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

   घ) एएएल – एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड

   ड.) एचसीआई – होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

च) पीबीएसपीएल – पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

छ) एनएफएचसीएल – नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड

ज) पीएचएल – पवन हंस लिमिटेड

झ) एसईसीआई – सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

ट) आईआरईडीए – इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड

ठ) एनआईईआई – भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज

ढ) एनआईसीएसआई – राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवाएं शामिल

ड) डीआईसी – डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

3. बोर्ड की प्रक्रियाएं :

बोर्ड की बैठकें सामान्यतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से नई दिल्ली के सफदरजंग हवाईअड्डे पर स्थित एआईईएसएल कार्यालय में आयोजित की जाती थीं। बैठकें आम तौर पर पहले से निर्धारित होती हैं। अत्यावश्यकता या तात्कालिक मामले में, परिपत्रण द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं। बैठक की कार्यसूची संबंधित अधिकारियों/सीईओ द्वारा तैयार की जाती है और इसे कंपनी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बोर्ड के अभिलेख, आमतौर पर बोर्ड के सदस्यों को पहले से परिपत्रित किए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों के पास सभी सूचनाओं तक पहुंच है और वे चर्चा की कार्यसूची में किसी भी मामले को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं। बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है। कृत कार्रवाई की रिपोर्ट समय–समय पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। कंपनी के मामलों पर बेहतर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए, बोर्ड कुछ मामलों को इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समितियों को सौंपता है।

4. आचार संहिता

सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में, बोर्ड ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता को स्वीकार किया है। बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्व ारा संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने की एक प्रणाली है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुपालन की घोषणा इस रिपोर्ट के **अनुबंध–ख–1** के साथ संलग्न है।

5. बोर्ड समितियां

लेखापरीक्षा समिति

कॉरपोरेट गवर्नेंस के भाग के रूप में और कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में, लेखापरीक्षा समिति मूल रूप से मार्च 2016 में निदेशक मंडल की स्वीकृति के साथ संदर्भ की शर्तों को अपनाते हुए गठित की गई थी और समय–समय पर इसका पुनर्गठन किया गया था, जब होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नामित निदेशकों में कोई परिवर्तन होता है। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने समय–समय पर जारी किए गए अपने कई कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से एआईईएसएल के बोर्ड का पुनर्गठन किया था और परिणामस्वरूप बोर्ड ने समय–समय पर बोर्ड समितियों के साथ–साथ ऑडिट समिति का भी पुनर्गठन किया था। इसके बाद, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 28–02–2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, 13 मार्च 2023 को संदर्भ संख्या एआईईएसएल/एचक्यू/सीएस/10/05/2022–23 दिनांक 10–03–2023 के परिपत्रण द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके एआईईएसएल की ऑडिट समिति को बोर्ड द्वारा फिर से पुनर्गठित किया गया था।

क) समिति की संरचना :

दिनांक 31–03–2023 की स्थिति के अनुसार, पदेन क्षमता में निम्नलिखित लेखापरीक्षा समिति के सदस्य थे :

निदेशक का विवरण	समिति में धारित पद
श्री पदम लाल नेगी, जेएस एंड एफए, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, सीएमडी, एआईएएचएल और संयुक्त सचिव, एआई प्रभाग, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
श्रीमती परमा सेन संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम	सदस्य

ख) संदर्भ की शर्तें : लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 (4) के तहत निर्धारित हैं :

i. कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना,

ii. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना,

iii. वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना,

iv. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन–देन को स्वीकृति प्रदान करना या बाद में संशोधन की स्वीकृति देना,

v. अंतर–कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच करना,

vi. कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो,

vii. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना,

viii. सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।

ग) समिति की बैठकें :

बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व अन्य बातों के साथ–साथ कंपनी के वित्तीय विवरण सहित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान सात बार बैठकें कीं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

क.सं	बैठक की संख्या	बैठक की तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या
1	29 वीं	05-04-2022	3
2	30 वीं	20-05-2022	3
3	31 वीं	01-07-2022	3
4	32 वीं	13-09-2022	3
5	33 वीं	20-10-2022	3
6	34 वीं	18-01-2023	2
7	35 वीं	17-03-2023	3

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुपालन में, बोर्ड ने मूल रूप से दिनांक 08–11–2019 को सीएसआर समिति का गठन किया। हालाँकि, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों द्वारा बोर्ड के पुनर्गठन के बाद, एआईईएसएल बोर्ड ने समय–समय पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का भी पुनर्गठन किया। इसके बाद, एमओसीए द्वारा जारी 28–02–2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, कंपनी

अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में दिनांक 13 मार्च 2023 के संदर्भ पत्र संख्या एआईईएसएल/एचक्यू/सीएस/10/05/2022–23 के तहत दिनांक 10–03–2023 के परिपत्रण द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके एआईईएसएल की सीएसआर समिति को बोर्ड द्वारा फिर से पुनर्गठित किया गया।

दिनांक 31–03–2023 तक, सीएसआर समिति में पदेन क्षमता में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

निदेशक का विवरण	समिति में धारित पद
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, सीएमडी, एआईएएचएल और संयुक्त सचिव, एआई प्रभाग, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष
श्री पदम लाल नेगी, जेएस एंड एफए, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
श्रीमती परमा सेन संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम	सदस्य

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर समिति की 2 बैठकें आयोजित की गईं।

क..सं	बैठक संख्या	बैठक की तारीख	उपस्थित निदशकों की संख्या
1	01	18-01-2023	2
2	02	17-03-2023	3

6. पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित आम बैठकें :

कंपनी की आम बैठकों अर्थात पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और असाधारण आम बैठक (ईजीएम) का विवरण नीचे दिया गया है :

एजीएम /ईजीएम	बैठक की तिथि व समय	बैठक का स्थान	विशेष संकल्प
17 वीं स्थगित एजीएम	30-01-2023 को 1230 बजे	पंजीकृत कार्यालय : एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 110 001	नहीं
17 वीं एजीएम	30-12-2022 को 1200 बजे	पंजीकृत कार्यालय : एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 110 001	नहीं
04 ईजीएम	14-01-2022 को 1500 बजे	पंजीकृत कार्यालय : एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 110 001	हां
16 वीं एजीएम	13-12-2021 को 1430 बजे	पंजीकृत कार्यालय : एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 110 001	हां
15 वीं स्थगित एजीएम	23-02-2021 को 1500 बजे	पंजीकृत कार्यालय : एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 110 001	नहीं
15 वीं एजीएम	29-12-2020 को 1630 बजे	पंजीकृत कार्यालय : एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 110 001	नहीं
ईजीएम	13-07-2020 को 1500 बजे	पंजीकृत कार्यालय : एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 110 001	हां

मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पता : सी–101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली वेस्ट, मुंबई 400083 है, जो कंपनी का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) है।

7. प्रकटीकरण और वैधानिक अनुपालन : –

निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यहार, वैधानिक रजिस्टरों के रखरखाव से संबंधित पर्याप्त रूप से प्रकटीकरण किए गए हैं और इन्हें आवधि रूप में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ताकि वे उचित निर्णय ले सकें और बोर्ड व्यवसायिक विषयों की व्यवस्था के लिए नामित अधिकारियों के विशिष्ट प्रत्यायोजन और प्राधिकरण के लिए स्पष्ट नीति का अनुसरण करता है। प्रकटन, सूचना, दस्तावेजों और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए फाइलिंग को समयबद्ध तरीके से किया जाता है और इसमें कोई मामला लंबित नहीं है। स्व–मूल्यांकन के आधार पर कंपनी, वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 और 2022–2023 तीनों के लिए डीपीई कॉर्पोरेट के निगमित शासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत उत्कृष्ट ग्रेड के तहत आती है। डीपीई ने 2021–22 के दौरान डीपीई शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु एआईएसएल को उत्कृष्ट ग्रेडिंग भी प्रदान की है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

ह/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष
डीआईएनः 08086220

दिनांकः 11–03–2024
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध–ख-1

आचार संहिता

घोषणापत्र

सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए, निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गई आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/–
(शरद अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

दिनांक : 11–03–2024
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध–ग

फॉर्म संख्या एमजीटी 9–वार्षिक विवरणी से उद्धरण

दिनांक 31–03–2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014
के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरणी:

1.	सीआईएन	यू74210डीएल2004जीओआई125114
2.	पंजीकरण की तारीख	11–03–2004
3.	कंपनी का नाम	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (एआईईएसएल) (पूर्व में एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
4.	कंपनी की श्रेणी / उप–श्रेणी	शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड / केन्द्रीय सरकार की कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	* दूसरा तल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र, नई दिल्ली – 110003, फोन नंबर : 011–24600763
6	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	जी, नहीं
7.	पंजीकार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई हों, का नाम, पता और संपर्क विवरण	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी–101, 247 पार्क, एल.बी.एस मार्ग, विखरोली वेस्ट, मुंबई –400083

**जून 2023 में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001 से बदलकर दूसरी मंजिल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग एयरपोर्ट एरिया, नई दिल्ली – 110003 कर दिया गया है।*

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां (कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक अंशदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख करें) –

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
I.	तकनीकी हैंडलिंग, एमआरओ, और अन्य सेवाएं	9987	100 प्रतिशत

III. होल्डिंग, सहायक तथा सहयोजित कंपनी का विवरण:

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन / जीआईएन	होल्डिंग / सहायक / सहयोजित	शेयरों का :	लागू धारा
1	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड दूसरी मंजिल, एआई प्रशासनिक भवन, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग हवाईअड्डा क्षेत्र, नई दिल्ली – 110003.	U74999DL2018GOI328865	होल्डिंग	100%	2 (46)

IV. शेयर धारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

क. श्रेणीवार शेयरधारण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01–04–2022 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31–03–2023 को)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) वैयक्तिक/हिंदू संयुक्त परिवार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) राज्य सरकार (रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) निगमित निकाय*	166,666,500	-	166,666,500	100	166,666,500	-	166,666,500	100	0.00
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तक (क) की कुल शेयर धारिता	166,666,500	-	166,666,500	100	166,666,500	-	166,666,500	100	0.00
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता	**लागू नहीं**								
1. संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) म्युचुअल फंड/ यूटीआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) बैंक/वित्तीय संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(छ) वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(झ) अन्य (स्पष्ट करें) विदेशी बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–जोड़ (ख) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर–संस्थाएं	**लागू नहीं**								
(क) निगमित निकाय (मार्केट मेकर + एलएलपी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रुपए तक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2022 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2023 को)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
ii) 1 लाख रुपए से अधिक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) अनिवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अनिवासी भारतीय – गैर प्रत्यावर्तित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) कार्यालय पदधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) निदेशकगण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) हिंदू संयुक्त परिवार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) विदेशी निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) विदेशी नागरिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) क्लीयरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) न्यास	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) विदेशी निकाय – डी आर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–जोड़ (ख) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	**166,666,500**	-	**166,666,500**	**100**	**166,666,500**	-	**166,666,500**	**100**	**0.00**

* *निकाय कॉर्पोरेट : कंपनी की 100 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग, 12–01–2022 से एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) व इसके नामांकित व्यक्तियों के पास है।*

ख) प्रवर्तक की शेयरधारिता

क्र.स	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का%	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का%	
1.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड और इसके नामिति	166,666,500	100	शून्य	166,666,500	100	शून्य	0.00

प्रमोटरों की शेयरधारिता : कंपनी एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है – जिसके पास दिनांक 12–01–2022 तक प्रति 10/– रुपये के 166,666,500 इक्विटी शेयर हैं और सम्पूर्ण शेयरहोल्डिंग भारतीय प्रमोटरों के पास थी।

ग) प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो कृपया स्पष्ट करें) :

विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरंभ में				
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	166,666,500	100%	-	-
वर्ष के अंत में				
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	-	-	166,666,500	100%

घ) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता का पैटर्न : (निदेशकगण, प्रवर्तक तथा जीडीआर एवं एडीआर के अलावा):

क्र. सं.	10 शीष शेयरधारको में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के शयरों का कुल प्रतिशत	शेयरों की संख्या	क्ंपनी के शयरों का कुल प्रतिशत
1	लागू नहीं				
2					

ङ) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशकगण तथा प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में धारित संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	शून्य				
	[नोट : इक्विटी शेयर केवल होल्डिंग कंपनी (अर्थात एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड) के नामांकित व्यक्तियों के पास हैं, जिसमें निदेशक भी शामिल हैं]				
	कुल				

V. ऋणग्रस्तता – बकाया ब्याज/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

(करोड़ रुपए में)

	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता	–	–	–	–
i) मूल राशि	–	–	–	–
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	–	–	–	–
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	–	–	–	–

	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
कुल (i+ii+iii)	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	–	–	–	–
* परिवर्धन	–	–	–	–
* कमी	–	–	–	–
निवल परिवर्तन	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	–	–	–	–
i) मूल राशि	–	–	–	–
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	–	–	–	–
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	–	–	–	–
कुल (i+ii+iii)	–	–	–	–

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक :

(आंकडे रूपये में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम					कुल राशि
कंपनी में वर्ष 2022–23 के दौरान सीईओ को छोड़कर कोई प्रबंधन, पूर्णकालीन निदेशक नहीं है। सीईओ का विवरण केएमपी के अंतर्गत प्रदान किया गया है।							शून्य
1	सकल वेतन	–	–	–	–	–	–
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन						
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य						
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ						
2	स्टॉक विकल्प	–	–	–	–	–	–
3	स्वीट इक्विटी	–	–	–	–	–	–
4	अन्य के लाभ का प्रतिशत बतौर कमीशन, उल्लेख करें	–	–	–	–	–	–
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)	–	–	–	–	–	–
	कुल (क)	–	–	–	–	–	–
	अधिनियम के अनुसार सीमा						

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक – लागू नहीं

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	–	–	–	–	–	–
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	–	–	–	–	–	–
	कमीशन	–	–	–	–	–	–
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप–समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क)	–	–	–	–	–	–
	कुल (1)	–	–	–	–	–	–

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक	–	–	–	–	–	–
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	–	–	–	–	–	–
	कमीशन	–	–	–	–	–	–
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	–	–	–	–	–	–
	कुल (2)	–	–	–	–	–	–
	कुल (ख) = (1 + 2)	–	–	–	–	–	–
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	–	–	–	–	–	–
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	–	–	–	–	–	–

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(आंकड़े मिलियन में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	Key Managerial Personnel					
		सीईओ		सीएस	सीएफओ		कुल
		श्री जोस मैथ्यू (01.04.2022 से 30.04.2022 तक)	श्री शरद अग्रवाल (01.05.2022 से 31.03. 2023 तक)	सुश्री साक्षी मेहता (01.04.2022 से 31.03. 2023)	श्री गोपाल कृष्ण वलेचा (01.04.2022 से 20.05. 2022)	श्री राकेश कुमार जैन (20.05.2022 से 31.03. 2023 तक)	
1	सकल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	4,05,600	44,40,686	9,73,200	4,00,000	21,29,032	**83,48,518**
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	-	3,21,057	-	-	1,65,940	**4,86,997**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-	
3	स्वीट इक्विटी	-	-	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	लाभ के % के रूप में	-	-	-	-	-	-
	अन्य स्पष्ट करें	-	-	-	-	-	-
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)	-	-	-	-	-	-
	कुल	**4,05,600**	**47,61,743**	**9,73,200**	**4,00,000**	**22,94,972**	**88,35,515**

VII. दंड/सज़ा/अपराधों की कंपाउंडिंग : शून्य

प्रकार		कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सज़ा/ कंपाउंडिंग फीस का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट)	अपील, यदि की गई है (विवरण दें)
क.	कंपनी	शून्य				
	दंड	-	-	-	-	-
	सजा	-	-	-	-	-
	कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ख.	निदेशकगण	शून्य				
	दंड	-	-	-	-	-
	सज़ा	-	-	-	-	-
	कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ग.	चूक करने वाले अन्य अधिकारी	शून्य				
	दंड	-	-	-	-	-
	सज़ा	-	-	-	-	-
	कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

ह/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष
डीआईएनः 08086220

दिनांकः 11–03–2024
स्थानः नई दिल्ली

अनुबंध–घ

फार्म सं. एओसी–2

[अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी लेखा नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण संबंधी फॉर्म, जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ आर्म लैंथ लेनदेन शामिल हैं:

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण, जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं: शून्य

2. आर्म लैंथ आधार पर अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अधिनियम की धारा 188(1) के तहत संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्था/लेन–देन, व्यापार के सामान्य क्रम में एक आर्म लैंथ के आधार पर थे, जिन्हें दिनांक 20–10–2022 को आयोजित कंपनी की 80वीं बोर्ड बैठक द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन जो आर्म लैंथ आधार पर किए गए थे, का विवरण इस प्रकार है:

संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	संव्यवहार की अवधि	लेन–देन की प्रकृति	राशि (मिलियन में)
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल)	1 अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023	एमआरओ सेवाओं से राजस्व	586.7
		अन्य आय (ब्याज)	173.45
		कुल राजस्व (आय)	**760.15**
		व्यय	-
		कुल व्यय	-
एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)	1 अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023	**एमआरओ सेवाओं से राजस्व (कुल आय)**	**12.42**
		हैंडलिंग प्रभार	200.82
		जनशक्ति लागत	3.26
		बकाया राशि पर ब्याज	21.87
		कुल व्यय	**225.95**
भारतीय होटल निगम (एचसीआई) (सेंटूर होटल्स)	1 अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023	होटल के कमरे का शुल्क और अन्य (ड्यूटी पर कर्मचारी)	16.38
		कुल व्यय	**16.38**
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) होल्डिंग कंपनी	1 अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023	**सुरक्षा सेवाओं के लिए प्राप्य राशि (कुल आय)**	**15.05**
		बकाया राशि पर ब्याज	1,865.56
		किराया व्यय	467.35
		प्रतिपूर्ति	69.22
		कुल व्यय	**2,402.13**

संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	संव्यवहार की अवधि	लेन–देन की प्रकृति	राशि (मिलियन में)
कुल आय (क)			**787.62**
कुल व्यय (ख)			**2,644.46**
कुल राशि (क + ख)			**3,432.08** यानि **343.2** करोड़ रूपए के समतुल्य

टिप्पणी :

1. लेखांकन मानकों के अनुसार 'संबंधित पक्ष प्रकटीकरण' का विवरण वित्तीय विवरणों में खातों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

ह/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष
डीआईएनः 08086220

दिनांकः 11–03–2024
स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्नक – ड.

सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष (वि.व) 2022–23 के लिए (कंपनी (सीएसआर नीति) के नियम 2014 की आवश्यकताओं के अनुसार)

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा।

- एआईईएसएल हमारे द्वारा संचालित स्थानीय समुदायों के सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से कार्य करने की परिकल्पना करता है। हवाई अड्डों और शहर के कार्यालयों ने सुदृढ निर्माण करके, टिकाऊ समुदायों का विकास किया और देश के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया।
- कंपनी के निदेशक मंडल ने एक सीएसआर नीति अपनाई है, जो मानती है कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी केवल अनुपालन नहीं है, यह उन पहलों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता है, जो अधिनियम की अनुसूची– VII में निर्दिष्ट एक या अधिक फोकस क्षेत्रों द्वारा बड़े पैमाने पर समुदाय को लाभान्वित करती हैं।
- प्रत्येक कार्य केंद्र पर किए गए सीएसआर कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, कार्य केंद्र प्रमुख द्वारा एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- कंपनी सीएसआर खर्चों का उचित लेखाजोखा सुनिश्चित करने के लिए एक लेखा प्रणाली स्थापित करेगी।
- प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के अवलोकन सहित कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.aiesl.in पर देखी जा सकती है।

2. सीएसआर समिति की संरचना :

क..सं	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया गया
1.	*श्री विक्रम देव दत्त	अध्यक्ष (28–02–2023 से अध्यक्ष नहीं रहे)	2	1
2.	*श्री एस.के. मिश्रा	सदस्य (पदनाम 13–03–2023 से सदस्य से बदलकर अध्यक्ष कर दिया गया)	2	2
3.	श्री विमलेन्द्र आनंद पटवर्धन	सदस्य (14–12–2022 से सदस्य नहीं)	2	0
4.	** श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा	सदस्य (सदस्य 19–12–2022 से 18–01–2023 तक)	2	0
5.	श्री पदम लाल नेगी	सदस्य (30–01–2023 से सदस्य)	2	1
6.	**श्रीमती परमा सेन	सदस्य	2	1

** श्री विक्रम देव दत्त, दिनांक 28–02–2023 से एआईईएसएल के बोर्ड और सीएसआर समिति से नामित निदेशक और अध्यक्ष के रूप में पदमुक्त हो गए। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा जारी दिनांक*

28–02–2023 के ओएम के अनुसार, एआईईएसएल की सीएसआर समिति को एआईईएसएल बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में, दिनांक 13–03–2023 को संदर्भ संख्या एआईईएसएल/एचक्यू//10/05/2022–23 दिनांक 10–03–2023, के साथ एक परिपत्र प्रस्ताव पारित करके पुनर्गठित किया गया था, जिससे श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा दिनांक 13–03–2023 से सीएसआर समिति के अध्यक्ष बन गए हैं।

*** सीएसआर समिति की वर्ष के दौरान दो बार बैठक हुई अर्थात दिनांक 18–01–2023, और 17–03–2023। श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। इसके अलावा, श्री विक्रम देव दत्त और श्री पदम लाल नेगी ने अपने–अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की एक बैठक में भाग लिया और श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित दिनांक 18–01–2023 की बैठक में शामिल नहीं हुए।*

3. **वेब लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया जाता है :**

क.सं	विवरण	वेबलिंक
1.	सीएसआर समिति की संरचना	https://www.aiesl.in/Composition-of%20CSR-Committee.aspx
2.	सीएसआर नीति	https://www.aiesl.in/CSRPolicy.aspx
3.	बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजना	लागू नहीं*

* वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 40.94 मिलियन रुपये की संपूर्ण सीएसआर व्यय राशि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान द्वारा की गई थी (अर्थात 29–03–2023 को 1000/– रुपये और 31–03–2023 को 40939000/– रुपये)) बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार।

4. **यदि लागू हो तो कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें) :**

   लागू नहीं (एनए)।

5. **कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में सेटऑफ के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए सेटऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो, का विवरण :**

   लागू नहीं।

6. **धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ : 2047.12 लाख**

7. **(क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत :** 40.94 मिलियन रुपये

   (ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य।

   (ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो : लागू नहीं।

   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क + 7ख – 7ग) : 40.94 मिलियन रुपये।

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि : 40.94 मिलियन रुपये।

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि. (मिलियन रूपये में)	खर्च न की गई राशि (रु. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि।		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोश में 40.94	-	-	-	-	-

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : शून्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम.	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपए में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका	कार्यान्वयन का तरीका– कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.												

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं से इतर परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : शून्य।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष तरीका (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका–कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
			लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि : शून्य

(ड.) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो : लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख + 8ग + 8घ + 8ड.) : शून्य

(छ) सेटऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो : शून्य

क.सं.	विवरण	राशि (रूपए मिलियन में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिषत	40.94
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	40.94
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	-
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेटऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	-

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण : लागू नहीं

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई	परियोजना अवधि	परियोजनाके लिए आवंटन कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	पूर्ण/चालू परियोजना की स्थिति
1.		-	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-	-

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अर्जित संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति–वार विवरण) : लागू नहीं

(क) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि : लागू नहीं

(ख) उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि : लागू नहीं

(ग) बनाई गई या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) : लागू नहीं

(घ) यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें : लागू नहीं

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के लिए

हस्ता/–
असंगबा चुबा आओ
सीएसआर समिति के अध्यक्ष

हस्ता/–
शरद अग्रवाल
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

हस्ता/–
श्री राकेश कुमार जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में
सदस्य,
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड,
दूसरा तल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र,
सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली – 110003

मैंने **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड**, (CIN: U74210DL2004GOI125114) (यहां पर कंपनी अथवा एआईईएसएल कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन एवं उचित निगमित कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे मुझे निगमित कार्यों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु एक उचित आधार मिला और उस पर अपनी राय व्यक्त कर सका।

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड की बहियों, दस्तावेज़ों, कार्यवृत्त की बहियों, दायर किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के आधार पर और इसके अलावा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों, सचिवीय लेखापरीक्षा करते समय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर मैं एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि को रक्षित करते हुए सामान्यतरू इसके अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इसके अतिरिक्त कंपनी के पास इसके नीचे दी गई रिपोर्टिंग की पद्धति से और उसके अधीन कंपनी के पास उपयुक्त व्यापक आधार की प्रक्रियाएं एवं अनुपालन प्रणाली मौजूद है :

क. मैंने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए रिटर्न एवं शर्तें तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों की जांच की है, जो निम्न हैं :

(i) निम्नलिखित अवलोकनों के अध्याधीन कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अधीन बनाए गए नियम;

क) समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, जैसा लागू हो, का अनुपालन किया है, और इसके अलावा सार्वजनिक कंपनियों, जो गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और 178 के तहत संशोधित कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, 2014 के नियम 4(2) के साथ पठित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अपेक्षित नहीं है। हालाँकि, कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2010 पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर–सूचीबद्ध सीपीएसई क्रमशः स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, ऑडिट समिति और पारिश्रमिक समिति की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें दोनों समितियों का गठन स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किया जाना आवश्यक है। कंपनी ने उक्त छूट पाने के लिए डीपीई को आवेदन किया है।

ख) कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के तहत 06.09.2022 के एसआरएन एफ 23908106 के माध्यम से दायर आवेदन पर एजीएम (जो 30 सितंबर, 2022 को या उससे पहले आयोजित होने वाली थी) आयोजित करने के उद्देश्य से 9 सितंबर, 2022 के आदेश के माध्यम से 3 महीने के लिए समय विस्तार दिया गया था। कंपनी की एजीएम 30 दिसंबर, 2022 को आयोजित की गई थी। हालांकि, कंपनी के ऑडिटेड वित्तीय विवरण को सदस्यों द्वारा कंपनी 30 जनवरी, 2023 को आयोजित स्थगित एजीएम में अपनाया गया था।

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप विधियां; (कंपनी पर लागू नहीं)

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक; (कंपनी पर लागू नहीं)

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों एवं टेक ओवर्स का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; (कंपनी पर लागू नहीं)

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निमोध) विनियम, 1992; (कंपनी पर लागू नहीं)

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2009; (कंपनी पर लागू नहीं)

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999; (कंपनी पर लागू नहीं)

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2008; (कंपनी पर लागू नहीं)

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम पंजीकार तथा शेयर स्थानांतरण एजेंट) विनियम, 1993, जो कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ व्यवहार करने के संबंध में है; (कंपनी पर लागू नहीं)

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009; (कंपनी पर लागू नहीं) एवं;

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998; (कंपनी पर लागू नहीं)

(vi) विमानन क्षेत्र में निम्नलिखित कानून विशेष रूप से कंपनी के लिए लागू होते है–

- वायुयान अधिनियम, 1934
- डीजीसीए द्वारा जारी नागर विमानन की आवश्यकताएं

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं, कि कंपनी ने विमानन कानूनों के तहत उपरोक्त सीएआर का अनुपालन किया है और कंपनी द्वारा ऐसे विमानन कानूनों के अनुपालन की समीक्षा, इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है, जो डीजीसीए और अन्य नामित पेशेवरों/प्राधिकारियों द्वारा समीक्षा के अध्यधीन हैं।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के पालन की परीक्षा भी की है :

क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक; और

ख) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 14 मई, 2010 के का.ज्ञा.सं. 18(8)/2005–जीएम में निर्धारित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन संबंधी मार्गनिर्देश।

ग) गैर–सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता हेतु कोई समझौते करना अपेक्षित नहीं था।

मैंने कंपनी में परीक्षण के आधार पर लागू निम्नलिखित कानून के संबंध में अनुपालन ढांचे, प्रक्रिया और प्रणाली का निरीक्षण किया।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यौन उत्पीड़न विरोधी नीति तैयार की है। यौन उत्पीड़न संबंधित प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी द्वारा लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानूनों के अनुपालन की समीक्षा इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि उसकी समीक्षा सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा एवं अन्य पदनामित व्यावसायिकों द्वारा की जानी है।

समीक्षा अवधि के दौरान तथा प्रबंधन द्वारा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण और व्याख्या तथा अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी ने सामान्यतः उपरोक्त विषय और उसमें उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन किया है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं किः

कार्यपालक निदेशक, गैर कार्यपालक निदेशक और नामिती निदेशकों का समुचित तालमेल बिठाते हुए कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संयोजन में परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया है।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक के कम से कम सात दिन पूर्व नोटिस दी जाती है और जहां बोर्ड की बैठक अल्प सूचना पर बुलाई जाती है, वहां कम से कम एक नामिती निदेशक की उपस्थिति सुनिश्चित की गई, कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट भेजा गया तथा बैठक से पूर्व एवं बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता के लिए कार्यसूची पर और अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई।

प्रबंध मंडल की प्रस्तुति के अनुसार बोर्ड की बैठकों में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन एवं मेरे विश्वास के अनुसार कंपनी पर लागू कानून, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों को मॉनीटर करने एवं उनका अनपुालन सुनिश्चित

करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रक्रिया एवं प्रणाली उपलब्ध है। यह सूचित किया गया है कि विभिन्न सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई मांगों, दावों, जुर्मानों आदि का कंपनी ने उत्तर दिया है तथा यथाआवश्यक सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि ऑडिट अवधि के दौरान, ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई विशेष घटना/कार्यवाहियां नहीं हुई हैं।

कृते जे पी सैनी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
(जीवन प्रकाश सैनी)
प्रोप्राइटर
एफसीएस संख्या : 3671
सीपी संख्या: 2100

दिनांक : 07 नवंबर, 2023
स्थानः नई दिल्ली
यूडीआईएन F003671E000967194

नोट 1 : उपरोक्त के संबंध में विशेष गैर–अनुपालन/टिप्पणी/लेखापरीक्षा क्वॉलीफिकेशन, संदेह अथवा प्रतिकूल टिप्पणियां यथास्थान दी गई है।

नोट 2 : यह रिपोर्ट हमारे दिनांक के पत्र के साथ पढी जाए जो परिशिष्ट “क” के रूप में संलग्न की गई है तथा इस रिपोर्ट का अविभाज्य भाग है।

परिशिष्ट—क

सेवा में
सदस्यगण,
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड,
दूसरा तल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र,
सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली – 110003

समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।
2. मैंने, सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की यथार्थता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा चलनों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। सत्यापन परीक्षण जांच के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों। मेरा विश्वास है कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं चलन हमारी राय के लिए युक्तिसंगत आधार प्रदान करती हैं।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों की यथार्थता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ है, मैंने विधियों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. निगम एवं अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपाल0न प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा परीक्षण, परीक्षण जांच के आधार पर क्रियाविधियों के सत्यापन तक सीमित था।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी का कारोबार किया है।

कृते जे पी सैनी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
(जीवन प्रकाश सैनी)
प्रोप्राइटर
एफसीएस संख्या : 3671
सीपी संख्याः 2100

दिनांक : 07 सितंबर, 2023
स्थानः नई दिल्ली

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा के अवलोकनों पर प्रबंधन के उत्तर

	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
क	क) समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, जैसा लागू हो, का अनुपालन किया है, और इसके अलावा सार्वजनिक कंपनियों, जो गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और 178 के तहत संशोधित कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, 2014 के नियम 4(2) के साथ पठित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अपेक्षित नहीं है। हालाँकि, कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2010 पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर–सूचीबद्ध सीपीएसई क्रमशः स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, ऑडिट समिति और पारिश्रमिक समिति की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें दोनों समितियों का गठन स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किया जाना आवश्यक है। कंपनी ने उक्त छूट पाने के लिए डीपीई को आवेदन किया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
ख	ख) कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के तहत 06–09–2022 के एसआरएन एफ 23908106 के माध्यम से दायर आवेदन पर एजीएम (जो 30 सितंबर, 2022 को या उससे पहले आयोजित होने वाली थी) आयोजित करने के उद्देश्य से 9 सितंबर, 2022 के आदेश के माध्यम से 3 महीने के लिए समय विस्तार दिया गया था। कंपनी की एजीएम 30 दिसंबर, 2022 को आयोजित की गई थी। हालांकि, कंपनी के ऑडिटेड वित्तीय विवरण को सदस्यों द्वारा कंपनी 30 जनवरी, 2023 को आयोजित स्थगित एजीएम में अपनाया गया था।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिषों के आधार पर दिनांक 20–10–2022 को आयोजित 80वीं बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। बोर्ड की मंजूरी के बाद, वित्तीय विवरणों को उस पर रिपोर्ट के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों को भेजा गया था और उसके बाद लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था।

		सी एंड एजी की टिप्पणियाँ दिनांक 03–01–2023 के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुईं और उन्हें प्रबंधन के उत्तरों के साथ 18–01–2023 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड के समक्ष रखा गया। इसके बाद, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण 30–01–2023 को आयोजित कंपनी की स्थगित 17वीं एजीएम में अपनाए गए।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षण के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 20 दिसंबर, 2023 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ए) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक उत्पन्न करें।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
(राजीव कुमार पांडे)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (अवसंरचना)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँकः 23 फरवरी, 2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड
के सदस्यों हेतु

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

मत

हमने एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (पहले एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस के रूप में जानी जाती थी) (''कंपनी'') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण संबंधी ब्यौरा एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरणात्मक जानकारी (जिसे यहां आगे ''स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण कहा जाएगा''कंपनी) सहित वित्तीय विवरणों पर नोट शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') में यथाअपेक्षित तरीके, से आवश्यक सूचना देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप उचित दृष्टिकोण, यथासंशोधित (इंड एएस) और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांत के अनुसार मामलों की स्थिति के बारे में 31 मार्च, 2023 को कंपनी के कार्यकलापों तथा इसकी हानि, इक्विटी में परिवर्तनों एवं उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसएएस) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है। हमारी रिपोर्ट के भाग–वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तार से वर्णन किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के साथ–साथ उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक है, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई हमारी रिपोर्ट के भाग–''वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व'' में उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तार से वर्णन किया है और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मत है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का महत्व

1. कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, लेखापरीक्षा समिति के गठन और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (4), धारा 177 और धारा 178 की छूट के लिए लोक उद्यम विभाग को दिनांक 01–09–2020 को पत्र लिखा है। लोक उद्यम विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है।

2. क) इन्वेंटरी पर भारतीय लेखा मानक 2 के पैरा 9 के अनुसारः

इन्वेंटरी का मापन लागत या प्राप्य निवल मूल्य पर किया जाना है। वर्ष के दौरान कंपनी ने इन्वेंटरी का मूल्यांकन तुलनात्मक औसत लागत पर किया है। वर्ष के अंत में इन्वेंटरी का मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार नहीं किया गया है। अतः हम उसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

ख) सेप में अनुरक्षित वित्तीय बहियों के अनुसार इन्वेंटरी मूल्यांकन और अलग–अलग सॉफ्टवेयर ''रैमको'' द्वारा वास्तविक इन्वेंट्री लेखांकन अलग–अलग है। मूल्य के मिलान के अभाव में, हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि आरंभिक मूल्यांकन ऋणात्मक है। इन्वेंट्री में कोई भी शेष ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी कंपनी ने इन्वेंट्री की कमी के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया है लेकिन इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है।

3. कंपनी ने कुछ खर्चों का लेखाकरण करते हुए और खर्चों का प्रावधान करते हुए स्त्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की है। इस गैर–अनुपालन के प्रभाव को मापा नहीं जा सकता।

4. कंपनी ने इंटर कंपनियों के औसत शेष पर देय/प्राप्य ब्याज की गणना की है। कंपनी ने विभिन्न इंटर कंपनियों के साथ एमएसए (एमएसए) के अनुसार ब्याज की गणना नही की है।

5. कंपनी ने परिसंपत्तियों की हानि पर इंड एएस 36 का अनुपालन नहीं किया है।

6. क) कुछ नियंत्रण खाता बही सहित कर्मचारियों से वसूली योग्य और कुछ देय राशि के गैर–मिलानयुक्त मदों समायोजन और मिलान प्रक्रिया में है। (खातों की टिप्पणियों के नोट संख्या 29(iii) का संदर्भ लें।)

ख) व्यापार प्राप्य, प्राप्त जमा, भुगतान जमा और व्यापार देय पुष्टि के अधीन हैं। (खातों की टिप्पणियों के नोट संख्या 29(i) का संदर्भ लें।)

ग) कंपनी राजस्व और स्रोत पर कर कटौती के समाधान की प्रक्रिया में है, जैसा कि वित्तीय लेखा में और यह 26 एएस के अनुसार है।

घ) माल एवं सेवाकर (जीएसटी) और अन्य सांविधिक देय राशि, दायर किए गए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए वैधानिक रिकॉर्ड के साथ मिलान की प्रक्रिया में हैं। (खातों की टिप्पणियों के लिए नोट संख्या 29(ii) देखें।)

7. कंपनी की नीति के अनुसार, पीपीई के भौतिक सत्यापन के लिए, कंपनी ने चरणबद्ध तरीके से पीपीई (दिल्ली) की संपत्ति टैगिंग के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक पेशेवर फर्म को नियुक्त किया है। इस फर्म ने दिनांक 17 अगस्त, 2022 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें 0.83 मिलियन रूपए की डब्ल्यूडीवी वाली 41 वस्तुओं की कमी दिखाई गई है और 2152 अतिरेक वस्तुएं पाई गईं। पाई गई विसंगतियों और अधिकता को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेने के पश्चात समायोजित/लेखांकित किया जाएगा। इसके अलावा, प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, संपत्ति सूची में दिए गए संपत्ति कोड की पहचान करने के लिए उत्पाद/संपत्ति कोड की अनुपलब्धता के कारण 1056 संपत्तियों को सत्यापित नहीं किया जा सका।

8. पिछले वर्ष 2020–21 और 2021–22 में 517.49 मिलियन रुपये के पूर्व अवधि व्यय और 175.66 मिलियन रुपये की पूर्व अवधि आय को दर्ज किया गया है। वर्ष 2020–2021 और 2021–2022 की बहियों में बुक किया गया है और संबंधित वर्षों में परिणामी समायोजन/प्रकटीकरण किया गया है। (बहियों के नोट के लिए नोट संख्या 28 देखें)। इन मामलों के संबंध में हमारी राय अर्हक नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें वे मामले हैं, जो हमारे व्यवसायी निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थें। इन मामलों को वित्तीय विवरणो ं के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में तथा उन पर हमारी राय बनाने में समग्र रुप से संबोधित किया गया था और इन मामलों पर हम अलग राय नहीं देते है। हमनें निम्न निम्न किए गए मामलों को, प्रमुख मामले माना है और अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है।

क.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले
1.	इन्वेंटरी मूल्यांकन और लेखांकन इन्वेंटरी लेखांकन का अनुरक्षण ''रैमको'' सॉफ्टवेयर पर बनाए रखा गया है जबकि वित्तीय रिकॉर्ड एसएपी में बनाए रखा जाता है। इन्वेंटरी मूल्यांकन 604.39 मिलियन की भारित औसत पद्धति पर लिया गया है क्योंकि एसएपी में 01–04–2022 से कई प्रविष्टियाँ ऋणात्मक हैं, जो लेखांकन में स्वीकार्य नहीं हैं। प्रबंधन ने अनुमान के आधार पर 500 करोड़ का प्रावधान किया है, जो अन्य लेखांकन प्रभाव को प्रभावित करेगा जिसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त अवलोकन के आधार पर, हम अन्य लेखों में इसके निहितार्थ और अन्य प्रभावों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि एआईएल द्वारा हस्तांतरित इन्वेंट्री को भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया है।
2.	भारत सरकार ने दिनांक 16 फरवरी, 2022 के पत्र के माध्यम से विनिवेश के बाद एआईईएसएल के पात्र स्थायी कर्मचारियों सहित एअर इंडिया लिमिटेड के पात्र स्थायी रूप से सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ सुविधा को मंजूरी दे दी है। योजना के अनुसार, इस योजना के तहत सभी खर्च बजटीय प्रावधानों के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। एआईईएसएल ने पहले के वर्षों में प्रदान किए गए चिकित्सा व्यय के 233.42 करोड़ रुपये वापस कर दिए हैं। यह पहले के वर्षों में देनदारी के रूप में ली गई बड़ी राशि है।
3.	एआईईएसएल ने आयकर फाइलिंग को पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया है और शुद्ध आय के साथ दिनांक 30–10–2023 को आयकर रिटर्न दाखिल की गई है और 86.08 करोड़ के रिफंड का दावा किया है, जिसे आयकर विभाग ने दोषपूर्ण माना है। अब कंपनी ने 33.90 करोड़ रुपये के आयकर का प्रावधान किया है, आयकर रिटर्न के साथ दाखिल शेष राशि के आंकड़े लेखापरीक्षित तुलनपत्र के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं, इसलिए हम इस तरह की फाइलिंग के परिणाम के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी को तैयार करने का उत्तदायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है। अन्य जानकारी में बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड रिपोर्ट, व्यवसाय उत्तदायित्व रिपोर्ट, निगमित शासन तथा शेयरधारकों से संबंधित जानकारी शामिल है, परंतु स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, अन्य सूचना को शामिल नहीं करता है और हम इस पर किसी प्रकार का समापन आश्वासन प्रस्तुत नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

हमारे कार्य के आधार पर यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अन्य जानकारी में वस्तुतः असंगतता है तो हमें इस तथ्य को रिपोर्ट करना होगा। इस मामले में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरादयित्व

अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण मानकों के अनसुरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकना तथा पता लगाना, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन लागू करना, युक्तियुक्त तथा विवेकाधिकार निर्णय लेना एवं प्राक्कलन करना, सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाने वाले तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण तथ्यपरक गलती के परे वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखाकरण रिकार्डों की यथार्थता तथा परिपूर्णता के सुनिश्चय के लिए प्रभावी तौर पर प्रचलित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव भी शामिल है।

जब तक की निदेशक मंडल या तो कंपनी का परिसमापन करने या फिर प्रचालन बंद करने के लिए इच्छुक न हो अथवा ऐसा करने के अलावा उनके पास कोई वास्तविक विकल्प न होने तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में गोईंग कन्सर्न के रुप में कंपनी की योग्यता को बनाए रखने का निर्धारण, गोईंग कंन्सर्न से संबंधित यथा लागू मामलों का प्रकटन तथा लेखाकरण के गोईंग कंन्सर्न आधार का उद्‌योग करने के लिए निदेशक मंडल उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

धोखाधड़ी अथवा कपट के कारण वित्तीय विवरण संपूर्णतः तथ्यपरक गलती से परे है, इसके बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना तथा एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जिसमें हमारा मत शामिल है, को जारी करना हमारा उद्‌देश्य है। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु इसकी कोई गांरटी नहीं है कि लेखाकरण के मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा महत्वपूर्ण तथ्यपरक गलती होने का हमेशा पता लगाएगी। तथ्यपरक गलती धोखा अथवा त्रुटि के कारण हो सकता है तथा महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल अथवा सामूहिक तौर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों पर युक्तियुक्त रुप से प्रभाव डाल सकता है।

लेखा मानकों के अनुसरण में एक लेखापरीक्षक के रुप में, हम व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं तथा लेखापरीक्षा के आरंभ से अंत तक व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हमारे द्वारा नीचे उल्लिखित कार्य भी पूरे किए जाते हैः

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की, कपट अथवा त्रुटि के कारण तथ्यपरक गलतियों की पहचान तथा ज़ोखिमों का निर्धारण करना, उन ज़ोखिमों के प्रत्युत्तरदायिता में लेखापरीक्षा को डिज़ाईन तथा निष्पादित करना एवं लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हो। कपट के परिणामस्वरुप होने वाली तथ्यपरक गलती के पता न लगाए जाने की ज़ोखिम गलती से पता न लगने की तुलना में अधिक है, क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, ज़ालसाज़ी, इरादतन चूक, अन्यथा–कथन अथवा नियंत्रण का अभिभाव समाहित हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुरुप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाईन किया जा सके। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (3)(i) के अधीन कंपनी के पास

पर्याप्त आ ंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के स्थापित होने तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभाविता पर राय प्रकट करने के लिए भी हम उत्तरदायी है।

- प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई लेखाकंन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन प्राक्कलनों तथा संबंधित प्रकटनों की युक्तियुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के गोइंग कन्र्सन आधार का प्रबंधन द्वारा किए गए उपयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर गोइंग कन्र्सन के तौर पर कंपनी के बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकने वाली घटनाओं अथवा शर्तों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता है अथवा नहीं इसका निष्कर्ष निकालना हमारे द्वारा महत्वपूर्ण अनिश्चितता के होने का निष्कर्ष निकाले जाने पर वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना अथवा ऐसे प्रकटनों के अपर्याप्त होने की स्थिति में हमारी राय रुपांतरित करना हमारे लिए आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं अथवा शर्तें गोइंग कंर्सन के तौर पर कंपनी का बने रहना समाप्त करा सकेगी।
- प्रकटनों सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण, संरचना तथा विषय–वस्तु तथा वित्तीय विवरण मूलाधार संव्यवहारों एवं घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के तौर पर दर्शाते हैं अथवा नहीं इसका मूल्यांकन करना।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में ऐसे गलत विवरण शामिल है जो अकेले या सामूहिक रूप से, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की यथोचित जानकारी रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। हम (i) लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र को निर्धारित करने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने हेतु और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी तथ्यपरक गलतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक सामग्री तथा गुणात्मक तथ्यों पर ध्यान देते है।

अन्य मामलों के अलावा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा आंतरिक नियंत्रण में पहचान की गई कुछ महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्य–क्षेत्र तथा समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में हम शासन करने की जिम्मेदारी जिन पर है, उनके साथ संप्रेषण करते है।

शासन करने की जिम्मेदारी जिन पर है उन्हें हम स्वंतत्रता के बारे में संबंधित नीतिपरक आवश्यकताओं के अनुसार हमारे द्वारा संकलित किया गया एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं तथा हमारे स्वातंत्र्य पर युक्तियुक्त रुप से दबाव डाल सकने वाले सभी संबंधित तथा अन्य मामले एवं जहां लागू हो, संबंधित संरक्षोपाय उन सभी को संप्रेषित करते हैं।

शासन करने की जिम्मेदारी जिन पर है उन्हें संप्रेषित मामलों में से विद्यमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे उनका हम निर्धारण करते हैं तथा इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन हमारे द्वारा तब तक किया जाता है जब तक कि विधि अथवा विनियम द्वारा मामले पर सार्वजनिक प्रकटन प्रतिबाधित न किया जाए अथवा तथा जब अत्यंत विरल परिस्थितियों में हमारे द्वारा निर्धारण किया जाता है कि हमारी रिपोर्ट में मामले को संप्रेषित न किया जाए, क्यो ंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हितलाभों से युक्तियुक्त तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होने की अपेक्षा होती है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) द्वारा यथापेक्षित हम **अनुलग्नक–क** में लागू होने की सीमा तक आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

2. जैसाकि अधिनियम की धारा 143(3) में अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं किः

क) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

ख) जहां तक बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित लेखा–बहियां रखी हैं।

ग) तुलन–पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा इस रिपोर्ट द्वारा दिए गए नकदी प्रवाह विवरण लेखा बही के साथ हैं।

घ) हमारी राय में, पूर्वकथित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

ड़) सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधानों से, निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05–06–2015 के परिपत्र संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार कंपनी को छूट प्राप्त है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उपयुक्तता और इस तरह के नियंत्रण की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता के संबंध में **"अनुलग्नक ख"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें और हमारी रिपोर्ट कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर अपरिवर्तित मत प्रकट करती है।

छ) एमसीए के दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) प्रबंधकीय पारिश्रमिक के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं,

ज) हमें खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं मिली है, इसलिए हम इस पैरा के तहत कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, सिवाय इस रिपोर्ट के पैरा और अनुबंध–ख में बताए गए कुछ अवलोकनों को छोडकर।

झ) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 यथासंशोधित के अनुसरण में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :–

i. कंपनी ने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट 27 दखें;

ii. कंपनी के अनुसार व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि ठेकों पर कोई पूर्वानुमानित महत्वपूर्ण हानि नहीं है, अतः उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने के लिए कोई राशि आवश्यक नहीं थी।

iv. क) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा, विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, इस आशय के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कोई भी निधि अग्रिम या उधार के रूप में या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम या कोई अन्य स्रोत या धन से), कि मध्यस्थ,

- वित्तपोषण पक्ष द्वारा या उनकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें (अंतिम मध्यस्थ), या

- अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या समान रू‍ में प्रदान करना, तथा

ख) प्रबंधन ने उल्लेख किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषण पक्षों) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई निधि प्राप्त नहीं की है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी,

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषण पक्ष या उसकी ओर से किसी भी तरीके (अंतिम मध्यस्थ) में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें।

- अंतिम लाभार्थीय से या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या समान प्रकार की निधि प्रदान करें।

ग) उक्त परिस्थितियों में युक्तिसंगत और उचित मानी जाने वाली ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि उप खंड iv (क) और iv (ख) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा नहीं की है, इसलिए यह पैरा कंपनी पर लागू नहीं है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षा के अनुसार तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में हम रिपोर्ट करते है कि :–

क) क्या कंपनी के पास सारे लेखा कार्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है?

यदि हां, तो लेखा कार्यों को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर संसाधित करने का, वित्तीय प्रभावों सहित, लेखा आकलन पर होने वाले परिणाम को, यदि कोई हो, बताया जाए।

हां, निम्नलिखित के अलावा, कंपनी के पास सारे लेखा कार्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था हैः–

- लेखों के रखरखाव के लिए कंपनी के पास एसएपी है। पास की गई अधिकांश प्रविष्टियों के साथ सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए है। इसके बारे में प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
- सृजित लेखांकन कोडों का प्रयोग अंतिम प्रयोक्ता द्वारा उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। सही शीर्षों में प्रविष्टियों का लेखांकन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि प्रविष्टियों के शुद्धिकरण से बचा जा सके।
- इंटर कंपनी शेष के बकाया राशि पर ब्याज के परिकलन की कोई पद्धति कंपनी में नहीं है। इसे मैनुअली किया जाता है।

ख) क्या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा विद्यमान ऋण या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि का अधित्याग/बट्टे खाते में डालने से संबंधित मामलों की पुनःसंरचना की गई है? यदि हां, वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है। अतः वर्ष के दौरान ऋणदाता द्वारा ऋण/कर्ज/ब्याज आदि का अभित्याग/बट्टे खाते में डालने से संबंधित कोई मामला नहीं है।

ग) क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई प्राप्त/प्राप्य निधि नहीं है।

कृते और की ओर से
कृते एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007739N

ह./-
सीए अजय के. बजाज
भागीदार
सदस्यता सं. 86306
यूडीआईएन– 230863068GXMKK8419

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 20–12–2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–क

हमारी समतिथिक रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के तहत पैरा–I में संदर्भित

(i) (क) कंपनी अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करने की प्रक्रिया में है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और मूर्त संपत्ति की स्थितियों सहित पूर्ण विवरण दर्शाए गया हैं,

ii) कंपनी के स्वामित्व में कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है, इसलिए इससे संबंधित पैरा लागू नहीं होते हैं।

(ख) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी के पास दो वर्ष में एक बार मूर्त संपत्ति के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया विद्यमान है। मूर्त संपत्तियों का भौतिक सत्यापन सनदी लेखाकारों की एक पेशेवर फर्म द्वारा किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, मूर्त संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है, लेकिन लेखाबहियों में परिणामी प्रभाव नहीं दिया गया है। लेखों के नोटों के नोट संख्या 30 (क) का संदर्भ लें।

(घ) अचल संपत्तियों से संबंधित शीर्षक विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर जो कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित पट्टा समझौते के साथ कंपनी द्वारा पट्टे पर दिए गए हैं), वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

(ङ.) अचल संपत्तियों से संबंधित शीर्षक विलेखों का ब्यौरा, (उन संपत्तियों को छोड़कर जिन्हें लीज समझोतों द्वारा विधिवत रूप से कंपनी के नाम पर लीज किया गया है) जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं हैं, निम्नानुसार है:–

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	जिसके नाम पर धारित है	चाहे प्रमोटर, निदेशक या उनका संबंधी या कर्मचारी हो	धारण की अवधि – रेंज दर्शाएं जहां उपयुक्त हो	कंपनी के नाम पर धारण न करने का कारण*
पीपीई					
क. भवन	2644.05	एअर इंडिया लिमिटेड	नहीं	08–04–2021	वित्तीय विवरणों के नोट 2(क)1 का संदर्भ लें
ख. जेट 9डी टेस्ट आउस	10.42	एअर इंडिया लिमिटेड	नहीं	01–04–2019	वित्तीय विवरणों के नोट 2(क)2 का संदर्भ लें

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(छ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियम के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया दो वर्ष में एक बार की जाती है। लेकिन प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। इसलिए, हम प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया की उपयुक्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हम इन्वेंटरी सूची

के प्रत्येक वर्ग के लिए समग्र रूप से लेखाबहियों में इसके परिणामी प्रभाव पर 10 प्रतिशत या उससे अधिक की किसी भी विसंगतियों पर टिप्पणी करने में भी असमर्थ हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान चालू संपत्ति की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्षों को रक्षित या अरक्षितनिवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(क) से (च) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशक और किसी अन्य पक्ष को कोई ऋण नहीं दिया है और कंपनी ने निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(v) कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लागू होने वाली सीमा तक किसी भी जमा राशि या धनराशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे जनता से जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(vii) (क) कंपनी की लेखाबहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हमने देखा है कि कंपनी, टीडीएस, जीएसटी और भविष्य निधि को छोड़कर कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री–कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर उपयुक्त अधिकारियों को कोई अन्य वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित थी। कंपनी ने इस तरह के सभी अविवादित बकायों को वर्ष के अंत तक चुका दिया है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अर्थात 31 मार्च 2023 को देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की बकाया सांविधिक बकाया राशि निम्नानुसार हैः

सांविधिक देय रशियां की प्रकृति	**दिनांक 31 मार्च 2022 को 6 माह से अधिक के लिए बकाया राशि (मिलियन रूपए में)**
माल और सेवाकर पर ब्याज	41.61
सेवाकर पर ब्याज	299.87
व्यावसायिक कर	0.055

लेखापरीक्षा के दौरान शामिल न किए गए विदेशी व्यापार क्षेत्र के संबंध में वैधानिक बकाया, यदि कोई हो, चूंकि रिकॉर्ड संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों में बनाए रखा जाता है, जो सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं थे, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि बकाया राशि समय पर जमा की गई है या नहीं ।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, विवाद के कारण कंपनी द्वारा वैधानिक देय राशि जमा नहीं की गई है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टीडीएस / आयकर	मांग राशि (मिलियन)
1.	2015–16	टीडीएस	28.41
2.	2016–17	टीडीएस	44.60
3.	2017–18	टीडीएस	62.29
4.	2018–19	टीडीएस	184.58
5.	2019–20	टीडीएस	323.78
		कुल	**643.66**

* उपरोक्त मांग पर धारा 220(2) के तहत दिनांक 31 मार्च, 2023 तक का ब्याज 237.49 करोड़ रुपये होगा।

(viii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई पूर्व की अलिखित आय से संबंधित कोई लेन–देन नहीं था।

हालाँकि, चालू वर्ष में पूर्व अवधि का व्यय 517.49 मिलियन रूपए और पूर्व अवधि की आय 175.66 मिलियन रूपए लेखांकित की गई है। (लेखों के नोट में नोट संख्या 28 देखें)।

(ix) (क) कंपनी ने किसी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वैच्छिक चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के आरंभ में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की एक समग्र जांच पर, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि, प्रथम दृष्टया, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दीर्घकालिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं की गई है।

(ड.) कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है, आदेश के खंड (ix) (ड.) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(x) (क) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान इनीशियल पब्लिक ऑफर या आगे के पब्लिक ऑफर (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णत, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xi) (क) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी पर वर्ष के दौरान ध्यानार्थ या रिपोर्ट किया गया कोई धोखाधड़ी या कोई भौतिक धोखाधड़ी कंपनी द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) वर्ष के दौरान, लागत लेखापरीक्षक/सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट या हमारे द्वारा केन्द्रीय सरकार के कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम–13 के तहत निर्धारित के रूप में फॉर्म एडीटी –4 में दर्ज नहीं की गई है।

(ग) हमने लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा गया है।

(xii) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xii)(क),(ख) और (ग) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xiii) संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा–177 और 188 के अनुपालन में हैं, और इसके विवरणों को वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट किया गया है, जैसा कि लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित है।

(xiv) (क) कंपनी के पास अपने व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं है।

(ख) हमारे द्वारा लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने तक, रिपोर्ट का अनुपालन लंबित था और इसलिए वित्तीय विवरणों पर कोई परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, को ध्यान में नहीं रखा गया है।

(xv) कंपनी ने अपने निदेशकों के साथ और अपने निदेशकों से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई भी गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, इस आदेश के खंड 3(xv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(xvi) (क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45–1ए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश का खंड(xvi)(क) के तहत रिपोर्टिंग की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त किए बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों में परिभाषित अनुसार, कंपनी एक कोर निवेश कंपनी नहीं है, तदनुसार, आदेश के खंड (xvi) (ग) के तहत रिपोर्टिंग की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(घ) जैसा कि प्रबंधन द्वारा उल्लेख किया गया है, कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में निहित समूह की परिभाषा के अनुसार समूह के पास एक से अधिक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।

(xvii) कंपनी को चालू वर्ष में और तत्काल पूर्व के पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है और तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के तहत रिपोर्टिंग की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अवधि बढ़ने और अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों का भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि कंपनी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई महत्वपूर्ण अनिश्चित ता मौजूद है। तुलन पत्र की तिथि को, मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियां जब भी वे देय हों, कंपनी द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी।

(xx) (क) कंपनी को अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xx) (क) और (ख), कंपनी पर लागू नहीं हैं!

(xxi) कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xxi) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते और की ओर से

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007739N

ह./-
सीए अजय के. बजाज
भागीदार
सदस्यता सं. 86306
यूडीआईएन– 230863068GXMKK8419

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 20–12–2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–ख

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर समतिथिक ''हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 2(च) में संदर्भित''

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (क) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय प्रकट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने हमारी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोटिंर्ग (मार्गदर्शी नोट) पर आतंरिक वित्तीय नियत्रंणों की लेखापरीक्षा की मागर्दर्शी नोट तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसरण में की है, जिन्हें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जहां तक लागू हो, अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन माना जाता है एवं दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा को लागू होते हैं तथा दोनों ही भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा इस तरह योजनाबद्ध तथा निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा बनाए रखने एवं ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों के संबंधों में प्रभावी रूप से क्रियाशील होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी क्रियाशील प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, सामग्री में महत्वपूर्ण कमी की जोख़िम का निर्धारण करना तथा निर्धारित जोख़िम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन तथा क्रियाशील प्रभावशीलता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना हमारी लेखापरीक्षा में शामिल है। वित्तीय विवरणों में धोखाधडी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी व्यापक गलती के जोख़िम के मूल्यांकन सहित प्रक्रिया का चयन लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार उपलēध कराने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण पर्याप्त तथा उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से अभिप्रेत है, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए डिज़ाईन की गई प्रक्रिया। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां तथा प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित होते हुए युक्तिसगत वर्णन के साथ यथार्थ तथा स्पष्ट रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों का संव्यवहार तथा स्थिति दर्शाती है। (2) सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक संव्यवहार रिकार्ड किए गए है तथा केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार के अनुसरण में ही कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय किए जा रहे हैं, ऐसा उचित आश्वासन उपलब्ध कराते हैं। (3) वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों का अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम का समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन उपलēध कराते हैं।

इन वित्तीय विवरणों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

दुर्भिसंधि की संभावना अथवा प्रबंधन द्वारा अनुचित रूप से नियंत्रणों को हटाए जाने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण धोखाधड़ी या फिर कपट के परिणामस्वरूप विवरणों में व्यापक गलती हो सकती है तथा उनका पता नहीं चल सकता। आगे की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन की कोई भी वास्तविकता इस जोख़िम के अधीन होती है कि परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हो सकते है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की गुणवत्ता अथवा मात्रा में अवनति हो सकती है।

हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2023 को निम्नलिखित कमियों की पहचान की गई :

i) कंपनी के पास, प्रविष्टियों के समय पर लेखाकरण, की कोई प्रभावी प्रणाली विद्यमान नहीं थी ताकि लेखांकन प्रविष्टियों के दोहरीकरण/शुद्धिकरण को रोका जा सके।

ii) बेहतर नियंत्रण प्रक्रिया के लिए मेकर चेकर प्रक्रिया होनी चाहिए। इसमें कोई पुनः आवृत्ति वाली कई प्रविष्ठियां थी, जिन्हें रोका जाना चाहिए था।

iii) एसएपी में अधिकांश प्रविष्टियां और अन्य समूह कंपनियों द्वारा वहन किए गए खर्चों से संबंधित प्रविष्टियां और फिर कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति की गई प्रविष्टि की वैधता की जांच करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था।

iv) कंपनी के पास अन्य पक्षों के साथ शेष राशि के मिलान की प्रभावी प्रणाली नहीं थी।

v) कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा की जाती है, जिसमें लेखापरीक्षा कार्य का दायरा, कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय के आकार और मात्रा के अनुसार संपूर्ण नहीं है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुपालन अभी भी लंबित है और इसलिए, हम कंपनी की लेखा बहियों में किसी भी परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हमारा सुझाव है कि अनुपालन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा नियमित अंतराल पर बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जानी चाहिए।

मुख्य कमी

''मुख्य कमी'' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी है या कमियों का संयोजन है, जिससे युक्तिसंगत संभावना है कि कंपनी की वार्षिक या आंतरिक वित्तीय विवरणों का सामग्रीगत दुर्विवरण का समयानुसार निवारण या संसूचन नहीं किया जा सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण खामियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा सौंपी गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंण पर आधारित दिनांक 31 मार्च 2023 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त और कुशल आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुरक्षण किया है।

हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित मुख्य खामियों पर विचार किया है और ये मुख्य खामियां कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं करती हैं।

कृते और की ओर से

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007739N

ह./-
सीए अजय के. बजाज
भागीदार
सदस्यता सं. 86306
यूडीआईएन– 230863068GXMKK8419

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 20–12–2023

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(5) के अंतर्गत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के लेखों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने, हमें जारी किए गए निदेशों का अनुपालन किया है।

कृते कृते एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007739N

ह./-
(अजय के. बजाज)
भागीदार
सदस्यता सं. 86306

दिनांक : 20–12–2023

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां

लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
विषय पर बल	
1. कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, लेखापरीक्षा समिति के गठन और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (4), धारा 177 और धारा 178 की छूट के लिए लोक उद्यम विभाग को दिनांक 01–09–2020 को पत्र लिखा है। लोक उद्यम विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है।	यह तथ्यात्मक कथन है। कंपनी अधिनियम 2013, धारा 149(4) और 178 के अनुसार और नियम 4(2) के अनुरूप, एक असूचीबद्ध कंपनी और एआईएएचएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण कंपनी को स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 2010 पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर–सूचीबद्ध सीपीएसई क्रमशः स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें दोनों समितियों का गठन स्वतंत्र निदेशक द्वारा किया जाना आवश्यक है। कंपनी ने पत्र संदर्भ संख्या एआईईएसएल/सीएस/एचक्यू/25 दिनांक 01–09–2020 के माध्यम से छूट प्राप्त करने के लिए डीपीई को आवेदन किया है। उक्त पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। .
2. क) इन्वेंटरी पर भारतीय लेखा मानक 2 के पैरा 9 के अनुसारः इन्वेंटरी का मापन लागत या प्राप्य निवल मूल्य पर किया जाना है। वर्ष के दौरान कंपनी ने इन्वेंटरी का मूल्यांकन तुलनात्मक औसत लागत पर किया है। वर्ष के अंत में इन्वेंटरी का मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार नहीं किया गया है। अतः हम उसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। ख) सेप पर अनुरक्षित वित्तीय बहियों के अनुसार इन्वेंटरी मूल्यांकन और अलग–अलग सॉफ्टवेयर ''रैमको'' द्वारा वास्तविक इन्वेंट्री लेखांकन अलग–अलग है। मूल्य के समाधान के अभाव में, हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि आरंभिक लेखा ऋणात्मक है। इन्वेंट्री में कोई भी शेष ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी कंपनी ने इन्वेंट्री की कमी के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया है लेकिन इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है।	क) इन्वेंटरी पर इंड एएस–2 के पैरा 9 के अनुसार ''इन्वेंट्री को लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मापा जाएगा ''। हालाँकि, पैरा 21 ''लागत मापने की तकनीक'' के अनुसार, यदि परिणाम अनुमानित लागत हो तो सुविधा के लिए इन्वेंट्री की लागत मापने की तकनीक, जैसे मानक लागत विधि या खुदरा विधि का उपयोग किया जा सकता है। मानक लागत सामग्री और आपूर्ति, श्रम, दक्षता और क्षमता उपयोग के सामान्य स्तर को ध्यान में रखती है। उनकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यक हो तो मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर इसमें संषोधित किया जाता है। इसके अलावा, पैरा 25 ''लागत फॉर्मूला'' के अनुसार, पैराग्राफ 23 (पैरा – 23) में निपटान की गई इन्वेंटरी के अलावा, उन वस्तुओं की सूची की लागत जो सामान्य रूप से विनिमेय नहीं हैं और विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उत्पादित और अलग की गई वस्तुओं या सेवाओं की लागत होगी, उनकी व्यक्तिगत लागतों की विशिष्ट पहचान का उपयोग करके निर्धारित किया जाएगा), प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) या भारित औसत लागत फॉर्मूला का उपयोग करके सौंपा जाएगा। समान प्रकृति वाली इकाइयाँ और उपयोग वाली सभी इन्वेंट्री के लिए समान लागत सूत्र का उपयोग करेगी। भिन्न प्रकृति या उपयोग वाली सूची के लिए, भिन्न लागत फार्मुलों को उचित माना जा सकता है।

लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
	ख) i. वित्तीय वर्ष 2017–18 में अधिकांश इन्वेंटरी (लगभग 415.59 मिलियन रुपये) तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी। यह केवल बही अंतरण था और कोई भौतिक हैंडओवर–टेकओवर नहीं हुआ था। इसके अलावा, रैमको सिस्टम को डिजाइन और बड़े पैमाने पर तत्कालीन होल्डिंग कंपनी के अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया गया था, क्योंकि एआईईएसएल संचालन के लिए सामग्री प्रबंधन विभाग (एमएमडी) और वित्त में मुख्य रूप से एअर इंडिया के अधिकारी शामिल थे। ii. रैमको से एसएपी तक जीएल सूचना के प्रवाह को प्रभावित करने वाले मेटेरियल मास्टर्स, मास्टर्स के कॉन्फिगरेशन को मटेरियल मूवमेंट लेनदेन की सही कैप्चरिंग और एसएपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सही प्रतिबिंब के लिए पुनः देखने और पुनः डिजाइन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, उपर्युक्त कारणों से रैमको (इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर) और एसएपी (जनरल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर) के बीच समायोजन नहीं हो पाया है। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त और अनुभवी अधिकारियों की अनुपस्थिति में पिछले कुछ समय से स्टोर और स्पेयर की प्रकृति में सामग्रियों की सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। विभिन्न मास्टर्स और इंटरफेस डिजाइन और कॉन्फिगरेशन में विसंगतियों के कारण जीएल संतुलन में असंतुलन पैदा हो गया। ऐसी विसंगतियों को एक क्रॉस फंक्शनल टीम द्वारा वर्ष के दौरान हल करने का प्रस्ताव है। iii. इस स्तर पर ऐसी विसंगतियों का प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, एक अंतरिम उपाय के रूप में, सत्यापन, विश्लेषण और समाधान के लिए पूरी कार्रवाई लंबित होने पर, इन्वेंटरी के मूल्य में संभावित कमी के लिए 500.00 मिलियन रुपये (अंतिम शेष का लगभग 83 प्रतिशत को दर्शाता है) का प्रावधान किया गया है, जो कि राजस्व से पूंजी तक इन्वेंटरी की श्रेणियां (पूंजीगत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के रूप में), अप्रचलन, कमी के साथ–साथ कोई अन्य समान विवरण, आदि। प्रभाव परिवर्तन पर विचार करता है।

लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
	iv. इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने एअर इंडिया से स्वतंत्र होकर एआईईएसएल लेनदेन के लिए रेमको सॉफ्टवेयर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। लेखा बहियों और संबंधित नियंत्रणों में सही लेखांकन प्रतिबिंब के लिए मास्टर्स की समीक्षा के साथ–साथ एसएपी में लेखांकन इंटरफेस कॉन्फिगरेशन की समीक्षा की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।
3. कंपनी ने कुछ खर्चों का लेखाकरण करते हुए और खर्चों का प्रावधान करते हुए स्त्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की है। इस गैर–अनुपालन के प्रभाव को निश्चित नहीं किया गया है।	कंपनी की लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, सेप में किसी भी इन्वाइस को, संबंधित अधिकारियों से उचित अनुमोदन पर ही बुक किया जाता है। हालाँकि, जीएएपी के अनुसार, वर्ष के अंत में कंपनी ने अनुमानित आधार पर उस सीमा तक खर्चों का लेखांकन किया है, जिस पर टीडीएस काटा और जमा नहीं किया गया है। इसके अलावा, सुबेक्स लिमिटेड बनाम डीसीआईटी (कर्नाटक उच्च न्यायालय) के मामले में लिए गए निर्णय के अनुसार और अन्य विभिन्न उच्च न्यायालय के निर्णयों और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में, यदि भुगतानकर्ता की पहचान नहीं की गई है, राशि निश्चित नहीं है और प्रावधान अगले वर्ष अंतरित कर दिया जाता है, तो वर्ष के अंत प्रावधानों पर कोई रोक लगाने वाले कर की कटौती की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए उपरोक्त बिंदु को ध्यान में रखते हुए प्रावधानों पर टीडीएस नहीं काटा गया है। हालाँकि, सेप में अनुमोदित चालान के लेखांकन के समय टीडीएस काटा और जमा किया गया है।
4. कंपनी ने इंटर कंपनियों के औसत शेष पर देय/प्राप्य ब्याज की गणना की है। कंपनी ने विभिन्न इंटर कंपनियों के साथ एमएसए (एमएसए) के अनुसार ब्याज की गणना नही की है।	समूह की कंपनियों के षीर्श प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, आरंभिक और समापन शेष के औसत के आधार पर ब्याज लगाया गया है। समूह की कंपनियों द्वारा इस प्रक्रिया का निरंतर अनुपालन किया जाता है। एमएसए में आवश्यक संशोधन मार्च, 2022 के दौरान ही किए गए हैं।
5. कंपनी ने परिसंपत्तियों की हानि पर इंड एएस 36 का अनुपालन नहीं किया है।	इंड एएस–16 के पैरा 63 के अनुसार ''संपत्ति, संयंत्र और उपकरण'' *यह निर्धारित करने के लिए कि क्या संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कोई वस्तु क्षतिग्रस्त है, निकाय, इंड एएस–36, परिसंपत्तियों की क्षति लागू करता है। यह लेखांकन मानक निर्धारित करता है कि एक निकाय अपनी परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा कैसे करती है, यह किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि कैसे निर्धारित करती है, और जब यह हानि को पहचानती* है, या उसकी मान्यता को प्रतिधारित करती है। क. अब इंड एएस 36 ''परिसंपत्तियों की हानि'' के अनुसार पहले निकाय को उस संपत्ति की पहचान करनी होगी जो क्षतिग्रस्त हो सकती है। इस संकेत के लिए कि एक परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, एक निकाय को इंड एएस 36 के पैरा 12 पर विचार करना चाहिए, निम्नलिखित का न्यूनतम –

लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
	बाहरी कारक (क) ऐसे अवलोकन योग्य संकेत हैं कि समय बीतने या सामान्य उपयोग के परिणामस्वरूप परिसंपत्ति के मूल्य में संभावना से काफी अधिक गिरावट आई है। (ख) इकाई पर प्रतिकूल प्रभाव वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन उस अवधि के दौरान हुए हैं, या निकट भविष्य में तकनीकी, बाजार, आर्थिक या कानूनी वातावरण में होंगे, जिसमें इकाई संचालित होती है या जिस बाजार में एक संपत्ति समर्पित है। (ग) अवधि के दौरान बाजार ब्याज दरों या निवेश पर रिटर्न की अन्य बाजार दरों में वृद्धि हुई है, और उन बढ़ोतरी से उपयोग में परिसंपत्ति के मूल्य की गणना में उपयोग की जाने वाली छूट दर प्रभावित होने और परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि में भौतिक रूप से कमी आने की संभावना है। (घ) इकाई की शुद्ध संपत्ति की वहन राशि उसके बाजार पूंजीकरण से अधिक है। **आंतरिक कारक** (ड.) किसी संपत्ति के अप्रचलन या भौतिक क्षति का साक्ष्य उपलब्ध है। (च) इकाई पर प्रतिकूल प्रभाव वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन इस अवधि के दौरान हुए हैं, या निकट भविष्य में होने की संभावना है, जिस हद तक, या जिस तरीके से, एक परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता है या होने की उम्मीद है इस्तेमाल किया गया। इन परिवर्तनों में परिसंपत्ति का निश्क्रिय हो जाना, परिसंपत्ति के संचालन को बंद करने या पुनर्गठित करने की योजना, पूर्व अपेक्षित तिथि से पहले परिसंपत्ति का निपटान करने की योजना, और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को अनिश्चित के बजाय सीमित के रूप में पुनर्मूल्यांकन करना शामिल है। (छ) आंतरिक रिपोर्टिंग से साक्ष्य उपलब्ध है, जो इंगित करता है कि किसी परिसंपत्ति का आर्थिक निष्पादन अपेक्षा से अधिक खराब है या होगा। ख. इंड एएस 36 के पैरा 13 के अनुसार, एक इकाई अन्य संकेतों की पहचान कर सकती है कि एक परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है और इसके लिए इकाई को परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने की भी आवश्यकता होगी।

लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
	हानि वह राशि है जिससे किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। प्रबंधन की राय में उपरोक्त संकेतक प्रकट नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा, इंड एएस 36 के पैरा 59 के अनुसार, यदि, और केवल यदि, किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम है, तो परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से कम हो जाएगी। वह कमी हानि है।. प्रबंधन के मतानुसार, कंपनी की बहियों में संपत्ति की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से कम हो सकती है।
6. क) कुछ नियंत्रण खाता बही सहित कर्मचारियों से वसूली योग्य और कुछ देय राशि के गैर–मिलानयुक्त मदों समायोजन और मिलान प्रक्रिया में है। (खातों की टिप्पणियों के नोट संख्या 29(iii) का संदर्भ लें।) ख) व्यापार प्राप्य, प्राप्त जमा, भुगतान जमा और व्यापार देय पुष्टि के अधीन हैं। (खातों की टिप्पणियों के नोट संख्या 29(i) का संदर्भ लें।)	क) और ख) कंपनी ने कुछ विशिष्ट प्राप्य/कर्मचारियों से वसूली योग्य और कुछ नियंत्रण बही सहित देय के मिलान का प्रमुख समाधान/समायोजन किया है। इसके अलावा शेष राशि के लिए कर्मचारियों से विशिष्ट प्राप्य/वसूली योग्य और कुछ नियंत्रण लेखों सहित देय प्रक्रिया में हैं और समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजन का प्रभाव, यदि कोई हो, तो समाधान के पूरा होने के वर्ष में निपटाया जाएगा और उचित प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। कंपनी ने सभी प्रमुख व्यापार प्राप्य और व्यापार देय के लिए शेष राशि की पुष्टि की मांग की है। व्यापार प्राप्तियों के मामले में, कंपनी के पास एयर इंडिया, एआईएक्सएल, एएएल और कुछ अन्य ग्राहकों से प्राप्तियों की शेष राशि की पुष्टि है, जिसमें कंपनी की 87.89 प्रतिशत प्राप्तियां शामिल हैं और समाधान पूरा हो चुका है और शेष की पुष्टि प्राप्त कर ली गई है। व्यापार देय के मामले में कुछ पक्षों ने प्रतिक्रिया दी है और जहां भी पार्टी की शेष राशि, लेखा बहियों के अनुरूप नहीं है, मतभेदों का समाधान जारी है। समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजनों का प्रभाव, यदि कोई हो, तो समाधान के पूरा होने और उचित प्राधिकारी से अनुमोदन के वर्ष में निपटाया जाएगा।
ग) कंपनी राजस्व और स्रोत पर कर कटौती के समाधान की प्रक्रिया में है, जैसा कि वित्तीय लेखा में और यह 26 एएस के अनुसार है। घ) माल एवं सेवाकर (जीएसटी) और अन्य सांविधिक देय राशि, दायर किए गए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए वैधानिक रिकॉर्ड के साथ मिलान की प्रक्रिया में हैं। (खातों की टिप्पणियों के लिए नोट संख्या 29(ii) देखें।)	ग) और घ) माल एवं सेवाकर (जीएसटी), स्रोत पर कर कटौती और अन्य वैधानिक बकाया कंपनी द्वारा दायर किए गए रिटर्न और बनाए गए वैधानिक रिकॉर्ड के साथ मेल खाते हैं।

लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
7. कम्पनी की नीति के अनुसार पीपीई के भैतिक परिसंपतियों के चरणबध सत्यापन और पीपीई (दिल्ली) की संपतियों के टैगिंग के लिए एक चार्टड अकाउंटेट फर्म को नियुक्त किया गया है। फर्म ने अपनी रिपोर्ट 17 अगस्त 2022 को जमा कर दिया है जिसमें 41 वस्तुओं की कमी दिखाई गई है जिनका डबल्यूवी 0.83 मिलियन रूपये है और 2152 अधिक वस्तुएं प्राप्त हुई है इन प्राप्त कमियो और अधिक्ता सक्षम प्राधिकारी से अनुमती ले कर समायोजित/लेखांकित किया जाएगा। आगे प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार 1056 वस्तुओं को संपति सुची में उत्पाद/संपति कोड न होने के कारण प्रमानित नही किया जा सका।	यह वित्तीय वर्ष 2021–22 के लेखा संबंधी नोट के अनुसार है। हालाँकि, कमी को बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। लंबित मदों के सत्यापन हेतु आगे की कार्रवाई वित्तीय वर्ष 23–24 के दौरान की जाएगी। इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान कुल मात्राओं के 73 प्रतिशत (निवल बही मूल्य का 94 प्रतिशत) का भौतिक सत्यापन किया गया है। इस संबंध में पैरा हमारे लेखा संबंधी नोट के पैरा सं 30 (i),(ii),(iii) और (iv)का संदर्भ लिया जाए।
8. पहले के वर्षों 2020–21 और 2021–22 के लिए 517.49 मिलियन रूपये का पूर्वअवधि व्यय हुआ, साथ ही 175.66 मिलियन रूपये की पूर्वअवधि आय का लेखांकन किया गया है। वर्ष 2020–21 और 2021–22 की बहियों को पुनः निर्देशित किया गया है और परिणात्मक समायोजन/प्रकटन भी किया गया। (संर्दभ लेखा नोट सं 28।	यह तथ्यात्मक विवरण है और इंड एएस 8 ''लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों'' के अनुसार पूर्व अवधि की त्रुटियों का लेखा बहियों में उचित संशोधन किया गया है और लेखा संबंधी नोट सं. 28 में प्रकट किया गया है।

लेखापरीक्षा अवलोकन – प्रमुख लेखापरीक्षा मामल			
क. सं	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का प्रतिउत्तर	प्रबंधन का उत्तर
1.	इन्वेंटरी मूल्यांकन और लेखांकन इन्वेंटरी लेखांकन का अनुरक्षण ''रैमको'' सॉफ्टवेयर पर बनाए रखा गया है जबकि वित्तीय रिकॉर्ड एसएपी में बनाए रखा जाता है। इन्वेंटरी मूल्यांकन 604.39 मिलियन की भारित औसत पद्धति पर लिया गया है क्योंकि एसएपी में 01–04–2022 से कई प्रविष्टियाँ ऋणात्मक हैं, जो लेखांकन में स्वीकार्य नहीं हैं। प्रबंधन ने अनुमान के आधार पर 500 करोड़ का प्रावधान किया है, जो अन्य लेखांकन प्रभाव को प्रभावित करेगा जिसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त अवलोकन के आधार पर, हम अन्य लेखों में इसके निहितार्थ और अन्य प्रभावों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि एआईएल द्वारा हस्तांतरित इन्वेंट्री को भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया है।		इस प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर हमारी प्रतिक्रिया पहले ही विषय पर बल के क्रम संख्या 2ख पर प्रदान की जा चुकी है।
2.	भारत सरकार ने दिनांक 16 फरवरी, 2022 के पत्र के माध्यम से विनिवेश के बाद एआईईएसएल के पात्र स्थायी कर्मचारियों सहित एअर इंडिया लिमिटेड के पात्र स्थायी रूप से सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ सुविधा को मंजूरी दे दी है। योजना के अनुसार, इस योजना के तहत सभी खर्च बजटीय प्रावधानों के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। एआईईएसएल ने पहले के वर्षों में प्रदान किए गए चिकित्सा व्यय के 233.42 करोड़ रुपये वापस कर दिए हैं। यह पहले के वर्षों में देनदारी के रूप में ली गई बड़ी राशि है।		यह तथ्यात्मक कथन है। कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना थी, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाता था। भारत सरकार ने दिनांक 16 फरवरी, 2022 के पत्र के माध्यम से विनिवेश के बाद एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) के पात्र स्थायी सेवानिवृत्त/अधिवर्षिता प्रापत कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ सुविधा को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के आरंभ होने के पश्चात, इस योजना के तहत सभी व्यय, होल्डिंग कंपनी एआईएएचएल को बजटीय प्रावधानों के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा, भारत सरकार के दिनांक 15 मार्च, 2023 के कार्यालय ज्ञापन के तहत उपर्युक्त चिकित्सा लाभ प्रदान करने की अधिसूचना में एआईईएसएल द्वारा इस तरह के किसी भी प्रतिधारण की परिकल्पना नहीं की गई है। इसलिए, कंपनी ने 2334.20 मिलियन रूपए की संचित देनदारी को वापस लेखांकित किया है, जिसका परिकालन बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया था। इसका प्रकटन नोट संख्या 34(ख)(ii) में किया गया है।

3.	एआईईएसएल ने आयकर फाइलिंग को पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया है और शुद्ध आय के साथ दिनांक 30–10–23 को आयकर रिटर्न दाखिल की गई है और 86.08 करोड़ के रिफंड का दावा किया है, जिसे आयकर विभाग ने दोषपूर्ण माना है। अब कंपनी ने 33.90 करोड़ रुपये के आयकर का प्रावधान किया है, आयकर रिटर्न के साथ दाखिल शेष राशि के आंकड़े लेखापरीक्षित तुलनपत्र के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं, इसलिए हम इस तरह की फाइलिंग के परिणाम के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।		लेखापरीक्षा को अंतिम रूप न देने के कारण आयकर रिटर्न मसौदा वित्तीय के आधार पर दर्ज किया गया था और इसे दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के आधार पर दर्ज किया गया था ताकि डिफॉल्ट दर्ज करने से बचा जा सके। हालाँकि, विभाग ने आईटीआर को दोषपूर्ण माना है और इसे 15 दिनों के भीतर ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा, अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार, 80. 82 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है और अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संषोधित रिटर्न उचित समय पर दर्ज की जाएगी, जिसके लिए आयकर अधिनियम और नियमों के अनुसार अंतिम तिथि दिनांक 31 दिसंबर, 2023 है।

31 मार्च 2023 को तुलन पत्र

(रूपए मिलियन में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2023 को	31मार्च 2022 को (पुर्नकथन)*	1 अप्रैल 2021 को (पुर्नकथन)*
संपत्ति :				
1) गैर चालू परिसंपत्ति				
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2 (क)	5,482.69	5,923.07	530.98
(ii) परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार	2 (ख)	53.80	-	-
(iii) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	2 (ग)	1,137.68	1,134.69	109.53
(iv) वित्तीय संपत्ति :				
क) अन्य वित्तीय संपत्तियां	3	0.06	0.06	0.06
(v) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	1,550.14	3,202.87	-
(vi) आयकर संपत्ति	10	-	-	-
		8,224.36	**10,260.69**	**640.57**
2) वर्तमान संपत्ति				
i) दरसूची	5	104.39	606.22	749.92
ii) वित्तीय संपत्तिः				
क) व्यापार प्राप्य	6	8,166.44	5,534.49	12,799.78
ख) नकद और नकद समतुल्य	7	397.84	2,569.40	4.83
ग) उपर्युक्त (क) के अलावा अन्य बैंक शेष	8	3,628.88	1.00	33.75
घ) अन्य वित्तीय संपत्तियां	9	14.97	8.37	3.91
iii) वर्तमान कर संपत्ति	10	886.67	1,046.73	751.65
iv) अन्य वर्तमान संपत्तियां	11	840.91	158.87	186.27
		14,040.10	**9,925.08**	**14,530.11**
कुल		**22,264.46**	**20,185.77**	**15,170.68**
इक्विटी और देयताएं :				
1 भागीदारी				
i) इक्विटी शेयर पूंजी	12	1,666.67	1,666.67	1,666.67
ii) अन्य इक्विटी	13	-9,566.87	-15,862.00	-24,154.55
		-7,900.20	**-14,195.33**	**-22,487.89**
2 देनदारियांः				
गैर चालू देनदारियों				
i) वित्तीय देनदारियां				
क) पट्टा देयताएं	19	46.27	-	-
ख) व्यापार देय	15	-	-	-
ग) अन्य वित्तीय देनदारियां	16	21,739.44	21,582.90	-
ii) गैर–चालू प्रावधान	14	3,773.08	6,415.01	6,645.63
iii) अन्य देयताएं		-	-	-
		25,558.78	**27,997.91**	**6,645.63**
वर्तमान देनदारियां				
i) वित्तीय देनदारियां				
क) पट्टा देयताएं	19	11.31	-	-
ख) व्यापार देय	15			
– एमएसएमई		31.30	35.84	36.23
– एमएसएमई के अलावा		1,875.47	3,881.17	5,930.61
ग) अन्य वित्तीय देयता	16	648.16	767.36	19,371.58
ii) चालू प्रावधान	17	1,466.99	1,376.70	2,668.03
iii) अन्य चालू देयताएं	18	572.65	322.13	3,006.49
		4,605.88	**6,383.20**	**31,012.94**
कुल		**22,264.46**	**20,185.77**	**15,170.68**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरण के भाग का सृजन करने वाले नोट	1 2-54	-	-	-

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
*त्रुटि या चूक के परिणामस्वरूप पुर्नकथन के संबंध में विवरण के लिए नोट 29 देखें।

कृते और उनकी ओर से

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 007739N

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता. /–
सतेन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएनः 07728790

हस्ता. /–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डीआईएन : 10041387

हस्ता. /–
सीए अजय के. बजाज
साझेदार
एम सं. 086306
यूडीआईएन 230863068GXMKK8419

हस्ता. /–
शरद अग्रवाल
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता. /–
साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

हस्ता. /–
राकेश कुमार जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20-12-2023

31 मार्च 2023 को तुलन पत्र

(ईपीएस के अलावा रूपए मिलियन में)

	विवरण	नोट सं.	2022–23	2021–22 (पुर्नकथन)*	2020–21 (पुर्नकथन)*
	आय				
I	प्रचालन से राजस्व	20	19,534.02	18,819.09	11,589.49
II	अन्य आय	21	764.59	246.13	430.90
III	**कुल आय (I+II)**		**20,298.61**	**19,065.21**	**12,020.39**
IV	खर्च				
i	कर्मचारी लाभ व्यय	22	6,855.75	6,013.99	6,911.07
ii	वित्त लागत	23	1,920.84	1,525.23	1,561.59
iii	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	2(क) & 2(ख)	592.73	613.45	146.55
iv	अन्य खर्चे	24	4,818.79	5,306.96	3,801.43
	कुल व्यय पहले (i+ii+iii+iv)		**14,188.11**	**13,459.63**	**12,420.63**
	पूर्व अवधि समायोजन के बाद कुल व्यय		**14,188.11**	**13,459.63**	**12,420.63**
V	**असाधारण मद से पहले लाभ/ (हानि) (III-IV)**		**6,110.50**	**5,605.58**	**-400.24**
VI	**असाधारण मदें**	34(ख)(ii)	**2,334.21**	**-**	**-**
VII	**असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/ (हानि) ;**		**8,444.71**	**5,605.58**	**-400.24**
VIII	**कर व्यय :**				
	i) वर्तमान कर		338.97	584.52	-
	ii) न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स क्रेडिट पात्रता		-	(583.16)	-
	iii) आस्थगित कर आय		1,652.73	(2,619.71)	-
	iv) पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित कर हेतु अल्प प्रावधान		168.31	-	-
IX	**अवधि के लिए कर के बाद लाभ/(हानि) (IX-X)**		**6,284.71**	**8,223.93**	**-400.24**
X	**अन्य व्यापक आय**				
	परिभाषित लाभ दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)		10.42	68.62	215.21
	कुल व्यापक आय		**6,295.13**	**8,292.55**	**-185.03**
XI	**प्रति शेयर आय रु. 10 प्रत्येक**				
	मूल	25	**37.71**	**49.34**	**-2.40**
	विलयित	25	**37.71**	**49.34**	**-2.40**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और **1**
वित्तीय विवरण के भाग का सृजन करने वाले नोट **2-54**

*त्रुटि या चूक के परिणामस्वरूप पुर्नकथन के संबंध में विवरण के लिए नोट 28 देखें।

हमारी संलग्न समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार

कृते कृते एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 007739N

हस्ता./–
सीए अजय के. बजाज
साझेदार
एम सं. 086306
यूडीआईएन 230863068GXMKK8419

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20-12-2023

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–
सतेन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन 07728790

हस्ता./–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डीआईएन : 10041387

हस्ता./–
शरद अग्रवाल
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता./–
साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

हस्ता./–
राकेश कुमार जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु रोकड़ प्रवाह विवरण

(रूपए मिलियन में)

	विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को (पुर्नकथन)*		1 अप्रैल 2021 को (पुर्नकथन)*	
A.	**प्रचालनिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह विवरण**						
	निवल कर पूर्व लाभ / (हानि) और असाधारण मदें :		6,110.50		5,605.58		-400.24
	समायोजन हेतु :						
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	592.73		613.45		146.55	
	संपत्ति संयंत्र और उपकरणों की बिक्री से (शुद्ध) लाभ /(हानि)	8.23		-		0.02	
	कॉल और सावधि जमा पर ब्याज	-154.01		-4.09		-1.97	
	ब्याज व्यय	1,915.49		1,525.23		1,561.59	
	पट्टे की देनदारियों पर ब्याज	5.35		-		-	
	अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	142.72		10.70		98.46	
	अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-		24.54		-	
	अनावश्यक प्रावधान	15.76		27.01		172.28	
	इन्वेंटरी समाधान के लिए प्रावधान	500.00		-		-	
	शुद्ध अप्राप्त विनिमय लाभ	67.62		36.52		19.50	
	कर्मचारी लाभ दायित्वों का पुनर्मापन	10.42		68.62		215.21	
	अन्य समायोजन	2,165.90	5,270.23	0.06	2,302.04	-	2,211.64
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन (हानि)/लाभ		**11,380.73**		**7,907.63**		**1,811.39**
	संपत्ति और देनदारियों में परिवर्तन						
	व्यापार और अन्य प्राप्तियां	-2,842.30		7,218.07		13,768.59	
	व्यापार और अन्य देनदारियां	-2,010.23		-2,049.84		1,450.40	
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं अन्य परिसंपत्तियाँ	-4,437.00		-431.75		153.66	
	अन्य वित्तीय देनदारियाँ और अन्य देनदारियाँ	-2,602.76	-11,892.28	-1,227.62	3,508.85	-15,618.18	-245.53
	परिचालन से नकदी प्रवाह		**-511.55**		11,416.48		1,565.86
	आयकर (भुगतान)/रिफंड		266.61		-300.00		-
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (प्रयुक्त)/		**-244.94**		**11,116.48**		**1,565.86**
B.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**						
	अचल संपत्तियों का अधिग्रहण	-150.12		-7,030.77		-83.69	
	संपत्ति संयंत्र और उपकरणों की बिक्री (निवल)	0.00		-			
	ब्याज आय	154.01	3.89	4.09	-7,026.68	1.97	-81.72
	निवेश गतिविधियों में उपयोग किया जाने वाला शुद्ध नकदी प्रवाह		**3.89**		**-7,026.68**		**-81.72**
C.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**						
	संपत्ति के उपयोग के अधिकार का किराया शुल्क	-15.02		-		-	
	ब्याज	-1,915.49		-1,525.23		-1,561.59	
	शुद्ध नकदी प्रवाह/ वित्तपोषण गतिविधियों में उपयोग किया गया		**-1,930.51**		**-1,525.23**		**-1,561.59**
	नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)		-2,171.57		2,564.57		-77.44
	नकद और नकद समतुल्य (प्रारंभिक शेष)		**2,569.40**		**4.83**		82.28
	नकद और नकद समतुल्य (अंतिम शेष)		**397.84**		**2,569.40**		**4.83**
	नकद और नकद समकक्षों का घटक						
	उपलब्ध नकदी	0.60		0.36		0.17	
	चालू खाते में शेष	83.83		1,244.08		4.60	
	अन्य जमा खाता	313.40		1,324.97		-	
	ड्राफ्ट/ उपलब्ध चैक	-	**397.84**	-	**2,569.40**	0.06	**4.83**

नकद प्रवाह विवरण : नकद प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखा मानक 7 (इंडएएस–7) में निर्धारित 'अप्रत्यक्ष विधि' के तहत तैयार किया गया है, और परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा वर्तमान नकदी प्रवाह।

हमारी संलग्न समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 007739N

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–
सतेन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन 07728790

हस्ता./–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डीआईएन : 10041387

हस्ता./–
सीए अजय के. बजाज
साझेदार
एम सं. 086306
यूडीआईएन 230863068GXMKK8419

हस्ता./–
शरद अग्रवाल
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता./–
साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

हस्ता./–
राकेश कुमार जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20-12-2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी	31.03.2023 को		31.03.2022 को		01.04.2021 को	
	मिलियन में शेयरों की संख्या	रूपए मिलियन में	मिलियन में शेयरों की संख्या	रूपए मिलियन में	मिलियन में शेयरों की संख्या	रूपए मिलियन में
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्कथित शेष राशि	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन						
जोड़ेंरू वर्ष के दौरान आवंटित इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	-
कमकरे बायबैक	-	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	**166.67**	**1,666.67**	**166.67**	**1,666.67**	**166.67**	**1,666.67**

रूपए मिलियन में

विवरण	अन्य इकिवटी ;पुर्नकथनद्ध		कंपनी के शेयरधारकों के प्रति कुल इक्विटी
	आरक्षित निधि और अतिरेक	अन्य वृहत आय – आरक्षित	
	प्रतिधारित आमदनी	निश्चित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	
1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष	**-23,969.52**	**-**	**-23,969.52**
पिछले वर्षों के आस्थगित कर संपत्ति का प्रभाव	-	-	**-**
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	-167.27	-	**-167.27**
जमा/घटा : पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	-232.97	-	**-232.97**
अन्य व्यापक आय/(हानि)	-	215.21	**215.21**
31 मार्च 2021 तक शेष	**-24,369.76**	**215.21**	**-24,154.55**
1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष	-24,154.55	**-**	**-24,154.55**
पिछले वर्षों के आस्थगित कर संपत्ति का प्रभाव	-	-	**-**
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	8,371.17	-	**8,371.17**
जमा/घटा : पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	-147.24	-	**-147.24**
अन्य व्यापक आय/(हानि)	-	68.62	**68.62**
31 मार्च 2022 तक शेष	**-15,930.62**	**68.62**	**-15,862.00**
1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष	-15,862.00	**-**	**-15,862.00**
पिछले वर्षों के आस्थगित कर संपत्ति का प्रभाव	-	-	**-**
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	6,284.71	-	**6,284.71**
जमा/घटा : पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	-	-	**-**
अन्य व्यापक आय/(हानि)	-	10.42	**10.42**
31 मार्च 2023 तक शेष	**-9,577.29**	**10.42**	**-9,566.87**

हमारी संलग्न समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 007739N

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–
सतेन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन 07728790

हस्ता./–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डीआईएन : 10041387

हस्ता./–
सीए अजय के. बजाज
साझेदार
एम सं. 086306
यूडीआईएन 230863068GXMKK8419

हस्ता./–
शरद अग्रवाल
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता./–
साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

हस्ता./–
राकेश कुमार जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20-12-2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष को और वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां

नोटः 1

क. निगमित सूचना

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (भारत सरकार की कंपनी, एआई एसेटस होलडिंग लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीआईएनः U74210DL2004GOI125114 सहित बनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। दिनांक 03 अगस्त, 2020 को कंपनी ने अपना नाम एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड से बदलकर एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड रखा है। कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय द्वितीय तल, सीआरए भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110003 में स्थित है। कंपनी ने दिनांक 01 जनवरी 2015 से एमआरओ सेवाएं प्रदान करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदन प्राप्त किया है। कंपनी, भारतीय और विदेशी पार्टियों को, मुख्यतः एअरलाइन को एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग संबंधित सेवाएँ लाइन रखरखाव सेवाएं तथा एमआरओ सेवाएं प्रदान करती है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 20 दिसंबर, 2023 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है।

ख. लेखांकन परिपाटी

कंपनी ने यह वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2023 का तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण, वर्ष के लिए उस तिथि को समाप्त हुए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और लेखांकन नीतियां तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, तैयार किए है (साथ में इसके बाद वित्तीय विवरण कहलाए जाएंगे)।

i. अनुपालन का विवरण और तैयारी और प्रस्तुति का आधारः

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं और ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत उसके बाद जारी प्रासंगिक संशोधन नियम प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर मापे गए, कुछ वित्तीय साधनों को छोड़कर, जैसा कि नीचे दी गई लेखांकन नीतियों में बताया गया है। लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां एक नया जारी किया गया लेखा मानक आरंभ में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन में संशोधन किया गया हो

उचित मूल्य वो मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त किया जाएगा अथवा इस बात पर ध्यान दिए बिना की मूल्य सीधे तौर पर अवलोकन योग्य है या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित है, बाजार सहभागियों के बीच एक लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। परिसंपत्ति अथवा देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में कंपनी परिसंपत्ति या देयता की विशेषताओं को ध्यान में रखती है, यदि बाजार सहभागी मापन दिन पर परिसंपत्ति अथवा देयता का मूल्य निर्धारण करने के लिए उन विशेषताओं को ध्यान में रखते है।

मापन के लिए उचित मूल्य और/अथवा इन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण का उद्देश्य, लेन–देन के मामलों को छोडकर, जो भारतीय लेखा मानक 17 के दायरे में है और मापदंड जिसमें उचित मूल्य की कुछ समानताएं है लेकिन वो उचित मूल्य नहीं है, जैसे भारतीय लेखा मानक 2 में प्राप्य निवल मूल्य अथवा भारतीय लेखा मानक एएस 36 में उपयोग मूल्य, इस तरह के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से, स्तर के आधार पर जिस पर उचित मूल्य मापन के लिए निवेश लक्षित है और संपूर्णता में उनका महत्व है, उचित मूल्य मापन स्तर 1, 2, और 3 मे ं वर्गीकृत किए गए है, जो निम्न प्रकार से है :–

- स्तर 1 : निवेश सक्रिय बाजार में समान परिसंपत्तियों एवं देयताओं के लिए कथित मूल्य (असमायोजित) है, जिसे मापन दिवस पर ईकाई प्राप्त कर सकती है।
- स्तर 2 : निवेश कथित मूल्यों के अलावा स्तर 1 में शामिल किए गए है और परिसंपत्ति अथवा देयता के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लक्षित है।
- स्तर 3 : निवेश परिसंपत्ति अथवा देयता के लिए अलक्षित निवेश है।

तुलन पत्र में निरतंर आधार पर पहचाने जाने वाले परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए कंपनी यह निर्धारित करती है तथा यह स्थानांतरण स्तरों के बीच स्तर के अनुसार हुआ है। यह कार्य वर्गीकरण का पुर्नमूल्यांकन (पूरी तरह से उचित मूल्यमापन महत्वपूर्ण होने के साथ न्यूनतम स्तर के आधार पर) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक किया जाता है।

उचित मूल्य दर्शाने के उद्देश्य से कंपनी में परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण उनकी प्रकृतिकारक और परिसंपत्तियों और देयताओं के खतरों के आधार पर निर्धारित किया गया है जैसा कि ऊपर उचित मूल्य स्तर पर बताया गया है।

ii. कार्यात्मक मुद्रा

प्राथमिक आर्थिक परिवेष की मुद्रा जिसमें कंपनी का प्रचालन (कार्यात्मक मुद्रा) भारतीय रुपया (रु.) है, जिसमें कंपनी मुख्य रुप से नकदी उत्पन्न करती है और उसका विस्तार करती है। तदनुसार प्रबंधन ने उसकी कार्यात्मक मुद्रा के रुप में भारतीय रुपए (रु.) का निर्धारण किया है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में प्रस्तुत किए गए है, जो कंपनी की प्रस्तुती और कार्यात्मक मुद्रा है और वित्तीय विवरणों एवं टिप्पणियों में प्रकटित सभी राशियों को जब तक की न कहा गया हो, निकटतम मिलियन तक (एक दशमलव तक) पूर्णांकित किया गया है।

iii. चालू और गैर चालू वर्गीकरण

कंपनी का सेवा क्षेत्र में होने के कारण कोई विशिष्ट प्रचालन साइकिल नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के प्रावधानों के अनुसार 12 माह की अवधि को “प्रचालन साइकिल” के रुप में अपनाया गया है।

कंपनी चालू और गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को प्रस्तुत करती है।

किसी परिसंपत्ति को चालू में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वह निम्नलिखित मापदंडों में से किसी एक को पूरा करती है :–

- कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में इसका प्राप्त होना अपेक्षित है। इसका मुख्य उद्देश्य सेवाएं प्रदान करना है।
- रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 माह के अंदर इसका प्राप्त होना अपेक्षित है।

- यह नकद या नकद के समान है, जब तक इसे एक्सचेंज करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता या रिपोर्टिंग तिथि के 12 महीनों के बाद कम से कम एक देयता का निपटारा करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता।

अन्य सभी परिसंपत्तियां गैर–चालू में वर्गीकृत की गई है।

किसी देयता को चालू में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब वह निम्नलिखित मापदंडों में से किसी एक को पूरा करता है।

- कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में इसका निपटारा होना अपेक्षित है।
- इसका मुख्य उद्देश्य सेवाएं प्रदान करना है।
- रिपोर्टिंग तिथि से 12 माह के अंदर इसका निपटारा किया जाना है अथवा कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम 12 महिनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। एक देयता की शर्तें जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती है, परिणामस्वरुप इसका निपटारा इक्विटी उपकरण जारी करने के साथ है, उसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता।

अन्य सभी देयताएं गैर–चालू में वर्गीकृत की गई है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताओं को केवल गैर–चालू रुप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. हाल की लेखांकन गतिविधियां : मानक जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं:

कारपोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) समय–समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। दिनांक 31 मार्च, 2023 को, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023 में निम्नानुसार संशोधन किया है:

क. इंड एएस–1, वित्तीय विवरण की प्रस्तुति

इस संशोधन में संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के स्थान पर अपनी तथ्यात्मक लेखांकन नीतियों का प्रकटन करने की आवश्यकता है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संशोधन का प्रभाव नगण्य है।

ख. इंड एएस–8, लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां

इस संशोधन ने ''लेखा अनुमान'' की एक परिभाषा प्रस्तुत की है और संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों से लेखांकन नीतियों में बदलाव को अलग करने में मदद करने के लिए इंड एएस–8 में संशोधन शामिल किया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

ग. इंड एएस–12, आयकर

इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और अस्थायी मतभेदों को उत्पन्न करते हैं। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

v. महत्वपूर्ण लेखांकना अनुमान/निर्णयः

इन वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए प्रबंधन ने कुछ निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाई है, जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग, परिसंपत्तियों, देयताओं की रिपोर्ट की राशि और आय और व्यय की मात्रा को प्रभावित करते है। तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते है।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। जहॉ आवश्यक हो, लेखांकन अनुमानों के संशोधनों की संभावित रुप से पहचान की जाती है।

अनुमान और निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्र (जैसा कि संबंधित लेखा नीतियों में कहा गया है), जो वित्तीय वक्तव्यों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालते है, निम्न प्रकार से है :–

क) परिसंपत्तियों की क्षति

ख) उपयोगी जीवन और संपति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य का मापन और कौन से लागत के घटकों को पूंजीकृत किया जा सकता है इसका मूल्यांकन

ग) निवेश संपति के रुप में संपत्ति के वर्गीकरण का आधार

घ) बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों के वर्गीकरण का आधार

ड.) पुनःवितरण की लागत का अनुमान

च) आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान

छ) निर्धारित लाभ दायित्वों की पहचान और मापन

ज) पट्टे का वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मूल्यांकन

झ) उचित मूल्यों और अपेक्षित ऋण हानि का मापन (ईसीएल)

ञ) मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि क्या कराधान विवादों और कानूनी दावों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा, क्या यह संभव है या नहीं।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

क. संपत्ति प्लांट एवं उपकरण की मूल लागत में अधिग्रहण, उनको प्रयोग के स्थान पर लाना तथा उस तिथि तक जबकि परिसंपत्ति को प्रयोग के लिए लिया गया है के लिए ब्याज पर लिया गया ऋण आकास्मिक व्यय में शामिल है।

ख. परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन आवर्ती आधार पर किया जाता है, ताकि प्रत्येक संपत्ति प्रत्येक दो वर्षों में सत्यापित की जा सके और यदि कोई त्रुटि पाई गई तो उन्हें बही खातों में दर्ज किया जाए।

2. मूल्यह्रास और परिशोधन

i. मूल लागत के 5 प्रतिशत का अवशिष्ट मूल्य रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' में निर्धारित किए गए अनुसार परिसंपत्तियों की उपयोगिता आयु पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उपलब्ध किया जाता है।

ii. अधिग्रहण के पूर्ण वर्ष के लिए प्रदान की गई संपत्ति के अतिरिक्त मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है और

निपटान के वर्ष में कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता है।

iii. निश्चित आर्थिक आयु वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का उनकी अनुमानित उपयोगी आयु के बाद परिशोधन किया गया है। अनिश्चित उपयोगी जीवन वाले अमूर्त परिसंपत्तियों का परीक्षण क्षति के लिए किया जाता है।

3. पट्टा

अनुबंध के प्रारंभ के समय कंपनी मूल्यांकन करती है, कि क्या अनुबंध में पट्टे शामिल है। यदि अनुबंध विचाराधीन विनिमय अवधि के लिए किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो पट्टों के लेनदेन के मूल्यांकन हेतु कंपनी ने श्रेष्ठता दृष्टिकोण के लिए व्यावहारिक समीचीन लागू किया। तद्नुसार, भारतीय लेखा मानक 116 केवल उन अनबुंधों पर लागू किया जाता है, जिन्हें पूर्व में भारतीय लेखा मानक एएस 17 के तहत पट्टों के रुप में पहचाना जाता था। पट्टेदार के रुप में पटट् (पट्टे पर ली गई परिसपंत्ति), अल्पकालिक पट्टों को छोड़कर, कम मूल्य की परिसंपत्ति के पट्टों के लिए कंपनी एक मान्यता और मापन दृष्टिकोण लागू करती है और पट्टा अनुबंध जिसमें पट्टेदार और पट्टाकर्ता दोनों को बिना दूसरे पक्ष से अनुमति के और बिना किसी महत्वपूर्ण दडं के पट्टे को समाप्त करने का अधिकार है।

पट्टेदार के रूप में:

अनुबंध के प्रारंभ में कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या अनुबंध में पट्टे शामिल है या नहीं। अनुबंध जिसमें पट्टा शामिल है, विचार विनियम की अवधि के दौरान पहचाने गए परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह निर्धारण करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध, पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी निर्धारित करती है कि :–

i. अनुबंध में पहचान की गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है।

ii. कंपनी के पास पट्टे की अवधि में परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ है तथा

iii. कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

अल्पकालिक, कम मूल्य वाले पट्टों और पट्टा अनुबंधों के लिए, जिसमें पट्टेदार और पट्टेदार प्रत्येक के पास दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना आंशिक जुर्माने के साथ पट्टे को समाप्त करने का अधिकार है, कंपनी पट्टा भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है।

पट्टाकर्ता के रूप में:

पट्टे जिसके लिए कंपनी पट्टाकर्ता है, वित्त अथवा प्रचालन लीज के रुप में वर्गीकृत किए गए है। जब भी पट्टे की शर्तों ने पट्टे के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को व्यापक रुप से पट्टेदार को स्थानांतरित किया है, उस अनुबंध को वित्त पट्टे के रुप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी पट्टे प्रचालन लीज के रुप में वर्गीकृत किए गए है। जब कंपनी मध्यवर्ती पट्टाकर्ता होती है, तो वह अपने लाभों को मुख्य पट्टे और उप पटट् जैसे खातों में अलग से दर्ज करती है। उप पट्टे को, मुख्य पट्टे से उत्पन्न होने वाली आरओयू परिसंपत्ति के संदर्भ में वित्त या प्रचालन पट्टे के रुप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालन पट्टों के लिए, किराए की आय को, संबंधित पट्टे की अवधि और स्ट्रेट लाईन के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

4. राजस्व की पहचान

i. कंपनी को मुख्यतः अनुरक्षण, रिपेअर एवं ओवरहॉल सेवाए ं (एमआरओ सेवाएं), लाइन रखरखाव, (विमान इंजनों का तकनीकी हैंडलिंग) और अन्य विमान संबंधी सेवाओं से राजस्व प्राप्त होता है।

ii. प्रचालन से राजस्व

राजस्व की पहचान तब होती है, जब बाह्य माल अथवा सेवा (परिसंपत्ति) ग्राहक को संतोषजनक विधि से स्थानांतरित की जाती है। जब ग्राहक उक्त परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त करता है, तब परिसंपत्ति स्थानांतरित की जाती है।

विमान और विमान इंजन द्वारा उड़ाए गए ब्लॉक घंटों के आधार पर हुए करार के संबंध में, राजस्व की पहचान उड़ाए गए वास्तविक ब्लॉक घंटों के आधार पर होती है। लाइन रखरखाव सेवाओं के अन्य करार के संबंध में, राजस्व की पहचान हैंडल किए गए उड़ानों की संख्या से होती है।

iii. प्रशिक्षण सेवाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान प्रशिक्षण सेवाएं शुरू होने के बाद होती है।

iv. निवल मूल्यह्रास से अधिक मूल्य के पीपीई की बिक्री/स्क्रैप से उत्पन्न होने वाले लाभ/हानि को गैर प्रचालन राजस्व अथवा अन्य व्यय के रूप में लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

v. समय अनुपात के आधार पर प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज से प्राप्त हुई आय को मान्यता दी जाती है। किराए से होने वाली आय को समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

vi. बीमा कंपनी से प्राप्त होने वाले दावों को, बीमा कंपनी द्वारा स्वीकृत किए जाने पर लेखाबद्ध किया जाता है।

vii. विक्रेता से प्राप्त हुए वारंटी के दावे/क्रेडिट नोट उनके प्राप्ति की स्वीकृति पर मान्य किए जाते है।

5. दरसूचियां

इन्वेंटरी में प्राथमिक रुप से स्टोर तथा कलपुर्जे और खुले औजार शामिल होते है। इन्वेंटरी में विविध स्टोर और कलपुर्जे शामिल है जिनका मापन कम कीमत पर और प्राप्य निवल मूल्य (एनआरवी) पर किया जाता है। इन्वेंटरी की लागत तुलनात्मक औसत आधार पर निर्धारित की जाती है। प्राप्य निवल मूल्य इन्वेंटरी के लिए अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है और बिक्री करने के लिए आवश्यक लागतों की सभी अनुमानित लागतों को कम करता है।

6. कर्मचारी हितलाभ

क. **अल्पावधि कर्मचारी हित** : सभी कर्मचारी हितलाभ जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों में दिए जाते हैं उनको अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ कहा जाता है। हितलाभ जैसे वेतन, मज़दूरी एवं अल्पावधि क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति आदि तथा बोनस, अनुग्रह अनुदान की अनुमानित लागत उस अवधि में दर्शाए जाते हैं, जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं।

ख. रोजगार पश्चात हितलाभ

परिभाषित योगदान योजनाओं में, कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान शामिल है। कंपनी के पास दिनांक 01 दिसंबर 2021 तक स्थायी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट

विद्यमान है। उसके बाद, ट्रस्ट को भंग कर दिया गया है और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत ईपीएफओ को राशि स्थानांतरित कर दी गई है। निश्चित अवधि के अनुबंध (एफटीसी) कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि (पीएफ) बकाया कंपनी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कार्यालय में जमा किया जाता है। वेतन संरचना के घटकों से संबंधित दिनांक 28 फरवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट (एससी) का एक निर्णय आया था, जिसके तहत ईपीएफ अधिनियम के तहत भविष्य निधि में योगदान की गणना करते समय जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। आवेदन की प्रभावी तिथि सहित निर्णय से संबंधित व्याख्यात्मक पहलू विद्यमान हैं। प्रबंधन की दृष्टि से, भविश्य निधि के लिए योगदान की गणना कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार की जानी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का बकाया, नियमित रूप से सरकारी प्राधिकरणों के पास जमा किया जाता है। परिभाषित अंशदान योजनाओं के लिए कंपनी के भुगतान को उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें कर्मचारी उन सेवाओं का निष्पादन करते हैं, जिनमें भुगतान शामिल होता है।

ईएसआई संबंधी देय राशियों को नियमित रूप से सरकारी प्राधिकरणों में जमा किया जाता है।

परिभाषित हितलाभ योजना वे है जो निधिबद्ध नहीं होती जैसे उपदान, छुट्टी नकदीकरण, जिसमें बीमारी छुट्टी और अन्य लाभ शामिल हैं।

उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा चिकित्सा की देयता वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के तहत निर्धारित की जाती है।

सभी योग्य और स्थायी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों (तत्कालीन एआईएल से कंपनी में स्थानांतरित) के चिकित्सा लाभों के लिए, सरकार ने दिनांक 16 फरवरी 2022 को एक योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत ऐसे सभी कर्मचारी एआईएएचएल (मूल कंपनी) के माध्यम से सीजीएचएस सुविधाओं के सदस्य बनने के लिए सदस्यता लेंगे और इस योजना के लिए संबंधित व्यय, भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता में से एआईएएचएल को प्रदान किया जाएगा।

7. परिसंपत्तियों की क्षति

तुलन–पत्र की प्रत्येक तिथि पर लेखाकरण मानक–36 के अनुसार क्षति के लिए परिसंपत्तियों के वहन मूल्य का परीक्षण किया जाता है जिससे निम्नलिखित का निर्धारण किया जाए :

क) क्षति हानि, यदि कोई है तो, के लिए प्रावधान, और

ख) पूर्वावधि में दर्शाया गया क्षति हानि का निराकरण, यदि कोई हो ,

परिसंपत्ति की वर्तमान राशि अपनी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाने की स्थिति में क्षति हानि को माना जाता है।

8. आय पर कर

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और आस्थगित कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है।

i. वर्तमान कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, चालू कर, यदि कोई हो तो, उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

ii. आस्थगित कर

आस्थगित कर की पहचान वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की मात्रा के बीच अस्थाई अंतर के संबंध में और कर योग्य लाभ की गणना में उपयेाग किए संबंधित कर आधार पर की जाती है। सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं की पहचान की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर/भिन्नता के रुप में उस सीमा तक की जाती है, जहॉ तक ये संभावना होती है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके लिए कटौती योग्य अस्थायी अंतर का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह की आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं की पहचान नहीं की जाती है, यदि लेन–देन में परिसंपत्ति और देयता की प्रारंभिक पहचान (व्यापार संयोजन के अलावा) में अंतर उत्पन्न होता है, जो न तो करयोग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है। इसके अलावा आस्थगित कर देयताओं की पहचान नहीं की जाती यदि प्रारंभिक गुडविल/साख की पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखरखाव राशि की समीक्षा हर एक रिपोर्टिंग अवधि समाप्ति पर की जाती है तथा उस सीमा तक कम की जाती है कि पर्याप्त मात्रा में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे इसकी अब कोई संभाव्यता नहीं है, जो परिसंपत्ति अथवा उसके किसी भाग की वसूली कर सकेगी।

कर कानूनों के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान किया जाता है, जो भविष्य के आयकर देयता के समायोजन के रुप में भविष्य में आर्थिक लाभ देता है और यदि इस बात के ठोस प्रमाण है कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी तो इसे आस्थगित कर संपत्ति माना जाता है। तदनुसार, जब इसकी संभावना हेाती है कि भविष्य में इससे जुडे आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे, तब (एमएटी) को तुलन पत्र में एक परिसंपत्ति के रुप में स्वीकृत किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्ति और देयताओं का मापन उस कर दर पर किया जाता है, जो उस वर्ष में अधिनियमित किए गए अथवा रिपोर्टिंग वर्ष के अंत तक लगातार अधिनियमित किए गए कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर, देयताओं के समाधान या परिसंपत्तियों के प्राप्त हो ने के समय लागू है।

आस्थगित कर सपंत्तियां और आस्थगित कर देयताओं को निरस्त किया जाता है यदि वर्तमान कर संपत्तियों को वर्तमान कर देयताओं के विरुद्ध निरस्त करने के लिए विधिक रुप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और एक ही कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित हो।

आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान की जाती है और उन्हें इस हद तक आगे बढ़ाया जाता है कि कंपनी के प्रचालन और वित्तीय पुनर्गठन, राजस्व उत्पादन और लागत में कमी कार्यक्रम के आधार पर भविष्य में परिसंपत्तियों की प्राप्ति होगी इस बात की एक आभासी निश्चित होती है।

वर्ष के लिए वर्तमान और आस्थिगित कर

लाभ और हानि में वर्तमान और आस्थगित कर की पहचान की जाती है सिवाय इसके कि वे उन वस्तुओ ं से संबंधित है जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में स्वीकृत किया गया है, तथा जिस मामले में वर्तमान या आस्थगित कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकृत किया गया हो। जहॉ व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से वर्तमान कर और आस्थगित कर की उत्पत्ति होती है, कर का प्रभाव व्यवसाय संयोजन के लेखांकन में शामिल होता है।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं को निरस्त किया जाता है, जब वे एक ही कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित हो और संबंधित प्राधिकारी निवल आधार पर वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देयताओं का निपटान करने का हेतु रखती हो।

9. प्रावधान, प्रासांगिक देयताएं और प्रासांगिक परिसंपत्तियां

क) पिछली घटनाओं के परिणामस्वरुप वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा संरचानात्मक) की पहचान होने पर माप के आकलन में काफी प्रावधान शामिल करना पड सकता है और यह भी संभव है कि संसाधनों को खर्च करना पड सकता है। धन के संबंध में समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होने पर वर्तमान कर–पूर्व दर का उपयोग करके प्रावधानों में छूट प्रदान की जाती है जो उचित होने पर देयता की विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। इन आकलनों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान में सर्वोत्कृष्ट आकलनों को दर्शाने के लिए समायोजित किए जाते है। प्रावधान से संबधित व्यय लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ख) जोखिमों और दायित्व को लेकर अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रावधान के रुप में स्वीकृत की गई राशि, तुलन पत्र की तारीख में वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए सबसे अच्छा अनुमान है। जब वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए नकदी प्रवाह के अनुमानों का उपयोग करते हुए एक प्रावधान का मापन किया जाता है, तो यह राशि वहन उन नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य है (जब धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्री है)।

ग) जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभों को किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की उम्मीद की जाती है, तो प्राप्य को संपत्ति के रुप में स्वीकृत किया जाता है, यदि यह निश्चित रुप से निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी और प्राप्य की राशि को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है।

घ) प्रासंगिक देयताओं का पता उन संभावित दायित्वों के संबंध में नोट के माध्यम से लगाया जाता है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उनके अस्तित्व की पुष्टि कंपनी के नियत्रंण में पूरी तरह से नहीं होने वाली एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर–घटना से होती है।

ङ) प्रासंगिक परिसंपत्तियां संभाव्य परिसंपत्तियां है जो पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होती है तथा जिनको मौजूद होने की पुष्टि भविष्य में होने वाली एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं के हो ने अथवा ना होने द्वारा होती है जो कि पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। आर्थिक लाभ की संभावना होने पर प्रासंगिक परिसंपत्ति दर्शाई जाती है।

भारयुक्त अनुबंध

च) जहां कंपनी के पास ऐसा अनुबंध होता है, जिसके तहत अनुबंध के दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत अनुबंध से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों से अधिक होती है, वहां ऐसे अनुबंध को भारयुक्त अनुबंध कहा जाता है। वर्तमान भारयुक्त अनुबंधों के तहत आने वाले दायित्वों को प्रावधानो ं के रुप में पहचाना और मापा जाता है।

10. प्रति शेयर आय

कंपनी अपने इक्विटी शेयरों के लिए मूल तथा तनुकृत अर्जन/(हानि) प्रति शेयर (ईपीएस) डाटा प्रस्तुत करती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की संख्या के औसत मूल्य द्वारा इक्विटी

शेयरधारकों को दिए जाने वाले कर के बाद निवल लाभ में बांटकर किया जाता है। प्रति इक्विटी शेयर कम अर्जन की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत संख्या तथा कम महत्वपूर्ण इक्विटी शेयर पर कुल कर के बाद निवल लाभ के समायोजन को भाग देकर किया जाता हैं।

11. वित्तीय साधन

एक वित्तीय इंस्ट्रूमेंट एक कांट्रैक्ट है जो एक ऐंटिटी के वित्तीय परिसंपत्ति को बढ़ाती है जो पूरी तरह, दूसरी एंटिटी के वित्तीय देनदारी अथवा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को उत्पन्न करती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां

(i) वर्गीकरण

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार करती है जिसे बाद में परिशोधित लागत, उचित मूल्य अन्य समेकित आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से अथवा लाभ एवं हानि (एफवीटीपीएल) विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित करती है। यह निर्धारण वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए इसके व्यवसाय मॉडल और वित्तीय संपत्तियों के नकद प्रवाह की प्रकृति पर आधारित है।

(ii) प्रारंभिक पहचान और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान प्रारंभ में उचित मूल्य पर की जाती है यदि वित्तीय परिसंपतियों को उचित मूल्य पर रिकार्ड नहीं किया जाता है तो लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य का मूल्यांकन लेन–देन लागत के आधार पर किया जाता है।

(iii) उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के उद्देश्य से वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

(क) परिशोधित लागत पर ली गई परिसंपत्तियां :

व्युत्पन्न एवं विशिष्ट निवेशों के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों का उत्तरवर्ती मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है। यदि इस प्रकार के व्यवसाय मॉडल के रुप में रखा जाता है जिसका उद्देश्य परिसंपत्ति से संविदा के रुप में नकद प्रवाह जमा करना होता है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदा की शर्तें निर्धारित तिथि पर नकद प्रवाह के लिए होती है जो पूरी तरह से शेष मूल्यराशि पर मूल्यराशि और ब्याज के भुगतान पर आधारित होती है।

(ख) अन्य समेकित आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां :

विशिष्ट निवेश वाली वित्तीय परिसंपत्ति का उत्तरवर्ती मापन अन्य कुल आय के द्वारा उचित मूल्य पर किया जाता है यदि इसे ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदा नकद प्रवाह और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदा शर्तें किसी निश्चित तिथि पर नकद प्रवाह को बढ़ाती है जो पूरी तरह, शेष मूल राशि पर मूल तथा ब्याज के भुगतान पर पूरी तरह आधारित है। कंपनी ने अपने निवेश के संबंध में अपरिवर्तनीय चुनाव किया है जो इसके व्यवसाय मॉडल पर आधारित अन्य समेकित आय में उचित मूल्य में तत्पश्चात होने वाले परिवर्तन संबंधी को दर्शाने के लिए इक्विटी साधन के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां :

उपरोक्त किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों को, जिसमें व्युत्पन्न परिसंपत्तियां शामिल है तत्पश्चात लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य निर्धारण किया गया है।

(iv) डी–रीकग्निशन

परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त होना समाप्त होने पर अथवा कंपनी द्वारा परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार को स्थानांतरित कर देने पर वित्तीय परिसंपत्ति को प्राथमिक रुप से डी–रिकग्नाइज्ड कर दिया जाता है।

(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी व्यापार से प्राप्य यह संविदा राजस्व प्राप्य और सभी पट्टा प्राप्य आदि के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों पर अनुमानित क्रेडिट हानि मॉडल पर हानि और क्षति से हुई हानि की पहचान का मूल्यांकन करती है।

(vi) बट्टा खाता

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की कुल राशि को वसूली की वास्तविक संभावना होने की सीमा तक बट्टे खाते में (आंशिक या पूरी तरह) डाल दिया जाता है। ऐसा सामान्यतः उस मामले में होता है जबकि कंपनी यह निर्णय लेती है कि दूसरी पार्टी के पास बट्टे खाते में डाली जाने वाली राशि के लिए कोई परिसंपत्ति अथवा आय का स्त्रोत नहीं होता जिससे पर्याप्त नकद प्रवाह प्राप्त हो सके। तथापि बट्टे खाते में डाली गई वित्तीय परिसंपत्तियों को शेष राशि के वसूली के लिए कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी गतिविधियों में भी लगाया जा सकता है।

ख. वित्तीय देयताएं

(i) प्रारंभिक पहचान और मापन

सभी वित्तीय देयताओं की पहचान प्रारंभ में उचित मूल्य पर की जाती है तथा ऋण तथा उधार एवं देयों के मामले में अंतरण लागत से सीधे संबंधित निवल राशि कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार अन्य भुगतान ऋण एवं बैंक ओव्हरड्राफ्ट सहित उधार तथा व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल है।

(ii) वर्गीकरण

कंपनी लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं को छोड़कर सभी वित्तीय देयताओं को परिशोधित लागत पर बाद में मापन के रुप में वर्गीकृत करती है। ऐसी देयताएं व्युत्पन्न सहित बाद में उचित मूल्य पर मापी जाती है।

(iii) उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है जैसाकि नीचे दिया गया है।

(क) परिशोधित लागत पर ली गई देयताएं :

सभी वित्तीय दयेताओं की पहचान प्रारंभ में उचित मूल्य पर की जाती है और ऋण तथा उधार एवं देयों के मामले में अंतरण लागत से संबंधित निवल राशि के मूल्य पर की जाती है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य देय शामिल है।

(ख) लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय दयताएं :

लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक पहचान के समय व्यापार और वित्तीय देयताओं के रुप में नामित वित्तीय देयताएं शामिल होती है। वित्तीय देयताओं को वर्गीकृत माना जाता है जबकि निकट भविष्य में पुनः खरीद के उद्देश्य से उन्हें व्यापार के लिए रखा जाता है। इस श्रेणी में व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल होते है जिसे कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक 109 के परिभाषा के अनुसार प्रतिरक्षक संबंध में प्रतिरक्षक साधन नामित नहीं किया गया है। अलग अंर्तनिहित व्युत्पन्न को, व्यापार के लिए रखे गए रुप में वर्गीकृत किया गया है। जब तक कि उन्हें प्रभावी प्रतिरक्षक साधन के रुप में नामित नहीं किया गया। व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर हानि अथवा लाभ की पहचान लाभ एवं हानि विवरण में की गई है।

(IV) डी–रिकाग्निशन

वित्तीय देयताओं को उस स्थिति को डी–रिकग्नाइज्ड कर दिया जाता है जब देयताओं के अंतर्गत उसका निपटान कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है।

(V) वित्तीय साधनों की ऑफ–सेटिंग

पहचानी गई राशि का प्रति संतुलन करने के लिए, वर्तमान में लागू कानूनी अधिकारी होने पर और परिसंपत्तियों के समाधान करने के साथ–साथ देयताओं के समापन का इरादा होने पर वित्तीय परिसपंत्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रतिसंतुलन कर दिया जाता है और निवल राशि को तुलन पत्र में रिपोर्ट किया जाता है।

12. ऋण लागत

i. ऋण लागत, जो अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार होती है, पूंजीगत कार्य प्रगति सहित अर्हक संपत्ति के निर्माण में संपत्ति की लागत के हिस्से के रुप में, परिसंपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग की शुरुआत की तारीख तक पूंजीकृत की जाती है।

ii. रु.10.0 मिलियन के मूल्य से अधिक की अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उपयोग की जा रही लंबित अवधि के ऋणों की प्राप्ति की प्रत्याषों में ऋण की राशि या अस्थायी ऋणों पर लगने वाला ब्याज अधिग्रहण के समय बकाया ऋण पर तुलनात्मक औसत ऋण दरों पर पूंजीकृत किया जाता है।

13. नकद और नकद समान

नकद और नकद के समान में नकद और अपने पास नकद तथा 03 महीने और उससे कम समय में मूल रूप से पूरा होने वाले छोटी अवधि की जमा शामिल होते है, जिनकी कीमत में बहुत कम अंतर होने का खतरा होता है।

14. विदेशी मुद्रा की वित्तीय मदें

i. विदेशी स्टेशनों से संबंधित विदेशी मुद्रा राजस्व और खर्च के व्यवहार को स्थापित मासिक दरों पर (प्रकाशित आईएटीए दरों पर आधारित) रिकार्ड किया जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा की वित्तीय मदों को डीलर असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीएआई) द्वारा परिचालित विनिमय दर का उपयोग करके अंतरित किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन के प्राप्ति/निपटान के कारण हुआ

लाभ/(हानि) और वित्तीय विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति और देयताओं के अंतरण को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

15. अनुबंध शेष

i) संविदागत संपत्ति

संविदागत संपत्ति, ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के बदले में प्रतिफल का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा भुगतान किए जाने से पहले या भुगतान देय होने से पहले ग्राहक को सेवाएं प्रदान करके निष्पादन करती है, तो व्यापार प्राप्तियों सहित अर्जित प्रतिफल के लिए संविदागत संपत्ति को मान्यता दी जाती है।

ii) संविदागत देयताएं

संविदागत देयता, एक ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने का वह दायित्व है, जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त किया है (या प्रतिफल की राशि देय है)। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने से पहले विचार करता है, तो भुगतान किए जाने या भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) संविदागत देयता को मान्यता दी जाती है । संविदागत देयताओं को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है, जब कंपनी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम सहित संविदा के तहत निष्पादन करती है।

iii) वापसी देयताएं

रिफंड देयता ग्राहक से प्राप्त (या प्राप्य) कुछ या सभी प्रतिफलों को वापस करने का दायित्व है और इसे उस राशि पर मापा जाता है, जो कंपनी को अंततः संभावित है कि उसे ग्राहक को वापस करनी होगी। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में रिफंड देनदारियों के अपने अनुमानों को अद्यतन करती है।

16. न्यूनतम सीमा

कंपनी ने व्यय/आय और प्रकटीकरण के वर्गीकरण में निम्नलिखित भौतिकवादी न्यूनतम सीमा अपनाई है।

न्यूनतम सीमा मद	यूनिट	न्यूनतम सीमा मूल्य
पूर्व अवधि के खर्चे/राजस्व		
वैयक्तिक समीाओं पर आधारित पुनः विवरण	मिलियन	80.00
समग्र सीमाओं पर आधारित पुनः विवरण	मिलियन	पिछले वित्तीय वर्ष के कुल राजस्व का 1 प्रतिशत
वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन	मिलियन	80.00

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट

नोट 2: परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(रूपये मिलियन में)

क्र. सं विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल 2022 को	संवर्धन	अन्य समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	कुल 31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
मूर्त परिसंपत्तियां:											
क. भूमि	180.00	28.54	-	-	208.54	-	-	-	-	208.54	180.00
ख. भवन	2,654.73	3.04	-	3.30	2,654.47	108.62	103.07	0.31	211.378107	2,443.09	2,546.11
ग. संयंत्र उपकरण											
कार्यशाला उपकरण, उपकरण,	2,551.70	98.60	-	97.25	2,553.05	1,294.24	217.186	90.39	1,421.03	1,132.02	1,257.46
मशीनरी और संयंत्र	1,951.68	1.98	-	18.88	1,934.77	240.26	187.62	17.83	410.06	1,524.71	1,711.42
जीएच और रैंप उपकरण	0.86	-	-	-	0.86	0.18	0.18	-	0.36	0.50	0.68
घ. फर्नीचर एव फिक्चर	60.52	3.84	-	0.33	64.03	15.54	11.32	0.08	26.78	37.25	44.98
ड. विद्युत फिटिंग	218.79	0.03	-	0.02	218.81	51.62	51.43	0.00	103.05	115.76	167.17
च. कंप्यूटर प्रणाली	14.22	9.49	-	0.21	23.50	9.55	4.69	0.20	14.04	9.46	4.67
छ. वाहन	12.61	-	-	-	12.61	6.79	1.44	-	8.24	4.38	5.82
ज. कार्यालय उपकरण	15.68	4.60	-	0.11	20.18	10.92	2.33	0.07	13.19	6.99	4.76
मूर्त संपत्ति के लिए कुल	**7,660.79**	**150.12**	**-**	**120.11**	**7,690.80**	**1,737.72**	**579.28**	**108.89**	**2,208.11**	**5,482.69**	**5,923.07**
पूंजीगत कार्य – प्रगति पर	1,134.69	2.99	-	-	1,137.68	-	-	-	-	1,137.68	1,134.69
कुल पूंजी कार्य–प्रगति	**1,134.69**	**2.99**	**-**	**-**	**1,137.68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,137.68**	**1,134.69**
कुल योग	**8,795.49**	**153.11**	**-**	**120.11**	**8,828.48**	**1,737.72**	**579.28**	**108.89**	**2,208.11**	**6,620.37**	**7,057.76**
पिछले वर्ष	**1,765.89**	**7,140.29**	**109.53**	**1.17**	**8,795.49**	**1,125.38**	**613.45**	**1.11**	**1,737.72**	**7,057.76**	**640.50**

नोट "2.(क)1"

उपरोक्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में एमआरओ नागपुर की संपत्ति शामिल है, जिसमें एयरफ्रेम रखरखाव सुविधा, जीई/जीईएनएक्स इंजन के लिए इंजन परीक्षण सुविधा, लीज होल्ड भूमि और निर्माणाधीन इंजन वर्कशॉप, राशि शून्य रुपये (पीवाई: 6,740 मिलियन रुपये) सहित शामिल है। वर्कशॉप सीडब्ल्यूआईपी की राशि शून्य रुपये (पीवाई: 1,134.7 मिलियन रुपये) है, जिसे तत्कालीन होल्डिंग कंपनी (एअर इंडिया लिमिटेड) से दिनांक 31 मार्च, 2021 तक बही मूल्य पर बिना किसी भौतिक हैंडओवर–टेकओवर के बही अंतरण कर दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय के निर्देश और तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड के नीतिगत विनिवेश के अनुरूप, दिनांक 07 दिसंबर, 2020 को बोर्ड की 64वीं बैठक में निदेशक मंडल ने एआई से नागपुर एमआरओ को लेने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा एआईईएसएल द्वारा 2022–23 के दौरान 2.99 मिलियन रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

नोट "2.(क)2"

जीईएनएक्स/जीई90 इंजन ओवरहाल वर्कशॉप, नागपुर में 1134.69 मिलियन रुपये का एक पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) अप्रैल, 2021 में तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा संबंधित बोर्ड के निर्णय के आधार पर कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान निर्माणाधीन सुविधाओं को पूरा करने के लिए 600 मिलियन रुपये के पूंजीगत बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई। हालाँकि, तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा ओईएम और निर्माण ठेकेदारों के साथ पहले किए गए अनुबंध के गैर–नवीनीकरण को देखते हुए, परियोजना में कोई महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय नहीं किया गया था।

नोट "2.(क)3"

उपरोक्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में जेट 9डी टेस्ट हाउस का निर्माण शामिल है जिसे 1 अप्रैल, 2019 को तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड से कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया है। भवन का निर्माण तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है और कंपनी को 10.42 मिलियन रुपये के मूल्य पर बही अंतरण किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट

नोट 2 (बी) : परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

(रूपये मिलियन में)

विवरण	भूमि
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	
सकल वहन राशि	
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	-
इंड एएस 116 को अपनाने पर अंतरण प्रभाव	-
जोड़े गए	67.24
हटाए गए	-
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**67.24**
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	-
जोड़े गए	13.45
हटाए गए	-
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**13.45**
31 मार्च, 2023 तक शुद्ध वहन राशि	**53.80**
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
सकल वहन राशि	
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	-
जोड़े गए	-
हटाए गए	-
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	-
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	-
जोड़े गए	-
हटाए गए	-
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	-
31 मार्च, 2022 तक शुद्ध वहन राशि	-

आरओयू परिसंपत्तियों पर कुल मूल्यह्रास व्यय लाभ–हानि के विवरण में मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के अंतर्गत शामिल है।

नोट 3 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – गैर चालू

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को
बैंक जमा – (12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि के साथ)	0.06	0.06	0.06
कुल	**0.06**	**0.06**	**0.06**

नोट 4 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को
(डीटीएल) के कारण आस्थगित कर देयताएं			
मूल्यह्रास	73.06	26.46	-
कुल आस्थगित कर देयता	**73.06**	**26.46**	**-**
(डीटीए) के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति			
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	8.57	-

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को
अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	150.33	195.66	-
अवशोषित मूल्यह्रास और हानि	-	826.31	-
एमएटी ऋण परिसंपत्तियां	-	583.16	-
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	1,056.78	1,615.64	-
नेट आरओयू/लीज देनदारी	14.49	-	-
40ए(i) 30 प्रतिशत व्यय	176.14	-	-
इन्वेंटरी अप्रचलन/वसूली के लिए प्रावधान	125.84	-	-
अन्य कर अस्वीकृतियाँ	99.61		
कुल आस्थगित कर संपत्ति	**1,623.20**	**3,229.33**	**-**
शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति	**1,550.14**	**3,202.87**	**-**

नोट 5 : दरसूची

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को
स्टोर और कलपुर्जे	17.46	17.51	18.53
विविध उपकरण	431.60	418.27	414.07
ईंधन, गैस, कोयला, तेल और स्नेहक	0.55	0.65	1.19
गैर–विमान सूची	6.38	6.38	6.38
अन्य इन्वेंटरी	148.40	163.41	309.75
कुल	**604.39**	**606.22**	**749.92**
घटाः इन्वेंटरी समायोजन हेतु प्रावधान	500.00	-	-
कुल	**104.39**	**606.22**	**749.92**

नोट 6 : व्यापार प्राप्य

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को
रक्षित, वसूलीयोग्य	-	-	-
असुरक्षित, वसूलीयोग्य	8,166.44	5,534.49	12,799.78
व्यापार प्राप्तियों में क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	597.30	559.91	549.21
प्राप्य व्यापार . अशोध्य ऋण	-	-	-
कुल	**8,763.74**	**6,094.40**	**13,348.99**
घटाः संदिग्ध हेतु प्रावधान	597.30	559.91	549.21
कुल	**8,166.44**	**5,534.49**	**12,799.78**

व्यापार प्राप्य अवधि संवर्धन अनुसूची (रूपये मिलियन में)

31 मार्च, 2023 तक		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
विवरण	बिना बिल देय	6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
अविवादित व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	2,580.81	3,280.87	434.24	1,750.62	99.06	20.83	8,166.44
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	27.19	14.96	16.79	6.19	532.17	597.30
अविवादित व्यापार प्राप्य – अशोध्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट

(रूपये मिलियन में)

31 मार्च, 2023 तक		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
विवरण	बिना बिल देय	6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
विवादित व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – अशोध्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध व्यापार प्राप्य	**2,580.81**	**3,308.06**	**449.20**	**1,767.42**	**105.25**	**553.00**	**8,763.74**

(रूपये मिलियन में)

31 मार्च, 2022 तक		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
विवरण	बिना बिल देय	6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
अविवादित व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	2,732.54	861.32	1,305.31	42.84	239.89	352.59	5,534.49
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	-	-	5.88	261.23	292.80	559.91
अविवादित व्यापार प्राप्य – अशोध्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – अशोध्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध व्यापार प्राप्य	**2,732.54**	**861.32**	**1,305.31**	**48.72**	**501.12**	**645.40**	**6,094.40**

(रूपये मिलियन में)

31 मार्च, 2021 तक		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
विवरण	बिना बिल देय	6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
अविवादित व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	3,652.88	6,254.94	2,163.40	330.35	169.52	228.69	12,799.78
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	0.01	0.12	286.36	116.32	146.39	549.21
अविवादित व्यापार प्राप्य – अशोध्य ऋण							
विवादित व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य							
विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई							
विवादित व्यापार प्राप्य – अशोध्य ऋण							
शुद्ध व्यापार प्राप्य	**3,652.88**	**6,254.95**	**2,163.52**	**616.70**	**285.84**	**375.08**	**13,348.99**

i. सेवाओं की बिक्री पर ऋण अवधि, सुरक्षा के साथ या उसके बिना 30 से 60 दिनों तक होती है।

ii. कंपनी आमतौर पर इन शेष राशियों पर कोई संपार्श्विक या अन्य क्रेडिट वृद्धि नहीं रखती है और न ही कंपनी द्वारा प्रतिपक्ष को दी गई किसी भी राशि के प्रति ऑफसेट का कानूनी अधिकार है।

iii. संबंधित पक्षों से प्राप्य व्यापार विवरण नोट 38ए-VII में वर्णित किया गया है।

iv. व्यापार प्राप्तियों में कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्तियां शामिल नहीं हैं।

v. व्यापार प्राप्तियों में बंद कंपनियों से प्राप्तियों की कोई राशि शामिल नहीं है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट

नोट 7 : नकद और नकद समतुल्य

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को
बैंकों के पास शेष राशि			
क) चालू खातों में	83.83	1,244.08	4.60
ख) जमा खातों में (3 महीने से कम परिपक्वता)	313.40	1,324.97	-
ग) उपलब्ध नकदी	0.60	0.36	0.17
उपलब्ध चेक व ड्राफ्ट	-	-	0.06
कुल	**397.84**	**2,569.40**	**4.83**

नोट 8 : नकद और नकद से इतर बैंक शेष

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को
बैंकों के पास शेष			
मार्जिन जमा राशि (3 < परिपक्वता < 12)	3,628.88	1.00	33.75
कुल	**3,628.88**	**1.00**	**33.75**

नोट 9 : अन्य वित्तीय परिसंपतितयां

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को
अग्रिमों			
रक्षित – वसूली योग्य	-	-	-
अुरक्षित–वसूली योग्य (इंटर कंपनी)	-	-	-
प्रतिभूति जमा राशि	14.94	8.37	3.91
अन्य गैर व्यापार प्राप्य	0.03	-	-
कुल	**14.97**	**8.37**	**3.91**

नोट 10 : चालू कर परिसंपत्तियां

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को
आयकर और टीडीएस के लिए कुल अग्रिम भुगतान	1,225.63	1,640.49	751.65
घटा : कर हेतु प्रावधान	338.97	593.76	-
कुल	**886.67**	**1,046.73**	**751.65**

नोट 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को
पूर्वप्रदत्त खर्चे	122.69	32.44	11.78
नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	264.85	120.41	170.59
फुटकर रोकड़ राशि	0.02	0.01	-
जीएसटी टीडीएस प्राप्य	4.30	-	-
निवेश पर उपार्जित ब्याज	56.93	6.01	3.91
जीएसटी इनपुट	392.11		
कुल	**840.91**	**158.87**	**186.27**

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट

नोट 12 : इक्विटी शेयर पूंजी

	विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को		01 अप्रैल 2021 को	
		शेयरों की संख्या मिलियन में	रूपए मिलियन में	शेयरों की संख्या मिलियन में	रूपए मिलियन में	शेयरों की संख्या मिलियन में	रूपए मिलियन में
क.	**प्राधिकृत** प्रति 10 रूपए मूल्य के 1000,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10,000,000)	1,000.00	10,000.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00	10,000.00
		1,000.00	**10,000.00**	**1,000.00**	**10,000.00**	**1,000.00**	**10,000.00**
ख.	**जारी, अंशदायी और पूर्णत प्रदत्त शेयर** प्रति 10 रुपये मूल्य के 1666,66,500 इक्विटी शेयर	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67
		166.67	**1,666.67**	**166.67**	**1,666.67**	**166.67**	**1,666.67**

ग. **शेयरों की संख्या का समायोजन :**

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को		01 अप्रैल 2021 को	
	शेयरों की संख्या मिलियन में	रूपए मिलियन में	शेयरों की संख्या मिलियन में	रूपए मिलियन में	शेयरों की संख्या मिलियन में	रूपए मिलियन में
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयर	16,66,66,500.00	1,666.67	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67
जमा : वर्ष के दौरान आवंटित इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर	**16,66,66,500.00**	**1,666.67**	**166.67**	**1,666.67**	**166.67**	**1,666.67**

घ. **इक्विटी शेयरों के साथ संबद्ध अधिकार वरियता और प्रतिबंध**

कंपनी के पास शेयरों की एकल श्रेणी है अर्थात इक्विटी शेयर जिनकी कीमत 10 प्रति शेयर के बराबर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

कोई बोनस शेयर जारी नहीं किया गया था और नकद के अलावा अन्य विचाराधीन शेयर जारी किए जाने का एक उदाहरण है और कंपनी द्वारा निगमन तिथि से तुलन पत्र की तारीख तक कोई शेयर वापस नहीं खरीदा गया है।

ड. **धारक कंपनी द्वारा धारित शेयरों का ब्यौरा**

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को		01 अप्रैल 2021 को	
धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर	शेयरों की संख्या मिलियन में	रूपए मिलियन में	शेयरों की संख्या मिलियन में	रूपए मिलियन में	शेयरों की संख्या मिलियन में	रूपए मिलियन में
एअर इंडिया लिमिटेड*	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67
एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड**	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67	-	-

*12 जनवरी, 2022 तक

**12 जनवरी, 2022 से

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट

च. **5 प्रतिशत से अधिक रखने वाले शेयरधारकों का विवरण**

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को		01 अप्रैल 2021 को	
	शेयरों की संख्या मिलियन में	रूपए मिलियन में	शेयरों की संख्या मिलियन में	रूपए मिलियन में	शेयरों की संख्या मिलियन में	रूपए मिलियन में
एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड**	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67	-	-
एअर इंडिया लिमिटेड*	-	-	-	-	166.67	1,666.67

छ. **नकद में प्राप्त होने वाले भुगतान के साथ अनुबंध के अनुसार पूरी तरह से बिना नगद भुगतान के पूर्ण प्रदत रूप में जारी किए गए और आवंटित शेयरों का विवरण**

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को
दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को एयर इंडिया लिमिटेड और एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के बीच हुए समझौता ज्ञापन के खंड 5 क की शर्तों के आधार प्रर प्रदान की गई पूंजी के प्रति दिनांक 1 अप्रैल 2014 को होल्डिंग कंपनी, एअर इंडिया लिमिटेड स्थानांतरित की गई इंजीनियरिंग संपत्तियों के डब्ल्यूडीवी के लिए प्रत्येक 10 रूपए के रुपये के 1666,16,500 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए थे।	NIL	NIL	NIL

नकद में भुगतान प्राप्त किए बिना अनुबंध के अनुसार आवंटित शेयर और रिपोर्टिंग तिथि से ठीक पहले 5 वर्ष की अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयर शून्य (पिछले वर्ष शून्य) हैं।

ज. **प्रमोटरों की शेयरधारिता***

प्रमोटरों का नाम	31 मार्च 2023 का		31 मार्च 2022 को		01 अप्रैल 2021 को	
	धारित शेयरों की संख्या मिलियन में	%	धारित शेयरों की संख्या मिलियन में	%	धारित शेयरों की संख्या मिलियन में	%
एआईएसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	166.67	100%	166.67	100%	-	0%
एअर इंडिया लिमिटेड	-	0%	-	0%	166.67	100%

टिप्पणी :

धारित शेयरों की संख्या और धारण का प्रतिशत, व्यक्तिगत क्षमता में रखे गए शेयरों को दर्शाते हैं।

यहां प्रमोटर का तात्पर्य प्रमोटर है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधित रूप में परिभाषित किया गया है।

नोट 13 : अन्य इक्विटी

विवरण	(रूपए मिलियन में) 31 मार्च 2023		(रूपए मिलियन में) 31 मार्च 2022 (पुर्नकथनं)*		(रूपए मिलियन में) 01 अप्रैल 2021 (पुर्नकथनं)*	
लाभ और हानि विवरण में अधिशेष/(घाटा) :						
अंतिम तुलनपत्र के अनुसार शेष		-15,862.00		-24,154.55		-23,969.52
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	6,284.71		8,371.17		-167.27	
घटाः						
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	-		-		-	
जमा / घटा : पूर्व अवधि समायोजन	-		-147.24		-232.97	
अन्य वृहत आय						
जमाः परिभाषित लाभ दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	10.42		68.62		215.21	
निवल अधिशेष		6,295.13		8,292.55		-185.03
कुल रिर्जव और अधिशेष		**-9,566.87**		**-15,862.00**		**-24,154.55**

प्रतिधारण आय :

प्रतिधारित आय वह लाभ है, जो कंपनी ने आज की तारीख तक अर्जित किया है, घटा – सामान्य रिजर्व, लाभांश या शेयरधारकों को भुगतान किए गए अन्य वितरणों में से कोई भी स्थानान्तरणै। प्रतिधारित आय में परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन हानि/(लाभ), करों का निवल जो लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया गया हो, शामिल है। प्रतिधारित आय, कंपनी के लिए उपलब्ध मुक्त आरक्षित निधि है।

नोट 14: गैर चालू प्रावधान

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान			
क) उपदान	1,891.95	2,092.49	2,296.62
ख) अवकाश नकदीकरण	1,302.84	1,465.06	1,595.03
ग) चिकित्सा	-	2,241.44	2,241.44
घ) अन्य लाभ	578.28	616.02	512.54
कुल	**3,773.08**	**6,415.01**	**6,645.63**

नोट 15: व्यापार देय

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कारण	31.30	35.84	36.23
अन्य देय	1,875.47	3,881.17	5,930.61
कुल	**1,906.78**	**3,917.00**	**5,966.84**

नोट 15.1: व्यापार देय की आयु अनुसूची

31 मार्च 2023 को (रूपये मिलियन में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) अविवादित बकाया (एमएसएमई)	30.98	0.17	-	0.16	31.30
(iI) अविवादित देय राशि (अन्य)	165.00	772.19	775.28	163.00	1,875.47
(iii) विवादित बकाया (एमएसएमई)	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय राशि (अन्य)	-	-	-	-	-
कुल	**195.97**	**772.36**	**775.28**	**163.16**	**1,906.78**

31 मार्च 2022 को (रूपये मिलियन में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) अविवादित बकाया (एमएसएमई)	35.67	0.14	0.03	-	35.84
(iI) अविवादित देय राशि (अन्य)	2,243.84	1,060.58	493.48	83.14	3,881.17
(iii) विवादित बकाया (एमएसएमई)	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय राशि (अन्य)	-	-	-	-	-
कुल	**2,279.50**	**1,060.72**	**493.51**	**83.14**	**3,917.00**

31 मार्च 2021 को (रूपये मिलियन में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) अविवादित बकाया (एमएसएमई)	34.73	0.35	0.09	1.06	36.23
(iI) अविवादित देय राशि (अन्य)	4,059.03	467.81	1,367.39	36.39	5,930.61
(iii) विवादित बकाया (एमएसएमई)	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय राशि (अन्य)	-	-	-	-	-
कुल	**4,093.76**	**468.16**	**1,367.48**	**37.44**	**5,966.84**

i. देय व्यापार सामान्य रूप से 30 से 60 दिनों के भीतर तय किया जाता है

ii. संबंधित पक्षों को देय व्यापार नोट 38 क-VII में प्रकट किया गया है

नोट 16: अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को		01 अप्रैल 2021 को	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
प्रतिभूति जमा राशि	-	30.42	-	30.91	-	23.42
बयाना राशि	-	4.93	-	4.02	-	4.10
ऋण और अग्रिम	-	175.34	-	134.18	-	124.33
कर्मचारियों को देय	-	345.60	-	360.55	-	461.65
अंतर–कंपनी देय / प्राप्य	21,739.44	-	21,582.90	152.06	-	18,654.24
अन्य	-	91.87	-	85.64	-	103.85
कुल	**21,739.44**	**648.16**	**21,582.90**	**767.36**	**-**	**19,371.58**

नोट 17: चालू प्रावधान

(रूपये मिलियन में

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को
प्रावधान			
कर्मचारियों के लिए लाभ			
क) उपदान	543.19	624.42	779.73
ख) अवकाश नकदीकरण	407.54	437.63	463.28
ग) चिकित्सा	-	92.76	92.76
घ) अन्य लाभ	-	-	-
ड.) कर्मचारियों के अलावा	516.25	221.88	1,332.25
कुल	**1,466.99**	**1,376.70**	**2,668.03**

नोट 18: अन्य चालू देयताएं

(रूपये मिलियन में

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को
सांविधिक देयताएं	572.65	322.13	3,006.49
अन्य	-	-	-
कुल	**572.65**	**322.13**	**3,006.49**

नोट 19: पट्टा देयताएं

(रूपये मिलियन में

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1 अप्रैल को प्रारंभिक मान्यता पर पट्टा देनदारियां	67.24	-
परिवर्धन	-	-
अर्जित ब्याज	5.35	-
पट्टा मूलधन भुगतान	9.67	-
पट्टा ब्याज भुगतान	5.35	-
उलट	15.02	-
31 मार्च तक –		
चालू पट्टा देनदारियाँ	11.31	-
गैर–चालू पट्टा देनदारियाँ	46.27	-
कुल	**57.57**	**-**

नीचे दी गई तालिका दिनांक 31 मार्च 2023 तक पट्टा देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताओं के बारे में विवरण प्रदान करती है :

(रूपये मिलियन में

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को
एक वर्ष से कम	11.31	-	-
1–5 वर्ष	46.27	-	-
5 वर्ष से अधिक	-	-	-
31 मार्च, 2023 को	**57.57**	**-**	**-**

नोट

कंपनी को अपनी पट्टा देनदारियों के संबंध में महत्वपूर्ण तरलता जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि चालू परिसंपत्तियां पट्टा देनदारियों से संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, जब भी वे देय होती हैं।

नोट 20: प्रचालनों से राजस्व

(रूपये मिलियन में

क्र.सं	विवरण	2022-23	2021-22	2020-21
1	**सेवाओं की बिक्री**			
	तकनीकी हैंडलिंग सेवा राजस्व	5,555.29	4,107.13	1,705.79
	अन्य सेवा राजस्व	13,252.77	13,970.17	9,182.51
		18,808.06	**18,077.30**	**10,888.31**
2	**अन्य प्रचालनिक राजस्व**			
	इंजीनियरिंग प्रशिक्षण राजस्व	67.36	108.35	170.21
		67.36	**108.35**	**170.21**
3	**आकस्मिक राजस्व**	658.60	633.44	530.97
		658.60	**633.44**	**530.97**
	प्रचालनों से कुल राजस्व	**19,534.02**	**18,819.09**	**11,589.49**

नोट 21: अन्य आय

(रूपये मिलियन में

क्र.सं	विवरण	2022-23	2021-22	2020-21
1	ब्याज आय	343.99	215.13	218.95
2	सहायता अनुदान राजस्व (संदर्भ नोट – 31)	356.93	-	-
3	अन्य आय	63.67	31.00	211.96
	कुल	**764.59**	**246.13**	**430.90**

नोट 22: कर्मचारी लाभ व्यय

(रूपये मिलियन में

क्र.सं	विवरण	2022-23	2021-22	2020-21
1	वेतन, परिश्रमिक और बोनस	5,976.59	5,024.73	5,562.77
2	भविष्य और अन्य निधियों में योगदान	297.67	254.98	309.04
3	कर्मचारी कल्याण व्यय	161.40	256.70	421.63
4	उपदान का प्रावधान	261.20	255.80	470.94
5	अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	158.89	221.77	146.68
	कुल	**6,855.75**	**6,013.99**	**6,911.07**

नोट 23: वित्तीय लागत

(रूपये मिलियन में

क्र.सं	विवरण	2022-23	2021-22	2020-21
1	ब्याज व्यय	1,915.49	1,525.23	1,561.59
2	पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	5.35	-	-
	कुल	**1,920.84**	**1,525.23**	**1,561.59**

नोट 24: अन्य व्यय

(रूपये मिलियन में

क्र.सं	विवरण	2022-23	2021-22	2020-21
1	बीमा व्यय	167.31	71.51	54.65
2	सामग्री की खपत–विमान	631.87	2,105.81	972.22
3	हैंडलिंग प्रभार	208.70	349.67	162.24
4	संचार शुल्क	9.24	8.08	9.34
5	यात्रा खर्च	206.24	157.12	92.75
6	किराया	1,087.24	1,268.52	1,051.18
7	दरें और कर	160.09	61.62	125.23
8	मरम्मत एवं रखरखाव :			
	i) भवन	33.51	45.42	18.58
	ii) अन्य	699.32	552.98	261.19
9	परिवहन का किराया	150.25	108.89	128.80
10	डीजीसीए से शुल्क	1.20	1.28	3.17
11	बिजली और हीटिंग प्रभार	296.07	297.34	307.83
12	जल प्रभार	16.34	14.96	43.49
13	प्रचार और बिक्री संवर्धन	3.07	0.64	0.57
14	मुद्रण और स्टेशनरी	6.73	5.75	6.58
15	पेशेवर और कानूनी शुल्क	23.91	18.96	10.67
16	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक और व्यय			
	i) लेखापरीक्षा शुल्क	0.40	0.33	0.33
	ii) अन्य व्यय	0.03	0.03	0.03
17	अन्य लेखापरीक्षा व्यय	0.69	1.15	0.85
18	बैंक प्रभार	0.49	0.99	0.61
19	एसईएसएफ व्यय (संदर्भ नोट – 31)	356.93	-	-
20	संपत्ति/स्क्रैप की बिक्री पर हानि	8.23	0.06	0.02
21	संदिग्ध प्राप्य और अग्रिमों के लिए प्रावधान	142.72	139.16	98.46
22	इन्वेंटरी समाधान (व्यय) के लिए प्रावधान	500.00	-	-
23	सीएसआर व्यय	40.94	-	-
24	अन्य व्यय	67.28	96.69	452.62
	कुल	**4,818.79**	**5,306.96**	**3,801.43**

नोट 25: प्रति शेयर आमदनी

भारतीय लेखांकन मानक–33 के अनुसार आय प्रति शेयर (ईपीएस) गणना का प्रकटीकरण

विवरण	2022-23	2021-22	2020-21
लाभ और हानि खाते के अनुसार विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ	6,285	8,224	-400.24
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	166.67	166.67	166.67
मूल और विलयित ईपीएस	37.71	49.34	-2.40
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	10	10	10

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट

26. विनिवेश प्रक्रिया :

तत्कालीन एअर इंडिया (एआई) के विनिवेश पर नीति आयोग की सिफारिशों और उसके बाद, विनिवेश पर सचिवों के प्रमुख समूह (सीजीडी) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 28 जून, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में तत्कालीन एअर इंडिया समूह के नीतिगत विनिवेश पर विचार करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। सीसीईए ने नीतिगत विनिवेश की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए एअर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) का भी गठन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी 2019 में उस नाम और शैली के तहत, जिसे अब एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) के रूप में जाना जाता है, एसपीवी के गठन के लिए एक पूर्व–कार्यात्मक स्वीकृति दी गई थी, जो चार सहायक एआईएएसएल, एएएएल, एआईईएसएल, एचसीआई, गैर प्रमुख परिसंपत्तियां, पेंटिंग और कलाकृतियां और अन्य गैर–प्रचालनिक परिसंपत्तियों के साथ किसी भी संपत्ति द्वारा समर्थित संचित कार्यशील पूंजी ऋण के भंडारण के लिए नहीं है। उपरोक्त निर्णयों के आधार पर, तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) का विनिवेश किया गया है। आगे नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने अपने दिनांक 31.12.2021 के पत्र संख्या 17046/56/2019–एआई द्वारा एआईएसएएम के निर्णय जिसके अनुसार चार सहायक कम्पनियों (एआईएएसएल, एएएएल, एआईईएसएल और एचसीआई) जो कि तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड की थी को एआई एसेट्स होंडिग लिमिटेड को देने की सूचना दी है।

सहायक कंपनियों में निवेश के हस्तांतरण के लिए एआईएसएएम के निर्णय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 में, कंपनी (एआईईएसएल) के शेयरों को तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड से एआईएएचएल की बही मूल्य पर स्थानांतरित कर दिया गया था। तदनुसार, एआईईएसएल के शेयरों के हस्तांतरण के लिए तत्कालीन एआईएल और एआईएएचएल के बीच शेयर खरीद समझौता (एसपीए) दिनांक 10 जनवरी, 2022 को निष्पादित किया गया था। भारत सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए और एसपीए के अनुसार, कंपनी की 100 प्रतिशत शेयरधारिता तत्कालीन एआईएल से एआईएएचएल में स्थानांतरित कर दिया गया है और कंपनी के बोर्ड का भी पुनर्गठन किया गया है और कंपनी के शेयर दिनांक 12 जनवरी, 2022 से एआईएएचएल को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल), एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की नई मूल कंपनी/ होल्डिंग कंपनी बन गई है।

सरकार ने एआईएएचएल (एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, और एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड) की तीन सहायक कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की है। विनिवेश प्रक्रिया की निगरानी के लिए समितियों का गठन किया गया है और डीआईपीएएम ने विनिवेश के लिए निवेशक बैठकों की कवायद शुरू कर दी है। पीआईएम (प्रारंभिक सूचना ज्ञापन) उचित समय पर जारी किया जाएगा और इच्छुक बोलीदाता डीआईपीएएम को अपनी रुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) जमा करेंगे और योग्य बोलीदाता उचित परिश्रम के बाद वित्तीय बोलियां जमा करेंगे। विनिवेश की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद रणनीतिक भागीदार का चयन किया जाएगा।

27. आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्तियां और पूंजीगत प्रतिबद्धताः

क. आकस्मिक देयताएं (जिस सीमा के लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

कंपनी के विरूद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (कुछ मामलों में ब्याज और दंड को छोड़कर) और आवश्यक जानकारी, इंड एएस 37 के अनुपालन में, निम्नानुसार हैंः

(रूपये मिलियन में)

क.सं	विवरण	31 मार्च 2023 को शेष	31 मार्च 2022 को शेष	01 अप्रैल 2021 को शेष
(i)	कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर मांग नोटिस जो अपील (*) के अंतर्गत हैं।	643.65	642.20	641.71
(ii)	स्टाफ**/सिविल/न्यायालयों में लंबित मध्यस्थता मामलों के कारण अन्य दावे	राशि निर्धारण योग्य नहीं है	राशि निर्धारण योग्य नहीं है	राशि निर्धारण योग्य नहीं है
	कुल	643.66	642.20	641.71

आकस्मिक देयताओं के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

*** कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर (टीडीएस) मांग नोटिस, जो अपील के अधीन हैं:**

(रूपये मिलियन में)

वित्तीय वर्ष	धारा 210(1) के अंतर्गत चूक की कुल राशि	धारा 210(1क) के अंतर्गत ब्याज की कुल राशि	कुल मांग	अपील की स्थिति
2014-15	16.48	11.93	28.41	निर्धारण आदेश के विरुद्ध सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई।
2015-16	27.75	16.85	44.60	निर्धारण आदेश के विरुद्ध सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई। दिनांक 13.07.2022 के नोटिस के तहत सुनवाई की तिथि 28.07.2022 थी और स्थगन की मांग की गई थी।
2016-17	42.09	20.20	62.29	दिनांक 28.08.2020 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई थी।
2017-18	135.72	48.86	184.58	दिनांक 28.08.2020 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई थी।
2018-19	261.11	62.67	323.78	दिनांक 28.08.2020 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई थी।
कुल	**483.15**	**160.51**	**643.66**	

* दिनांक 31 मार्च, 2023 तक उपरोक्त मांग पर धारा 220(2) के तहत ब्याज 237.49 मिलियन रूपए होगा। (पिछले वर्ष रु. 160.43 मिलियन)

** कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी को एक पक्षकार बनाते हुए कर्मचारियों के मामलों से संबंधित विभिन्न अदालतों में मामले दायर किए हैं। प्रबंधन की राय में, देनदारियों की राशि, कंपनी के लिए देय नहीं होगी।

ख. पूंजी प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत खातें पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि के संबंध में पूंजीगत प्रतिबद्धताएं शून्य है। (पिछले वर्ष शून्य)

ग. कंपनी द्वारा दी गई निष्पादन गारंटी

कंपनी ने बीआईएएल के साथ संपर्क के तहत दायित्व के उचित निष्पादन के लिए बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) को 1.00 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष 1.00 मिलियन रूपए) की निष्पादन गारंटी (बीजी) प्रदान की है।

28. इंड एएस 8 ''लेखांकन नीतियों के अनुसार पूर्व अवधि की त्रुटियों का सुधार और लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों''

वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने पाया है कि वित्तीय विवरणों की निम्नलिखित पंक्ति मदों को पिछले वर्ष में गलत लेखांकन/प्रकटीकरण किया गया था। इन त्रुटियों को अब पूर्व वर्ष 2020–21 के लिए प्रभावित वित्तीय विवरणों को पुनः प्रस्तुत करके ठीक किया गया है।

(रूपये मिलियन में)

	31 मार्च 2022 को		
विवरण	31 मार्च 2022 को (पूर्व में रिपोर्टिड अनुसार)	त्रुटियों की शुद्धि के कारण वृद्धि/(कमी)	31 मार्च 2022 को (पुनर्निर्धारित)
तुलन पत्र (सार)			
संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण	5887.08	36.00	5,923.0
कुल गैर – चालू परिसंपत्तियां	**10,224.70**	**36.00**	10,260.70
दरसूची	684.54	-78.32	606.22
चालू कर संपत्ति	1085.04	-38.31	1,046.73
अन्य चालू परिसंपत्तियां	160.67	-1.80	158.87
कुल चालू परिसंपत्तियां	**10,043.51**	**-118.43**	**9,925.08**
कुल परिसंपत्ति	**20,268.21**	**-82.44**	**20,185.77**
अन्य इक्विटी	-15,481.79	-380.21	-15,862.00
कुल इक्विटी	**-13,815.12**	**-380.21**	**-14,195.33**
व्यापार देयताएं	4,080.55	-163.54	3,917.00
अन्य वित्तीय देयताएं	613.51	153.85	767.36
वर्तमान प्रावधान	1,369.11	7.59	1,376.70
अन्य चालू देयताएं	22.26	299.87	322.13
कुल चालू देयताएं	**6,085.42**	**297.78**	**6,383.20**
कुल शेयर और देयताएं	**20,268.21**	**-82.44**	**20,185.77**
लाभ और हानि विवरण (सार)			
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	606.42	7.02	613.45
कर्मचारी कल्याण व्यय	256.41	0.29	256.70
अन्य व्यय	5,167.03	139.92	5,306.96
कुल व्यय	**13,312.39**	**147.24**	**13,459.63**
अवधि के लिए कर पश्चात लाभ/(हानि)	**8,371.17**	**-147.24**	**8,223.94**
वर्ष के लिए कुल वृहत आय	**8439.79**	**-147.24**	**8,292.56**
रोकड़ प्रवाह विवरण (सार)			
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व संचालन (हानि)/लाभ	8,047.84	-140.21	7,907.63

पूर्व वर्ष के लिए प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय को भी पुनर्कथित किया गया है। प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय, दोनों के लिए सुधार की गई राशि में 0.89 रूपए प्रति शेयर की कमी आई थी।

	01 अप्रैल 2021 को		
विवरण	31 मार्च 2021 को (पूर्व में रिपोर्टिड अनुसार)	त्रुटियों की शुद्धि के कारण वृद्धि/(कमी)	01 अप्रैल 2021 को (पुनर्निर्धारित)
तुलन पत्र (सार)			
संपत्ति संयंत्र उपकरण	487.96	43.02	530.98
कुल गैर – चालू परिसंपत्तियां	**597.55**	**43.02**	**640.57**

	01 अप्रैल 2021 को		
विवरण	31 मार्च 2021 को (पूर्व में रिपोर्टिड अनुसार)	त्रुटियों की शुद्धि के कारण वृद्धि/(कमी)	01 अप्रैल 2021 को (पुनर्निर्धारित)
दरसूची	828.24	-78.32	749.92
चालू कर परिसंपत्ति	780.72	-29.07	751.65
कुल चालू परिसंपत्तियां	**14,639.30**	**-107.39**	**14,530.11**
कुल परिसंपत्ति	**15,236.85**	**-66.17**	**15,170.68**
अन्य इक्विटी	-23,921.58	-232.97	-24,154.55
कुल इक्विटी	**-22,254.92**	**-232.97**	**-22,487.89**
व्यापार देयताएं	6,094.44	-163.83	5,930.61
अन्य वित्तीय देयताएं	19,340.82	30.76	19,371.58
अन्य चालू देयताएं	2,706.62	299.87	3,006.49
कुल चालू देयताएं	**30,846.14**	**166.81**	**31,012.95**
कुल शेयर और देयताएं	**15,236.85**	**-66.17**	**15,170.68**
लाभ और हानि विवरण (सार)			
संचालन से राजस्व	11,600.19	-10.70	11,589.49
अन्य आय	255.24	175.66	430.90
कुल राजस्व	**11,855.43**	**164.97**	**12,020.40**
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	115.20	31.35	146.55
अन्य व्यय	3,434.84	366.59	3,801.43
कुल व्यय	**12,022.69**	**397.94**	**12,420.63**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**47.94**	**-232.97**	**-185.03**
रोकड प्रवाह विवरण (सार)			
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व संचालन (हानि)/लाभ	1,840.73	-29.34	1,811.39
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (प्रयुक्त)	1,601.02	-35.15	1,565.86
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया जाने वाला शुद्ध नकदी प्रवाह	-116.87	35.15	-81.72

पूर्व वर्ष के लिए प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय को भी पुनर्कथित किया गया है। प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय, दोनों के लिए सुधार की गई राशि में 1.40 रूपए प्रति शेयर की कमी आई थी।

29. पुष्टि/सुलह

(i) कंपनी ने सभी प्रमुख व्यापार प्राप्य और व्यापार देय के लिए शेष राशि की पुष्टि की मांग की है। हालांकि, केवल कुछ पक्षों ने प्रतिक्रिया दी है और वे कंपनी की बहियों के साथ सहमत हैं। जहां भी पुष्टि की गई शेष राशि बहियों के अनुरूप नहीं है, उस मामले में अंतर का समाधान प्रक्रियाधीन है।

व्यापार प्राप्तियों के मामले में, कंपनी के पास एयर इंडिया, एआईएक्सएल, एएएएल और कुछ अन्य ग्राहकों से प्राप्तियों की शेष राशि की पुष्टि है, जिसमें कंपनी की प्राप्तियों का 87.89 प्रतिशत (पिछले वर्ष 75.57 प्रतिशत) शामिल है और समाधान पूरा हो चुका है और शेष की पुष्टि हो चुकी है। व्यापार देय के मामले में कुछ पार्टियों ने प्रतिक्रिया दी है और जहां भी उस पक्ष की शेष राशि बहीखातों के अनुरूप नहीं है, मतभेदों का समाधान प्रगति

पर है। समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजनों का प्रभाव, यदि कोई हो, तो समाधान के पूरा होने और उचित प्राधिकारी से अनुमोदन के वर्ष में निपटाया जाएगा।

(ii) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और अन्य वैधानिक बकाया का कंपनी द्वारा दाखिल रिटर्न और बनाए गए वैधानिक रिकॉर्ड के साथ मिलान किया जाता है।

(iii) कंपनी ने कुछ बेमेल प्राप्य/कर्मचारियों से वसूली योग्य और कुछ नियंत्रण बही सहित देय के मिलान का प्रमुख समायोजन/समाधान किया है। इसके अलावा, शेष राशि के लिए कर्मचारियों से बेमेल प्राप्य/वसूली योग्य और कुछ नियंत्रण खाता सहित देय प्रक्रिया में हैं और समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजन का प्रभाव, यदि कोई हो, तो समाधान के पूरा होने के वर्ष में निपटाया जाएगा और उचित प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। .

नकद और बैंक शेष

I. वर्ष के अंत में उपलब्ध नकदी के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई है और नकदी शेष का प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है।

II. कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2023 तक बैंक से शेष राशि की पुष्टि के लिए अनुरोध किया है। कंपनी ने सभी बैंक खातों/सावधि जमा राशियों के संबंध में पुष्टि/बैंक विवरण प्राप्त किया है। वे दिनांक 31 मार्च, 2023 तक कंपनी की लेखा बहियों के साथ मिलान कर रहे हैं।

30. भौतिक सत्यापन एवं समाधान

क. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

कंपनी ने दिल्ली, मुंबई और नागपुर स्थानों पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन और अचल संपत्ति रजिस्टर में प्रस्तुत शेष राशि के साथ मिलान पूरा कर लिया है। तदनुसार, कंपनी ने कुल मात्राओं के 73 प्रतिशत का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया है और मूल्य के अनुसार, इसमें कंपनी के कुल निवल बही मूल्य पीपीई का 94 प्रतिशत निवल बही मूल्य शामिल है। इसका विवरण इस प्रकार हैः–

i. कंपनी की नीति के अनुसार, कंपनी की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन रोटेशनल आधार पर किया जाएगा ताकि हर दो वर्ष में प्रत्येक संपत्ति का सत्यापन किया जा सके। तदनुसार, कंपनी ने नागपुर और मुंबई स्थानों के लिए अचल संपत्ति रजिस्टर में दिखाई गई मात्रा के साथ भौतिक सत्यापन, बार कोड टैगिंग और मिलान के लिए स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त की है। एजेंसी द्वारा दोनों स्थानों के लिए दिनांक 26 जून, 2023 को भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। सत्यापन के दौरान अनेक अतिरिक्त संपत्तियां पाई गईं जो भौतिक रूप से उपलब्ध हैं लेकिन अचल संपत्ति रजिस्टर में नहीं हैं और कुछ वस्तुएं सत्यापन के दौरान अज्ञात/नहीं पाई गईं।

ii. 8.07 मिलियन रूपए की अज्ञात वस्तुएं का सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उचित समायोजन किया गया है।

iii. इसके अलावा, कंपनी ने 72.6 मिलियन रूपए की राशि की 108 वस्तुओं की पहचान की है जो कंपनी की बहियों की दरसूची में दिखाई गई हैं, जिन्हें अब दरसूची से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में स्थानांतरित कर दिया गया है।

iv. इसके अलावा, शेष अधिशेष संपत्तियों को कंपनी की बहियों में दर्शाई गई दरसूची, स्टोर और स्पेयर की वस्तुओं के साथ सामंजस्य के बाद पूंजीकृत किया जाएगा क्योंकि यह संभव हो सकता है कि अधिशेष संपत्ति कंपनी की इन्वेंट्री, स्टोर और स्पेयर में शामिल हो सकती है।

v. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्यालय और उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली स्थान) की संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया था और दिनांक 17 अगस्त, 2022 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और रिपोर्ट के अनुसार, 0.83 मिलियन रूपए के डब्ल्यूडीवी वाली 41 मदों की पहचान नहीं की गई है। कंपनी के अधिकारियों द्वारा कमी/अज्ञात संपत्तियों की और खोज की गई और उत्तरी क्षेत्र में 7 संपत्तियां पाई गईं/पहचान ली गईं और 0.16 मिलियन रूपए मूल्य की शेष 34 अज्ञात संपत्तियों को कंपनी द्वारा समायोजित किया गया है।

ख. इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन

भंडार और पुर्जों की प्रकृति में सामग्रियों की सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। दरसूची का मुख्य मूल्य तत्कालीन होल्डिंग कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा एआईईएसएल में किसी भी भौतिक सत्यापन के बिना हस्तांतरित किया गया था। वर्ष के दौरान इसकी समीक्षा करते समय, यह पाया गया कि बड़ी संख्या में वस्तुएं संपत्ति (मुख्य रूप से उपकरण) की प्रकृति की हैं जिन्हें सूची में शामिल किया गया है। रैमको (इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर) और एसएपी (जनरल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर) के बीच सामंजस्य नहीं बनाया गया है। इसलिए, एक अंतरिम उपाय के रूप में, सत्यापन, विश्लेषण और समाधान के लिए पूरी कार्रवाई लंबित होने पर, पूंजीकृत संपत्तियों, अप्रचलन, कमी के साथ–साथ इसी तरह के अन्य लेख आदि के भी मूल्यह्रास के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दरसूची के मूल्य में संभावित कमी के लिए 500.00 मिलियन रुपये का प्रावधान किया गया है।

31. सरकारी अनुदान

भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) के निर्णय के अनुसार, एसईएसएफ व्यय के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु एक योजना को मंजूरी दी गई है। उक्त योजना के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त अनुदान और उसके उपयोग का सारांश निम्नानुसार हैः –

क.सं	विवरण	वि.व 2022–23	वि.व 2021–22
1.	अव्ययित अनुदान सहायता का प्रकटन	338.90*	-
2.	नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार से कंपनी को प्राप्त कुल बजटीय सहायता/अनुदान	393.10	338.90
3.	एसईएसएफ व्यय के लिए प्रयुक्त अनुदान	356.93	
	कुल अव्यय अनुदान सहायता	**375.07**	**338.90***

***242.01 रुपये का एलसी दिनांक 10.03.2022 को खोला गया था। हालाँकि, विक्रेता को भुगतान अप्रैल 2022 में जारी किया गया था।**

32. आंतरिक नियंत्रण

कंपनी में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की निरंतर प्रक्रिया में है, ताकि परिकल्पित सभी क्षेत्रों के कवरेज को सुनिश्चित किया जा सके और स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों, उपयोगकर्ता विभागों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी ने आवश्यक प्रणाली में सुधार, यदि कोई हो, के लिए सुझाव देने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए स्वतंत्र फर्म को नियुक्त किया है।

33. खंड रिपोर्टिंग

इंड एएस–108, प्रचालनिक सेगमेंट द्वारा परिभाषित अनुसार, कंपनी के सीईओ को मुख्य प्रचालनिक निर्णय निर्धारक (सीओडीएम) के रूप में चिन्हित किया गया है। सीओडीएम कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है और विभिन्न निष्पादन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है, हालांकि कंपनी एमआरओ (विमान, इंजन और घटकों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) सेवाओं में लगी हुई है, जो इसका प्राथमिक और केवल

रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय खंड है और भारत में ही सम्पूर्ण प्रचालन हैं। इसलिए, कंपनी के पास भारतीय लेखांकन मानक 108 ''ऑपरेटिंग सेगमेंट'' के अनुसार कोई रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट नहीं है।

क. 10 प्रतिशत से अधिक के राजस्व वाले ग्राहकों का प्रकटन :

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	01 अप्रैल 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
एअर इंडिया लिमिटेड	14,070.49	12,101.08	6,251.77
आईएएफ – एसईएसएफ	2,878.71	4,455.45	2,815.84

34. कर्मचारी लाभ योजनाएँ

क. परिभाषित योगदान योजना

कर्मचारी भविष्य निधिः कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत ईपीएफओ में अंशदान करती है, जो संविदागत कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि योजनाओं को नियंत्रित करती है। कंपनी और कर्मचारी भविष्य निधि में लागू दरों पर योगदान करते हैं, जिसमें से कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान किया जाता है। लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कंपनी का योगदान 297.67 मिलियन रूपए है (पिछले वर्षः 254.98 मिलियन रूपए)

ख. परिभाषित लाभ योजनाएँ

i. उपदान : उपदान का भुगतान, उपदान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर देय होता है। भारत में कंपनी की परिभाषित लाभ उपदान योजना (अनिधित) है। कंपनी की ओर से उपदान का भुगतान तब किया जाता है जब यह देय होता है और उपदान के लिए कंपनी की योजना के अनुसार भुगतान किया जाता है।

उपदान के इंड एएस के अनुसार प्रकटन विवरण: - (रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
लाभ का प्रकार	उपदान	उपदान
राष्ट्र	भारत	भारत
रिपोर्टिंग मुद्रा	भारतीय रूपया	भारतीय रूपया
रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19)	भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19)
वित्तीयन स्थिति	अनिधिकी	अनिधिकी
आरंभिक अवधि	01.04.22	01.04.21
रिपोर्टिंग तिथि	31.03.23	31.03.22
रिपोर्टिंग अवधि	12 महीने	12 महीने
संदर्भ आईडी	788472	678458
अनुमान (पूर्व अवधि)		
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
रियायत की दर	7.23%	6.85 %
वेतन वृद्धि की दर	5.50%	5.50%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–14) शहरी	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) अंतिम
अनुमान (वर्तमान अवधि)		
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
रियायत की दर	7.50%	7.23%

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वेतन वृद्धि की दर	5.50%	5.50%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–14) शहरी	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–14) शहरी
	31 मार्च 2023 को	**31 मार्च 2022 को**
परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को दर्शाती तालिका		
अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**2,716.91**	**3,076.35**
ब्याज लागत	192.95	199.46
चालू सेवा लागत	68.25	80.95
पूर्व सेवा लागत	-	-
दायित्व अंतरण/ अधिग्रहण	-	-
(देयता अंतरण / विनिवेश)	-	-
कटौती पर (लाभ)/ हानि	-	-
(देयताएं निपटान पर समाप्त)	-	-
(लाभ का भुगतान सीधे नियोक्ता द्वारा किया जाता है)	-532.55	-571.23
(निधि से भुगतान किया गया लाभ)	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि में परिवर्तन के कारण	-	-1.03
जनसांख्यिकी अनुमान	-25.57	-39.90
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि में परिवर्तन के कारण	15.14	-27.69
अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**2,435.14**	**2,716.91**
योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाता विवरण		
अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-
ब्याज आय	-	-
नियोक्ता द्वारा योगदान	-	-
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान	-	-
परिसंपत्ति का अंदर अंतरण/अधिग्रहण	-	-
(परिसंपत्तियों का बाहर अंतरण /विनिवेश)	-	-
(निधि से भुगतान किया गया लाभ)	-	-
(निपटान पर परिसंपत्तियों का संवितरण)	-	-
परिसंपत्ति परिसीमन के प्रभाव	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
ब्याज आय को छोड़कर, योजनागत संपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
अवधि के अंत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
तुलन पत्र में स्वीकृत राशि		
(अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य)	-2,435.14	-2,716.91
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-
वित्तपोषित स्थिति (अधिशेष / (घाटा))	-2,435.14	-2,716.91
निवल (देयता) / तुलनपत्र में स्वीकृत परिसंपत्ति	**-2,435.14**	**-2,716.91**
वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत		
अवधि के आरंभ में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,716.91	3,076.35
(अवधि के आरंभ में योजना संपत्ति का उचित मूल्य)	-	-
आरंभ में शुद्ध देयता / (संपत्ति)	2,716.91	3,076.35
ब्याज लागत	192.95	199.46
(ब्याज आय)	-	-
वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	**192.95**	**199.46**
वर्तमान अवधि के लिए लाभ या हानि विवरण में स्वीकृत व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	68.25	80.95
शुद्ध ब्याज लागत	192.95	199.46
विगत सेवा लागत	-	-
(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	-	-
कटौती और निपटान पर (लाभ) / हानि	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
स्वीकृत व्यय	**261.20**	**280.41**
वर्तमान अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्यय		
अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	-10.42	-68.62
ब्याज आय को छोड़कर, योजनागत संपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
परिसंपत्ति परिसीमन में परिवर्तन	-	-
ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध (आय) / व्यय	-10.42	-68.62

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
तुलनपत्र समायोजन		
आरंभिक निवल देयता	**2,716.91**	**3,076.35**
लाभ या हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय	261.20	280.42
ओसीआई में स्वीकृत व्यय	-10.42	-68.62
अंदर अंतरित की गई निवल देयता / (परिसंपत्ति)	-	-
बाहर अंतरित की गई निवल देयता / (परिसंपत्ति)	-	-
(नियोक्ता को लाभ का प्रत्यक्ष भुगतान)	-532.55	-571.23
(नियोक्ता का अंशदान)	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	**2,435.14**	**2,716.91**
संपत्ति की श्रेणी		
भारत सरकार की संपत्ति	-	-

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
विशेष जमा योजना	-	-
ऋण उपकरणों	-	-
व्यापारिक बाध्यता	-	-
नकद और नकदी के समतुल्य	-	-
बीमा निधि	-	-
संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	-	-
संरचित ऋण	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
अन्य विवरण		
सेवारत सदस्यों की संख्या	4,503	4,860.00
सेवारत सदस्यों के लिए प्रति माह वेतन	220.34	234.31
परिभाषित लाभ बाध्यता की भारित औसत अवधि	5.00	5.00
औसत अपेक्षित भविष्य सेवा	12.00	12.00
परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) – कुल	2,435.14	2,716.91
परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) – देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	21.35	48.17
अगले वर्ष में अपेक्षित योगदान	-	-
लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण		
रिपोर्टिंग की तिथि से भावी वर्षों के लिए देय अनुमानित लाभ		
1 आगामी वर्ष	543.19	624.42
2 आगामी वर्ष	256.14	288.31
3 आगामी वर्ष	441.64	406.48
4 आगामी वर्ष	381.54	422.00
5 आगामी वर्ष	272.30	364.34
वर्ष 6 से 10 का योग	679.81	808.37
वर्ष 11 और उपर के वर्षों का योग	933.88	917.00
संवेदनशीलता का विश्लेषण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**
वर्तमान मान्यताओं पर विश्लेषण लाभ दायित्व	**2,435.14**	**2,716.91**
छूट की दर में +1 प्रतिशत परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-89.24	-98.52
छूट की दर में –1 प्रतिशत परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	98.11	108.17
वेतन वृद्धि की दर में +1 प्रतिशत परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	61.43	70.28
वेतन वृद्धि की दर में –1 प्रतिशत परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-63.76	-72.73
कर्मचारी टर्नओवर की दर में +1 प्रतिशत परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	15.08	14.01
कर्मचारी टर्नओवर की दर में – 1 प्रतिशत परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-16.23	-15.03

संवेदी विश्लेषण का निर्धारण सभी अन्य अनुमानों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रस्तुत संबंधित अनुमानों में युक्तिसंभव संभावित परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है।

उपर प्रस्तुत संवेदी विश्लेषण अनुमानित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तनों को शायद प्रस्तुत न कर पाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि अनुमानों में परिवर्तन अन्यों से अलग होकर प्रस्तुत हों, क्योंकि कुछ अनुमानों का परस्पर सहसंबंध हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण को प्रस्तुत करने में, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रत्याशित इकाई ऋण विधि का प्रयोग करते हुए अनुमानित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का परिकलन किया गया है, जो कि वही समान विधि है, जैसा कि तुलन पत्र में स्वीकृत अनुसार अनुमानित लाभ दायित्वों के परिकलन में प्रयुक्त की जाती है।

पूर्व वर्षों से संवेदी विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

नोटः

उपदान का भुगतान इकाई की योजना के अनुसार रिर्पोट के विवरण के आधार पर होता है।

वास्तविक लाभ/हानियों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) के अंतर्गत इसकी आवृति की अवधि में स्वीकार किया गया है।

ओसीआई की उपर्युक्त सभी रिपोर्टें कर निर्धारण में सकल का भाग हैं।

लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण, उपर्युक्त सदस्यों के लिए संबंधित वर्ष में भावी वेतन, क्षय तथा मृत्यु के आधार पर गैर–रियायती रोकड़ प्रवाह है। ओसीआई की उपर्युक्त सभी रिपोर्टिंक आंकड़े कर निर्धारण में सकल का भाग हैं।

औसत संभावित भावी सेवा, पद की संभावित अवधि को दर्शाता है – रोजगार लाभ दायित्व।

परिभाषित लाभ बाध्यता की भारित औसत अवधि नकदी प्रवाह समय का भारित औसत है, जहां भार प्रत्येक नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से लेकर कुल वर्तमान मूल्य तक प्राप्त किया जाता है।

किसी भी लाभ भुगतान और योजना संपत्तियों में योगदान को वर्ष के अंत में प्रकटीकरण में देयता और निधि संचलन को दर्शाने के लिए स्वीकार किया जाता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

पैरा 139 (क) परिभाषित लाभ योजना की विशेषताएं

इकाई के पास भारत में परिभाषित लाभ उपदान योजना है (अनिधित)। इकाई की परिभाषित लाभ उपदान योजना, कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन योजना है।

उपदान का भुगतान, इसके देय होने पर इकाई द्वारा किया जाता है और उपदान के लिए इकाई योजना के अनुसार भुगतान किया जाता है।

पैरा 139 (ख) परिभाषित लाभ योजना से जुड़े जोखिम

उपदान, एक परिभाषित लाभ योजना है और इकाई को निम्नलिखित जोखिमों का सामना करना पड़ता हैः

ब्याज दर जोखिमः छूट दर में गिरावट जो जी-अनुच्छेद से जुड़ी है। यह दर, देयता के वर्तमान मूल्य में वृद्धि करेगी, जिसके लिए अधिक प्रावधान किए जाने की की आवश्यकता होगी।

वेतन जोखिमः परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना सदस्यों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में की जाती है। इस प्रकार, सदस्यों के वेतन में अनुमानित स्तर से अधिक वृद्धि से योजना का दायित्व बढ़ जाएगा।

परिसंपत्ति देयता मैचिंग जोखिम : मैचिंग रोकड़ प्रवाह के मामले में, योजना को एएलएम जोखिम हो सकता है।। निकाय को भुगतान के आधार पर पे–आउट का प्रबंधन अपनी निधि से करना होगा।

मृत्यु दर जोखिमः चूंकि योजना के तहत लाभ जीवन भर के लिए देय नहीं है और केवल सेवानिवृत्ति की आयु तक देय है, इसलिए योजना में कोई दीर्घायु जोखिम नहीं है।

पैरा 139 (ग) परिभाषित लाभ योजनाएं :

वर्ष के दौरान योजना में कोई संशोधन, कटौती अथवा निपटान नहीं हुआ।

पैरा 147(क)

उपदान योजना अनिधित है :

ii. **सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभः** कंपनी में सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना विद्यमान है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को चिकित्सा लाभ प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार ने दिनांक 16 फरवरी, 2022 के पत्र द्वारा विनिवेश के बाद एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) के पात्र स्थायी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ सुविधा को मंजूरी दी है। इस योजना के आरंभ होने के पश्चात, इस योजना के तहत सभी व्यय, होल्डिंग कंपनी एआईएएचएल को बजटीय प्रावधानों के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा वहन किये जाएंगे। इसके अलावा, उपर्युक्त चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए भारत सरकार के दिनांक 15 मार्च, 2023 के कार्यालय ज्ञापन में एआईईएसएल द्वारा इस तरह के किसी

भी निरसन की परिकल्पना नहीं की गई है। इसलिए, कंपनी ने 2334.20 मिलियन रूपए की संचित देनदारी को पश्चिलिखित किया है, जिसका लेखांकन बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया था।

ग. अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

i. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

कंपनी के पास रोजगार के दौरान या मृत्यु, सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के कारण कंपनी से अलग होने पर कर्मचारियों द्वारा संचय और नकदीकरण के प्रावधानों के साथ क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति पर एक नीति विद्यमान है। अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति की अपेक्षित लागत निर्धारित की जाती है।

ii. बोनस

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार, सभी कर्मचारियों को बोनस देय है और इसका प्रावधान चालू वित्तीय वर्ष में किया गया है।

35. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ('संहिता') रोजगार के दौरान कर्मचारी लाभ और रोजगार के बाद के लाभों से संबंधित है, जिसे सितंबर 2020 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इस सहिंता को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालाँकि, संहिता के प्रभावी होने की तिथि की सूचना नहीं दी गई है। संहिता के प्रभाव में आने पर कंपनी उसके प्रभाव का आकलन करेगी और संहिता के प्रभावी होने की अवधि में किसी भी संबंधित प्रभाव को रिकॉर्ड करेगी।

36. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम

सेप सिस्टम में वेंडर मास्टर में एक फील्ड, माइनॉरिटी इंडिकेटर होता है, जिसे वेंडर की पहचान एमएसएमई के रूप में करने के लिए अपडेट किया जाता है। एमएसएमई विक्रेताओं के अधिक विवरण, जैसे प्रमाण पत्र संख्या, उद्यमी का नाम, संगठन का प्रकार, प्रारंभ करने की तिथि, बैंक विवरण आदि को प्राप्त करने के लिए प्रणाली का संवर्धन किया गया है। तदनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि, उस सीमा तक निर्धारित की गई है, जिस सीमा तक ऐसी पक्षों की पहचान कंपनी द्वारा एकत्र की गई जानकारी जाने के आधार पर की गई है और लेखापरीक्षक द्वारा उस पर विश्वास किया गया है। हालांकि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (चिन्हित सीमा तक) के तहत शामिल किए गए ऐसे उपक्रमों को आपूर्तिकर्ता के साथ सहमत निर्धारित समय सीमा/तारीख के भीतर भुगतान किया गया है। अन्य मामलों में, आवश्यक अनुपालन/प्रकटीकरण यथासमय सुनिश्चित किया जाएगा।

(रूपए मिलियन में)

क.सं.	विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	01 अप्रैल 2021
क.	देयमूल राशि और शेष अप्रदत्त	31.30	35.84	36.23
ख.	उपर्युक्त पर देय ब्याज	0.25	0.02	0.04
ग.	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया भुगतान	-	-	-
घ.	ब्याज का भुगतान किया	-	-	-
ड.	देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज	-	-	-
च	अर्जित ब्याज और अप्रदत्त शेष	0.25	0.02	0.04
छ	आगामी वर्षों में बकाया और देय शेष ब्याज की राशि	-	-	-

37. आय कर

भारतीय आयकर 1961 की धारा 115बीएए के प्रावधानों के संदर्भ में, जो किसी घरेलू कंपनी के लिए 22 प्रतिशत की कम दर और लागू अधिभार (लगभग 30 प्रतिशत की उच्च दर की बजाय) और 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्ष से संबंधित पिछला वर्ष हेतु, किसी के लिए लागू अधिभार और उपकर का विकल्प प्रदान करता है, निर्दिष्ट धाराओं के तहत किसी भी कटौती या छूट की अनुमति के अधीन नहीं है, पिछले वर्ष के घाटे को आगे बढ़ाने या समायोजित करने, या समामेलन में घाटे या अनवशोषित मूल्यह्रास को समायोजित करने के लिए उपलब्ध नहीं है। कंपनी, और ऐसा विकल्प एक बार प्रयोग किया गया तो हमेशा के लिए जारी रहेगा। कंपनी पर कर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 31 मार्च 2023 तक लेखा बहियों में धारा 115बीएए के तहत कम दर पर आधारित प्रावधान किया गया है : –

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेत	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	01 अप्रैल 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्तमान कर			
वर्तमान कर	338.97	584.52	-
पिछले वर्षों के कर का अल्प/(अतिरेक) प्रावधान*	168.31	-	-
कुल	**507.28**	**584.52**	**-**
आस्थगित कर			
न्यूनतम वैकल्पिक कर ऋण पात्रता	-	(583.16)	-
आस्थगित कर आय (एमएटी को छोड़कर)	-	(2,619.71)	-
आस्थगित कर व्यय	1,652.73	-	-
कुल	**1,652.73**	**(3,202.87)**	**-**

* यह चालू वर्ष में पहचान किए गए पिछले वर्षों के आयकर (शुद्ध) के कम/(अधिक) प्रावधान को दर्शाता है।

विनिर्दिष्ट वर्ष के लिए स्वीकृत आयकर व्यय के लिए वैधानिक आयकर दर पर कर से पहले लेखांकन लाभ पर लागू आयकर व्यय का समाधान इस प्रकार हैः

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	01 अप्रैल 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
कर पूर्व लाभ / (हानि)	**6,110.50**	**5,752.82**	**(212.31)**
कंपनी के लिए लागू अधिनियमित कर दर (एमएटी)।	-	17.472%	-
अधिनियमित कर दर (एमएटी) पर अपेक्षित आयकर व्यय	-	**584.52**	**-**
निम्न का कर प्रभावः			
कर योग्य लाभ का निर्धारण करने में व्यय जिसे काटा नहीं गया	-	6.16	-
अग्रणीत हानि या अनवशोषित मूल्यह्रास, जो भी कम हो या दोनों,जो भी लागू हो	-	(440.12)	-
कर्मचारी लाभ दायित्वों के पुनर्मापन का प्रभाव	-	11.99	-
अग्रिम कर के भुगतान में विलंब		1.36	
लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत आयकर	-	584.52	**-**

* वर्ष के दौरान कंपनी ने धारा 115बीएए के तहत कम कर दर को अपनाया है।

38. आस्थगित कर संपत्ति/(देयताएं)

आस्थगित कर परिसंपत्तियां (डीटीए) भावी अवधियों में अप्रयुक्त कर हानियों को अग्रेषित करने, अप्रयुक्त कर ऋणों को अग्रेषित करने और कटौती योग्य अस्थायी अंतरों (जो कि अस्थायी अंतर हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी राशियां होंगी, के संबंध में वसूली योग्य आयकर की राशि हैं भविष्य की अवधि के कर योग्य लाभ (कर हानि) का निर्धारण करने में कटौती योग्य जब संपत्ति या देयता की वहन राशि वसूल या व्यवस्थित हो जाती है)। आस्थगित कर देनदारियां (डीटीएल) कर योग्य अस्थायी अंतरों के संबंध में भविष्य की अवधि में देय आयकर की राशि हैं।

कंपनी के पास इस बात के निश्चित तथ्य हैं कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध अप्रयुक्त कर हानियों, कटौती योग्य समय के अंतर या अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग निकट भविष्य में इकाई द्वारा किया जा सकता है। इसलिए इस वर्ष इंड एएस 12 ''आयकर'' आस्थगित कर संपत्ति / देनदारियों के अनुरूप बनाया गया है।

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को
(डीटीएल) के कारण आस्थगित कर देयताएं			
मूल्यह्रास	73.06	26.46	-
कुल आस्थगित कर देयता	**73.06**	**26.46**	**-**
(डीटीए) के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति			
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	8.57	-
अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	150.33	195.66	
दरसूची समायोजन हेतु प्रावधान	125.84	-	
पट्टा देयता	14.49	-	
अवशोषित मूल्यह्रास और हानि	-	826.31	-
एमएटी ऋण पात्रता	-	583.16	-
40क**(i) 30 प्रतिशत व्यय**	176.14	-	-
अन्य कर गैर प्रावधान	99.61	-	-
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	1056.78	1,615.64	-
कुल आस्थगित कर संपत्ति	**1,623.20**	**3,229.33**	**-**
शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति	**1,550.14**	**3,202.87**	**-**

स्वीकृत आस्थगित कर संपत्ति/ (देयता):–

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	1,623.20	3,229.33	-
आस्थगित कर देयतां (निवल)	73.06	26.46	-

39. संबंधित पक्ष लेनदेन

वर्ष 2021–22 के दौरान भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस 24) द्वारा यथापेक्षित संबंधित पक्षों के नामों और पदनामों का प्रकटीकरण।

क. संबंधित पक्षों की सूची:

i. इंड एएस 24 के संदर्भ में, निम्नलिखित वे संबंधित पक्ष हैं, जो सरकार से संबंधित संस्थाएं हैं अर्थात महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाएं (भारत सरकार):

क.सं.	कंपनी का नाम	संबंध
1	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	12 जनवरी 2022 से धारक कंपनी

ii. अन्य :

क.सं.	कंपनी का नाम	संबंध
1	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	सरकार द्वारा एक ही नियंत्रण की इकाई
2	नागर विमानन मंत्रालय	

iii. संबद्ध सहायक कंपनियों की सूची :

क.सं	कंपनी का नाम	संबंध
1	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचसीआई)	सहायक कंपनी
2	एअर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)	सहायक कंपनी
3	एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (एआईईएल)	12 जनवरी, 2022 तक सहायक कंपनी
4	एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल)	सहायक कंपनी

iv. निदेशक मंडल

क.सं	निदेशक का नाम	पद	टिप्पणी
1.	श्री विक्रम देव दत्त	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	अध्यक्ष, एआईईएसएल (27.01.2022 से 28.02.2023 तक)
2.	श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्र	सीएमडी, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड और संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष, एआईईएसएल (01.03.2023 से) और नामित निदेशक, एआईईएसएल (02.02.2017 से)
3.	श्री विमलेन्द्र आनंद पटवर्धन	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	नामांकित निदेशक, एआईईएसएल (20.03.2020 से 14.12.2022 तक)
4.	श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा (श्री राजेश सिंह)	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	नामांकित निदेशक, एआईईएसएल (14.12.2022 से 18.01.2023 तक)
5.	श्री पदम लाल नेगी	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	नामांकित निदेशक, एआईईएसएल (18.01.2023 से)
6.	श्रीमती परम सेन	अतिरिक्त सचिव (पूर्व संयुक्त सचिव), निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग	नामांकित निदेशक (महिला निदेशक), एआईईएसएल (11.02.2022 से)

v. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क.सं	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	पद
1.	श्री जोस मैथ्यू	मुख्य कार्यपालक अधिकारी 30.07.2021 से 30.04.2022 तक
2.	श्री शरद अग्रवाल	मुख्यकार्यपालक अधिकारी 01.05.2022 से
3.	श्री गोपाल कृष्ण वलेचा	मुख्य वित्तीय अधिकारी 09.11.2021 से 20.05.2022 तक
4.	श्री राकेश कुमार जैन	मुख्य वित्तीय अधिकारी 20.05.2022 से
5.	सुश्री साक्षी मेहता	कंपनी सचिव 09.11.2021 से

vi. प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी) के साथ लेनदेन

i. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव के पारिश्रमिक और परिलब्धियों को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई लेन–देन नहीं हुआ है। वर्ष 2022–23 के दौरान, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए पारिश्रमिक और अनुलाभ 5.17 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष 4.17 मिलियन रूपए), मुख्य वित्तीय अधिकारी के लिए 2.70 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष 2.43 मिलियन रूपए) और कंपनी सचिव के लिए 0.97 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष 1.24 मिलियन रूपए) हैं।

ii. वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों या उनके रिश्तेदारों के पास कोई ऋण या क्रेडिट लेनदेन बकाया नहीं था।

vii. इंड एएस 24 के संदर्भ में, कुछ सरकारी संबंधित संस्थाओं अर्थात महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाओं (भारत सरकार) और सरकार से संबंधित पक्षों के अलावा लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	निकायों का नाम और लेनदेन की प्रकृति	2022-23 (रूपए मिलियन में)	2021-22 (रूपए मिलियन में)
1.	**एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल)**		
	प्रचालन से राजस्व		8739.90
	व्यय		
	एएआई को बकाये पर ब्याज		955.26
	परिसरों का किराये		912.18
	बिजली और उर्जा प्रभार	दिनांक 12 जनवरी 2022 से संबंधित पक्ष नहीं है	201.07
	बेचे गए सामान की कीमत		9.09
	वेतन – कर्मचारी/श्रमिकों को लगाना		(-)285.17
	कर्मचारी चिकित्सा व्यय		163.16
	आईटी उपकरण का रखरखाव		31.63
	वेतन – नेमेतिक श्रमिक		4.17
	अन्य व्यय		202.45
	कुल व्यय		**2193.85**
	अंतिम शेष (देय) /वसूलीयोग्य		**(14,215.567)**
2.	**एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल)**		
	आय		
	प्रचालन से राजस्व	586.70	506.35
	अन्य आय (ब्याज)	173.45	134.93
	व्यय		
	कुल खर्च	-	5.8
	अंतिम शेष राशि (देय)/प्राप्य	**2,309.77**	**1,718.13**
3.	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)**		
	प्रचालन से राजस्व	12.42	14.12
	व्यय		
	हैंडलिंग प्रभार	200.82	238.34
	श्रमिक लागत	3.26	2.99
	बकाया राशि पर ब्याज एआईएएसएल	21.87	68.33
	अंतिम शेष राशि (देय)/वसूलीयोग्य	**6.62**	**(514.54)**
4.	**एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (एआईएक्सएल)**		
	आय		
	प्रचालन से राजस्व	दिनांक 12 जनवरी 2022 से संबंधित पक्ष नहीं है	708.27
	अन्य आय (ब्याज)		30.50
	व्यय		
	कुल व्यय		3.8
	अंतिम शेष राशि (देय)/वसूलीयोग्य		**154.32**

क्र.सं.	निकायों का नाम और लेनदेन की प्रकृति	2022-23 (रूपए मिलियन में)	2021-22 (रूपए मिलियन में)
5.	**एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस)**		
	प्रचालन से राजस्व	दिनांक 12 जनवरी 2022 से संबंधित पक्ष नहीं है	0.20
	व्यय		
	हैंडलिंग प्रभार		81.72
	संविदा पर जनशक्ति को किराए पर लगाना		18.72
	उपकरण का किराया / पट्टे		5.76
	अन्य व्यय		5.65
	अंतिम शेष राशि (देय)/वसूलीयोग्य		**(636.45)**
6.	**सेंटूर होटल (एचसीआई)**		
	व्यय		
	होटल का व्यय– ड्यूटी पर कर्मचारी	16.38	13.45
	अंतिम शेष राशि (देय)/वसूलीयोग्य	(3.79)	(7.2)
7.	**एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) होल्डिंग कंपनी**		
	व्यय		
	एआईएएचएल को देय बकाया राशि पर ब्याज	1865.56	407.27
	किराया	467.35	-
	प्रतिपूर्ति	69.22	-
	अन्य (वसूलीयोग्य)	**15.05**	-
	31 मार्च को अंतिम शेष राशि (देय)/वसूलीयोग्य	**(21,739.44)**	(21,582.90)

40. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जिसकी कुल संपत्ति पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार है या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ है, वह बोर्ड स्तर की एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करेगा जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

इसके अलावा धारा 135(5) के अनुसार, उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करे।

इसके आधार पर कंपनी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 40.94 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष शून्य) का योगदान दिया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्ययः–

क. सं	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
1.	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	40.94	-
2.	व्यय की राशि :		-
	(i) किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	
	(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	40.94	
3.	वर्ष के अंत में कमी	-	-
4.	पिछले वर्षों की कुल कमी	-	-
5.	कमी के कारण	-	-

क. सं	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
	सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	प्रधान मंत्री राहत कोष में अंशदान	-
	प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण :	शून्य	-

41. वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित और व्यय किए गए विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का विवरण निम्नलिखित है।

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु	01 अप्रैल 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु
विदेशी मुद्रा विनिमय आय	72.44	36.52	58.21
खर्च किया गया विदेशी मुद्रा विनिमय	35.23	33.21	19.50
शुद्ध विदेशी मुद्रा आय	**37.21**	**3.31**	**38.71**

42. स्वतंत्र निदेशक तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम 2013, धारा 149(4) और 178 के अनुसार और नियम 4(2) के अनुरूप, एक असूचीबद्ध कंपनी और एआईएएचएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण कंपनी में स्वतंत्र निदेशक का होना अपेक्षित नहीं है। हालाँकि, कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2010 पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर–सूचीबद्ध सीपीएसई क्रमशः स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें दोनों समितियों का गठन स्वतंत्र निदेशक द्वारा किया जाना आवश्यक है। कंपनी ने पत्र संदर्भ संख्या एआईईएसएल/सीएस/एचक्यू/25 दिनांक 01.09.2020 के माध्यम से छूट प्राप्त करने के लिए डीपीई को आवेदन किया है। उक्त पत्र का कोई उत्तर नहीं मिला है।

43. सेवा कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज

अप्रैल–2014 से जून–2017 की अवधि के लिए सेवा कर का भुगतान, कंपनी द्वारा तरलता के मुद्दों के कारण संबंधित मासिक देय तिथियों के बाद किया गया था और कंपनी ने केवल वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सेवा कर के देर से भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान किया था और सेवा कर के देर से भुगतान पर अवैतनिक ब्याज के लिए डीजीजीआई के समक्ष उपस्थित होने पर मामला कंपनी के ध्यान में लाया गया। तदनुसार, कंपनी ने सेवा कर के देर से भुगतान पर 299.87 मिलियन रूपए की ब्याज देनदारी की पहचान की है और उक्त राशि को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्वतंत्र फर्म द्वारा सत्यापित और प्रमाणित भी किया गया है और तदनुसार कंपनी ने लेखा बहियों में इसके लिए देनदारी प्रदान की है। इसे वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अन्य व्यय शीर्षक के अंतर्गत पुनः निर्धारित आंकड़ों में शामिल किया गया है।

44. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक

सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क और लेखापरीक्षकों के व्यय का विवरण :

(रूपए मिलियन में)

विवरण	2022-23	2021-22
संविधिक लेखपरीक्षा शुल्क – वर्ष के लिए	0.40	0.33
आउट ऑफ पॉकेट व्यय	0.04	0.03
कुल	**0.44**	**0.36**

45. अतिरिक्त विनियामक जानकारी

क) विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए) है, जो मांग पर चुकाए जाने योग्य या चुकौती की किसी शर्तें या निर्धारित निर्दिष्ट के बिना हो।

ख) कंपनी के नाम पर अचल संपत्ति का शीर्षक विलेख नहीं है।

तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	नाम से धारित शीर्षक विलेख	क्या शीर्षक विलेख धारक प्रवर्तक, निदेशक है या प्रवर्तक*/ निदेशक का संबंधी# है या प्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
पीपीई	i. भूमि	2,644.05	एअर इंडिया लिमिटेड	नहीं	8 अप्रैल, 2021	संदर्भ नोट 2(क).1
	ii. जेट 9डी टेस्ट हाउस	10.42	एअर इंडिया लिमिटेड	नहीं	1 अप्रैल, 2019	संदर्भ नोट 2(क).3
निवेश सम्पत्ति	भूमि	-	-	-	-	-
	भवन	-	-	-	-	-
बिक्री के लिए धारित गैर–चालू संपत्ति	भूमि	-	-	-	-	-
	भवन	-	-	-	-	-
अन्य		-	-	-	-	-

ग) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

सीडब्ल्यूआईपी अवधि अनुसूची निम्नानुसार है:–

सीडब्ल्यूआईपी	निम्न अवधि के लिए रूपए में सीडब्ल्यूआईपी				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजना	-	-	-	1,137.68	1,137.68

संदर्भ नोट सं. 2(क).1 और 2

घ) धारित बेनामी संपत्ति का विवरण :

कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, इसलिए, प्रावधान यह लागू नहीं है।

ड.) स्वैच्छिक चूककर्ता :

लागू नहीं।

च) स्ट्रक–ऑफ कंपनियों के साथ संबंध :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद हुई कंपनियों के साथ कंपनी के पास दिनांक 31.03.2022 (पिछली अवधि : शून्य) के अनुसार कोई बकाया राशि नहीं है।

छ) कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ शुल्क या संतुष्टि का पंजीकरण :

कंपनी रजिस्ट्रार के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

झ) कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या। कंपनियों की परतों की संख्या के साथ ऐसा अनुपालन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए लागू नहीं है।

ट) अनुपात का प्रकटीकरण

चालू अनुपात			(रूपए मिलियन में)
विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**	**01 अप्रैल 2021 को**
कुल चालू परिसंपत्तियां	14,040	9,925	14,530
कुल चालू देनदारियाँ	4,606	6,383	31,013
अनुपात	3.05	1.55	0.47
प्रतिशत परिवर्तन	**96%**	**232%**	
कारण	पिछले वर्ष की तुलना में चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि और चालू देयताओं में कमी के कारण।		

ऋण इक्विटी अनुपात			(रूपए मिलियन में)
विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**	**01 अप्रैल 2021 को**
कुल ऋण	-	-	-
शेयरधारकों की इक्विटी	-7,900	-14,195	-22,488
अनुपात	-	-	-
प्रतिशत परिवर्तन	-	-	-
कारण	होल्डिंग कंपनी को देय राशि (21,739 मिलियन रुपये) के अलावा कोई ऋण नहीं है।		

ऋण सेवा कवरेज अनुपात			(रूपए मिलियन में)
विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**	**01 अप्रैल 2021 को**
ऋण सेवा हेतु उपलब्ध आय (ईबीआईडीटीए)	8,624	7,744	1,308
कुल ऋण	-	-	-
अनुपात	-	-	-
प्रतिशत परिवर्तन	-	-	-
कारण	होल्डिंग कंपनी को देय राशि (21,739 मिलियन रुपये) के अलावा कोई ऋण नहीं है।		

इक्विटी पर प्रतिफल			(रूपए मिलियन में)
विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**	**01 अप्रैल 2021 को**
कर के बाद शुद्ध लाभ	6,285	8,224	-400
औसत शेयरधारकों की इक्विटी	-11,048	-18,342	-22,395
अनुपात	-0.57	-0.45	0.02
प्रतिशत परिवर्तन	**-27%**	**-2609%**	
कारण	वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ में कमी और औसत शेयरधारकों की इक्विटी में सुधार के कारण		

इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात			(रूपए मिलियन में)
विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**	**01 अप्रैल 2021 को**
बेचे गए सामान की लागत	631.87	2,105.81	972.22
औसत सूची	355.31	678.07	751.27
अनुपात	1.78	3.11	1.29
प्रतिशत परिवर्तन	**-43%**	**140%**	
कारण	स्टोरेज का प्रयोग धारित इन्वेंटरी से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है		

व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात			(रूपए मिलियन में)
विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**	**01 अप्रैल 2021 को**
प्रचालन से राजस्व	19,534	18,819	11,589
अंतिम व्यापार प्राप्तियां	8,166	5,534	12,800
अनुपात	2.39	3.40	0.91
प्रतिशत परिवर्तन	**-30%**	**276%**	
कारण	व्यापार प्राप्यों में वृद्धि के कारण		

व्यापार देय टर्नओवर अनुपात			(रूपए मिलियन में)
विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**	**01 अप्रैल 2021 को**
अन्य व्यय	4,819	5,307	3,801
अंतिम व्यापार देय	1,907	3,917	5,967
अनुपात	2.53	1.35	0.64
प्रतिशत परिवर्तन	**87%**	**113%**	
कारण	अन्य व्ययों में कमी और समापन व्यापार देय में कमी के कारण		

निवल पूंजी व्यवसाय अनुपात			(रूपए मिलियन में)
विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**	**01 अप्रैल 2021 को**
प्रचालन से राजस्व	19,534	18,819	11,589
कार्यशील पूंजी	9,434	3,542	-16,483
अनुपात	2.07	5.31	-0.70
प्रतिशत परिवर्तन	**-61%**	**-856%**	
कारण	इसका मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में कार्यशील पूंजी (देनदार और बैंक शेष) में वृद्धि है।		

निवल लाभ अनुपात			(रूपए मिलियन में)
विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**	**01 अप्रैल 2021 को**
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	6,285	8,224	-400
प्रचालन से राजस्व	19,534	18,819	11,589
अनुपात	0.32	0.44	-0.03
प्रतिशत परिवर्तन	**-26%**	**-1365%**	
कारण	पिछले वर्ष की तुलना में निम्न लाभ के कारण।		

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल			(रूपए मिलियन में)
विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**	**01 अप्रैल 2021 को**
असाधारण मद और कर जमा वित्त लागत से पूर्व लाभ	8,031	7,131	1,161
नियोजित पूंजी	17,659	13,803	-15,842
अनुपात	0.45	0.52	-0.07
प्रतिशत परिवर्तन	**-12%**	**805%**	
कारण	पिछले वर्ष की तुलना में असाधारण मद और कर जमा वित्त लागत से पूर्व लाभ में कमी और नियोजित पूंजी में सुधार के कारण।		

निवेश पर प्रतिफल			(रूपए मिलियन में)
विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**	**01 अप्रैल 2021 को**
निवेश से आय	शून्य	शून्य	
निवेश का समापन संतुलन	शून्य	शून्य	
अनुपात	शून्य	शून्य	
प्रतिशत परिवर्तन	शून्य	शून्य	
कारण	कोई निवेश नहीं किया गया		
1. कुल ऋण = गैर–चालू ऋण + चालू ऋण			
2. ब्याज और कर पूर्व लाभ (ईबीआईटी) = असाधारण मद और कर पूर्व लाभ + वित्त लागत			
3. बेचे गए माल की लागत = उपभोग की गई सामग्री की लागत + व्यापार स्टॉक की खरीद ± तैयार माल की सूची में परिवर्तन और कार्य–प्रगति			
4. कार्यशील पूंजी = कुल चालू परिसंपत्ति – कुल वर्तमान देनदारियां			
5. लगाई गई पूंजी = कुल इक्विटी ± कुल गैर–चालू देनदारियां			
6. कुल इक्विटी = गैर–नियंत्रित ब्याज (घटा)/जमा (आस्थगित कर परिसंपत्तियां)/आस्थगित कर देयता (शुद्ध) छोड़कर कुल इक्विटीं			

ठ) व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजना (योजनाओं) का अनुपालन

व्यवस्था की कोई अनुमोदित योजना नहीं है, इसलिए लागू नहीं है।

ढ) ऋण ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग

कंपनी के सभी ऋणों का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया है, इसलिए यह लागू नहीं है।

46. उचित मूल्य मापन और वित्तीय साधन

क. पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य निम्नानुसार है :

i. गोइंग कंसर्न आधार पर जारी रखने की अपनी क्षमता का संरक्षण ताकि कंपनी हितधारकों को प्रतिफल और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करने में सक्षम हो सके, तथा

ii. ऋण और इक्विटी संतुलन की इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखें।

ii. कंपनी की पूंजी संरचना में कंपनी की कुल इक्विटी शामिल है।

iv. कंपनी की लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल समय–समय पर कंपनी की पूंजी संरचना की समीक्षा करते हैं। जब भी आवश्यक हो, समिति पूंजी की लागत और पूंजी के प्रत्येक वर्ग से जुड़े जोखिमों पर विचार करती है, और

v. दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी की पूंजी संरचना के प्रबंधन से संबंधित उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया।

ख. वित्तीय साधन – श्रेणी और उचित मूल्य पदानुक्रम द्वारा

निम्न तालिका उचित मूल्य पदानुक्रम में उनके स्तरों सहित वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की अग्रणीत राशियों और उचित मूल्य को दर्शाती है। .

31 मार्च, 2023 तक

(रूपए मिलियन में)

विवरण	वहन मूल्य				उचित मूल्य मापन का प्रयोग		
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय संपत्ति	-	-			-	-	-
गैर चालू							
अन्य	-	-	0.06	0.06	-	-	-
चालू	-	-			-	-	-
व्यापार प्राप्य *	-	-	8,166.44	8,166.44	-	-	-
नकद और नकद समतुल्य*	-	-	3,97.84	3,97.84	-	-	-
उपर्युक्त से इतर अन्य बैंक शेष			3,628.88	3,628.88			
अन्य वित्तीय संपत्ति			14.97	14.97			
कुल			**12,208.13**	**12,208.13**			
वित्तीय देनदारियों							
गैर चालू							
पट्टा देयताएं			46.27	46.27			
अन्य वित्तीय देनदारियां	-	-	21,739.44	21,739.44	-	-	-
कुल	-	-	**21,785.71**	**21,785.71**	-	-	-
चालू							
पट्टा देयताएं			11.31	11.31			
व्यापार प्राप्य*							
क. एमएसएमई	-	-	31.30	31.30	-	-	-
ख. एमएसएमई से इतर	-	-	1,875.47	1,875.47	-	-	-
ग. अन्य वित्तीय देनदारियां	-	-	648.16	648.16	-	-	-
कुल	-	-	**2,566.24**	**2,566.24**	-	-	-

31 मार्च 2022 को (पुनर्निर्देशित)

(रूपए मिलियन में)

विवरण	वहन मूल्य				उचित मूल्य मापन का प्रयोग		
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय संपत्ति							
गैर चालू							
अन्य	-	-	0.06	0.06	-	-	-
चालू							
व्यापार प्राप्य *	-	-	5,534.49	5,534.49	-	-	-
नकद और नकद समतुल्य*	-	-	2,569.40	2,569.40	-	-	-
उपर्युक्त से इतर अन्य बैंक शेष	-	-	1.00	1.00	-	-	-
कुल	-	-	8.37	8.37	-	-	-
			8,113.26	**8,113.26**			
वित्तीय देयताएं							
गैर चालू							
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	21,582.90	21,582.90	-	-	-
कुल	-	-	**21,582.90**	**21,582.90**	-	-	-

विवरण	वहन मूल्य				उचित मूल्य मापन का प्रयोग		
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
चालू							
व्यापार प्राप्य *							
क. एमएसएमई	-	-	35.84	35.84	-	-	-
ख. एमएसएमई से इतर	-	-	3,881.17	3,881.17	-	-	-
ग. अन्य वित्तीय देनदारियां	-	-	7,67.36	7,67.36	-	-	-
कुल	-	-	**4,684.37**	**4,684.37**	-	-	-

1 अप्रैल 2021 को (पुनर्निर्देशित)

(रूपए मिलियन में)

विवरण	वहन मूल्य				उचित मूल्य मापन का प्रयोग		
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत	कुल	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3
वित्तीय संपत्ति							
गैर चालू							
अन्य	-	-	0.06	0.06	-	-	-
चालू							
व्यापार प्राप्य *	-	-	12,799.78	12,799.78	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			3.91	3.91			
नकद और नकद समतुल्य*	-	-	4.83	4.83	-	-	-
उपर्युक्त से इतर अन्य बैंक शेष	-	-	33.75	33.75	-	-	-
कुल	-	-	**12,842.27**	**12,842.27**	-	-	-
वित्तीय देयताएं							
गैर चालू			-	-			
चालू							
व्यापार देय *							
क. एमएसएमई	-	-	36.23	36.23	-	-	-
ख. एमएसएमई से इतर	-	-	5,930.61	5,930.61	-	-	-
ग. अन्य वित्तीय देनदारियां	-	-	19,371.58	19,371.58	-	-	-
कुल	-	-	**25,338.42**	**25,338.42**	-	-	-

होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के प्रति कंपनी के प्राप्य/देय को बाजार ब्याज दर पर अनुबंधित किया गया है, जिसे नियमित अंतराल पर पुनर्निर्धारित किया जाता है। तदनुसार, इस तरह के उधारों का वहन मूल्य (उपार्जित ब्याज सहित) उचित मूल्य के समीप है।

* व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देय, नकद और नकद समकक्षों, और अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियों की वहन राशि, उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण, उचित मूल्यों का अनुमान लगाती है।

47. उचित मूल्य अनुक्रम

उचित मूल्य अनुक्रम इनपुट मूल्यांकन तकनीकियों पर आधारित है जो उचित मूल्य का मापन करने के लिए प्रयुक्त की गई है जो आमेलित किए जाने योग्य हैं या नही और इसमे निम्नलिखित 3 लेवल शामिल हैं :

स्तर 1: इनपुट प्रमुख परिसंपत्तियों और देयराशियों के लिए सक्रिय बाजार में कोट किया हुआ मूल्य (असमायोजित) हैं।

स्तर 2: इनपुट लेवल 1 के भीतर कोट न किए हुए मूल्य के अलावा हैं जो प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्य) या अप्रत्यक्ष (मूल्य से उत्पन्न) रूप से परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए आमेलित किए गए हैं।

स्तर 3: इनपुट आमेलित किए जाने योग्य बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं। उचित मूल्य का निर्धारण इस अनुमान पर आधारित माडल का प्रयोग करके पूर्ण या इसके भाग के रूप में किया गया है जो न तो समान लिखत में आमेलित किए जाने योग्य वर्तमान बाजार लिखत के मूल्य से समर्थित हैं और न ही ये उपलब्ध बाजार डाटा पर आधारित हैं।

48. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी को वित्तीय विवरणों से उत्पन्न निम्नलिखित जोखिमों का सामना होता है :

i. ऋण जोखिम

ii. नकदी जोखिम

iii. बाजार जोखिम – क. विदेशी मुद्रा और

ख. ब्याज दर

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देयराशियां शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का प्रमुख उद्देश्य अपने प्रचालनों का वित्तपोषण करना है।

कंपनी उधार जोखिम, नकदी जोखिम और बाजार जोखिम का सामना करती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र इन जोखिमो का प्रबंधन की निगरानी करता है। निदेशक मंडल इन सभी जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए इनकी समीक्षा करता है तथा इनके लिए नीतियों का अनुमोदन करता है, जिसे नीचे सारबद्ध किया गया हैः

(i) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि कोई ग्राहक या वित्तीय लिखत पर दर्ज कोई काउंटर पार्टी अपने संविदागत दायित्वों को पूरा करने में विफल होता है। कंपनी को अपने व्यापार गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य) से ऋण जोखिम बना रहता है

रिपोर्टिंग तिथि को ऋण का अधिक प्रभाव प्रमुख रूप से व्यापार प्राप्य राशियों से है। व्यापार प्राप्य राशियां मुख्यत गैर आरक्षित होती हैं, जो ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होती हैं। कंपनी जिस क्षेत्र में प्रचालन करती है उसकी निगरानी करती है। कंपनी ऋण अनुमोदन, ऋण सीमा निर्धारित करके तथा ग्राहक जिनको कंपनी कारोबार के सामान्य क्रम में ऋण प्रदान करती है, की ऋण योग्यता की सतत निगरानी करके इसका प्रबंधन करती है।

व्यापार प्राप्यों में समान विमानन उद्योग से ग्राहकों की संख्या शामिल है। बकाया राशियों का महत्वपूर्ण भाग इसक समूह कंपनियों से है और जिसके लिए प्रबंधन किसी ऋण जोखिम की संभावना नहीं मानती है। तदनुसार, समूह कंपनियों से प्राप्यों पर कोई संभावित ऋण घाटा नहीं है।

समूह कंपनी और सरकारी प्राप्य राशियों के अतिरिक्त, अन्य पक्षों के संबंध में, ऋण जोखिम का कोई व्यापक केन्द्रीकरण नहीं है। दर्शाए गए किसी भी वर्ष में किसी एक ग्राहक के प्रति राजस्व के 10 प्रतिशत या अधिक का भाग नहीं है, केवल आईएएफ–एसईएसएफ को छोड़कर। बकाया व्यापार प्राप्यों की मॉनीटरिंग नियमित आधार पर की जाती है और समयसीमा से अधिक के लिए देय राशियों के एकत्रण के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

सरलीकृत परिदृश्य के रूप में, कंपनी प्रावधान मेट्रिक्स का प्रयोग करके व्यापार प्राप्यों पर संभावित ऋण घाटों के प्रावधान करते हैं ताकि चूक भुगतानों को कम किया जा सके और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उपयुक्त प्रावधान किए जा सकें जहां कहीं बकाया राशियां लंबी अवधि के लिए देय हैं और उनके उच्च जोखिम शामिल है। प्राप्य राशियों के एकत्रण के हमारे एतिहासिक अनुभाव निम्न ऋण जोखिम को दर्शाते हैं। इसलिए, व्यापार प्राप्यों कों वित्तीय परिसंपत्तियों की एकल श्रेणी माना जाता है। कंपनी द्वारा प्रचालन किए जाने वाले व्यापारिक वातावरण के आधार पर, प्रबंधन विचार करती है कि व्यापार प्राप्य (सरकारी विभागों से प्राप्य राशियों के अतिरिक्त) चूक

(ऋण घाटा) के कारण है यदि भुगतान निर्धारित अवधि से 36 माह से अधिक समय के लिए देय हो गया है। इन प्रावधानकर्ता मापदंडों का आकलन सतत आधार पर गोइंग कंर्सन के लिए किया जाता है। प्राप्त व्यापार राशि की गणना 36 माह से अधिक विलंबित प्राप्त देय के अनुपात के अनुसार गणित की जाती है। तदनुसार, निम्नलिखित दरों का प्रयोग करके ईसीएल के लिए प्रावधान किया जाता है:

समूह	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**	**01 अप्रैल 2021 को**
सरकारी कंपनी का विगत तीन वर्ष से अधिक का बकाया	100.00 %	100.00 %	100.00 %
समूह कम्पनी	0.00 %	0.00 %	0.00 %
अन्य पक्षों के प्रति एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक देय	3.90%	4.30%	10.96%
अन्य पक्षों का तीन वर्ष से अधिक का बकाया	100.00 %	100.00 %	100.00 %
व्यक्तिगत आधार पर विशिष्ट ऋण जोखिम हानि	100.00 %	100.00 %	100.00 %

व्यापार प्राप्तियों के लिए कंपनी का ऋण जोखिम की संभावना निम्नानुसार है:

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2023 को**		**31 मार्च 2022 को**	
	सकल वहन रूपए में	**घाटा प्रावधान**	**सकल वहन रूपए में**	**घाटा प्रावधान**
अदेय ऋण	-	-	-	-
देय ऋण अवधि से अधिक	8,763.74	5,97.30	6,094.40	559.91
कुल	**8,763.74**	**5,97.30**	**6,094.40**	**559.91**

व्यापार प्राप्यों के संबंध में हानि के लिए प्रावधान की व्यवस्था निम्नानुसार है:

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु**	**01 अप्रैल 2021 को समाप्त वर्ष हेतु**
वर्ष की आरंभ में शेष	**559.91**	549.21	446.97
वर्ष के दौरान संचलन	37.39	10.70	102.24
वर्ष के अंत में शेष	**597.30**	**559.91**	**549.21**

(ii) **नकदी जोखिम प्रबंधन**

नकदी जोखिम वह जोखिम होता है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा करने में सामने आता है और जिसे नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रदायगी द्वारा निपटाया जाना होता है,

कंपनी का दृष्टिकोण कंपनी को गैर जरूरी हानि के बिना और कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाए बिना सामान्य और दबाव दोनों ही परिस्थितियों में देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी रखना है।

कंपनी का विश्वास है कि कुल नकद (बैंक जमा लियन सहित और इस पर भारित ब्याज जो देय न हो), प्रचालनों से सृजित निधि के आंतरिक भावी अनुमान, इसकी वित्तीय स्थिति कंपनी को कारोबार के सामान्य क्रम में इसकी भावी ज्ञात देयताओं को पूरा करने में समर्थ बनाएगी।

प्रबंधन की निगरानी के अधीन कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रक्रिया निम्नानुसार है:

– भावी नकदी प्रवाह की निगरानी से दैनिक वित्तपोषण का प्रबंध करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

– संविदागत नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नकदी स्थिति के रोलिंग अनुमान को बनाए रखना।

– विविध ऋण लाइनों को बनाए रखना।

नकदी जोखिम प्रभाव

निम्न विवरण रिपोर्टिंग डाटा पर वित्तीय विवरणों की शेष संविदागत परिपक्वताएं के बारे में है। संविदागत नकद प्रवाह, रूपए में, सकल तथा गैर–रियायती हैं, और इसमें भवन पर संचित किन्तु अदेय ब्याज शामिल है।

31 मार्च 2023 को

(रूपए मिलियन में)

विवरण	प्रतिधारण राशि रूपए में	संविदागत नकदी प्रवाह				
		1 वर्ष तक	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
चालू						
व्यापार देनदारियां	1,906.78	1,906.78	-	-	-	1,906.78
अन्य वित्तीय देनदारियां	6,48.16	6,48.16	-	-	-	6,48.16

31 मार्च 2022 को

(रूपए मिलियन में)

विवरण	प्रतिधारण राशि रूपए में	संविदागत नकदी प्रवाह				
		1 वर्ष तक	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
चालू						
व्यापार देनदारियां	3,917.00	3,917.00	-	-	-	3,917.00
अन्य वित्तीय देनदारियां	7,67.36	7,67.36	-	-	-	7,67.36

31 मार्च 2021 को

(रूपए मिलियन में)

विवरण	प्रतिधारण राशि रूपए में	संविदागत नकदी प्रवाह				
		1 वर्ष तक	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
चालू						
व्यापार देनदारियां	5,966.84	5,966.84	-	-	-	5,966.84
अन्य वित्तीय देनदारियां	19,371.58	19,371.58	-	-	-	19,371.58

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत का उचित मूल्य और नकदी प्रवाह का मान उपर नीचे होता है। बाजार जोखिम में दो प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं यथा मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रतिफल को अधिकतम बनाकर स्वीकार्य पैरामीटरों के भीतर बाजार जोखिम प्रभाव को प्रबंधित करना और नियंत्रित करना है।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर का जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार ब्याज कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह का मूल्य उपर नीचे होता है। कंपनी ने कोई उधार नहीं लिया है।

ख. मुद्रा जोखिम

मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह का मूल्य उपर नीचे होता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर मौजूदा विदेशी मुद्रा दरों में उतार चढ़ाव के प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब प्रचालन मुद्रा और कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण कार्यकलापों से प्राप्त अन्य मुद्रा के बीच विनिमय दरों में उतार–चढाव होता है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार मुद्रा जोखिम का कंपनी पर प्रभाव के बारे में परिणामात्क डाटा का सारांश भारतीय रूपए में नीचे दिया गया है:

31 मार्च 2023 को

विवरण	एईडी	एयूडी	बीडीटी	सीएनवाई	ईयूआर	जीबीपी	एचकेडी	जीपीवाई	केआरडब्ल्यू	केडब्ल्यूडी	एलकेआर	एनपीआर	ओएमआर	एसएआर	एसईके	एसजीडी	यूएसडी
नकद और नकद समकक्ष	0.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
अन्य वित्तीय संपत्ति	0.24	0.05	0.03	0.06	0.01	0.01	0.59	-	-	-	-	0.95	-	0.03	-	0.05	0.25
व्यापार प्राप्तियां	-0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.72
कुल वित्तीय संपत्ति	**1.01**	**0.05**	**0.03**	**0.06**	**0.02**	**0.01**	**0.59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.95**	**-**	**0.03**	**-**	**0.05**	**22.99**
अन्य वित्तीय देनदारियां	-0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार देनदारियां	0.03	-	-	-	-0.06	-0.01	-	-	-	-0.00	-0.08	-	-	-	-	-0.01	-1.63
कुल वित्तीय देनदारियां	**0.03**	**-**	**-**	**-**	**-0.06**	**-0.01**	**-**	**-**	**-**	**-0.00**	**-0.08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0.01**	**-1.63**

31 मार्च 2022 को

विवरण	एईडी	एयूडी	बीडीटी	सीएनवाई	ईयूआर	जीबीपी	एचकेडी	जीपीवाई	केआरडब्ल्यू	केडब्ल्यूडी	.एलकेआर	एनपीआर	ओएमआर	एसएआर	एसईके	एसजीडी	यूएसडी
नकद और नकद समकक्ष	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
अन्य वित्तीय संपत्ति	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.52
व्यापार प्राप्तियां	0.37	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.70
कुल वित्तीय संपत्ति	**0.56**	**-**	**-**	**-**	**0.01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.24**
अन्य वित्तीय देनदारियां	-0.13	-0.13	-0.03	-0.16	-0.06	-0.02	-1.30	-	-9.39	-	-	-1.50	-0.00	-0.07	-0.01	-0.06	-0.03
व्यापार देनदारियां	-0.20	-	-	-	0.05	0.01	-	0.40	-	0.00	0.08	-	-	-	-	0.02	2.57
कुल वित्तीय देनदारियां	**-0.33**	**-0.13**	**-0.03**	**-0.16**	**-0.02**	**-0.02**	**-1.30**	**0.40**	**-9.39**	**0.00**	**0.08**	**-1.50**	**-0.00**	**-0.07**	**-0.01**	**-0.04**	**2.54**

संवेदनशीलता का विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि पर भारतीय रुपये के मुकाबले यूएसडी के (5 प्रतिशत) मजबूत/(कमजोर) होने का यथोचित संभावित परिवर्तन लाभ या हानि और अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित वित्तीय साधनों के माप को नीचे दिखाए गए रूपए से प्रभावित करेगा। यह विश्लेषण मानता है कि अन्य सभी परिवर्ती कारक, विशेष रूप से ब्याज दरों में, स्थिर रहते हैं और पूर्वानुमान बिक्री और खरीद के किसी भी प्रभाव से अपरिवर्तित रहते हैं।

भारतीय रूपए में प्रभाव (कर पूर्व)	**लाभ और हानि**	
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	सुदृढन	संकूचन
0.5 प्रतिशत संचलन	शून्य	शून्य
यूएसडी	शून्य	शून्य
भारतीय रूपए में प्रभाव (कर पूर्व)	**लाभ और हानि**	
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	सुदृढन	सुदृढन
0.5 प्रतिशत संचलनन	शून्य	शून्य
यूएसडी	शून्य	शून्य
भारतीय रूपए में प्रभाव (कर पूर्व)	**लाभ और हानि**	
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	सुदृढन	सुदृढन
0.5 प्रतिशत संचलनन	शून्य	शून्य
यूएसडी	शून्य	शून्य

49. इंड एएस 115 : निष्पादन दायित्व और शेष निष्पादन दायित्व

दिनांक 31 मार्च, 2023 को पूरी तरह या आंशिक रूप से असंतुष्ट निष्पादन दायित्वों का कुल मूल्य शून्य रूपए (31 मार्च, 2022 को शून्य रूपए) है।

50. एआईईएसएल ने विशेष अतिरिक्त खंड उड़ानों (एसईएसएफ) हेतु दो बी–777 ईआर विमानों के प्रचालन और खर–रखाव के उद्देश्य से दिनांक 04 मार्च, 2021 को प्रभावी तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के साथ एक दीर्घकालिक रखरखाव समझौते (एलटीएमए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एलटीएमए की प्रभावी तिथि दिनांक 28 मार्च, 2021 है।

51 कंपनी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि या भारत में विभिन्न स्थानों पर होल्डिंग कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर निर्मित हैंगरों के हस्तांतरण की प्रक्रिया में है। यह प्रक्रिया नियत समय में पूरी होने की संभावना है।

52. दिनांक 03.08.2020 से कंपनी का नाम एअर–इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड से बदलकर एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड कर दिया गया है।

53. कंपनी ने प्रशिक्षण सेवाओं से राजस्व को पहचानने की नीति में परिवर्तन किया है, अर्थात कब से फीस प्राप्त की गई है की जगह, कब से प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करना शुरू किया गया है और इसके परिणामस्वरूप 0.88 मिलियन रूपए ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। .

54. पिछले वर्ष के आंकड़ों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के साथ संगत होने के लिए, जहां भी आवश्यक समझा गया है और इंड एएस में विनिर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार, सूचना उपलब्ध होने और संकलन के लिए आवश्यक होने की सीमा तक पुनः समूहीकृत/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

कृते और उसकी ओर से

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 007739N

हस्ता./–
सतेन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएनः 07728790

हस्ता./–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डीआईएन : 10041387

हस्ता./–
सीए अजय के. बजाज
साझेदार
एम सं. 086306
यूडीआईएन 230863068GXMKK8419

हस्ता./–
शरद अग्रवाल
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता./–
साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

हस्ता./–
राकेश कुमार जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20-12-2023

Note:

Note:

निगमित सूचना

पंजीकृत कार्यालय

द्वितीय तल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग एयरपोर्ट क्षेत्र
सफदरजंग एयरपोर्ट, केन्द्रीय दिल्ली,
दिल्ली-110003
दूरभाषः 91-11-24600763
ई-मेलः marketing.aiesl@aiesl.in; वेबसाइट: www.aiesl.in
CIN: U74210DL2004GOI125114

संविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एएजेवी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स जे.पी. सैनी एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक

आंतरिक लेखापरीक्षक

मैसर्स जी.एस.माथुर एंड कंपनी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट

कर लेखापरीक्षक

मैसर्स रजनीश एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड
सी 101, 247 पार्क, एल बी एस मार्ग,
विक्रोली (पश्चिम), मुंबई 400083

AIESL
AI ENGINEERING SERVICES LIMITED

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

द्वितीय तल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग एयरपोर्ट क्षेत्र
सफदरजंग एयरपोर्ट, केन्द्रीय दिल्ली,
दिल्ली-110003
दूरभाष: 91-11-24600763
ई-मेल: marketing.aiesl@aiesl.in; वेबसाइट: www.aiesl.in

CIN: U74210DL2004GOI125114

@AIESL_MRO   @AIESL   @aiesl_mro   @AIESL_MRO